



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012021-224344
CG-DL-E-12012021-224344

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 11, 2021/ पौष 21, 1942

No. 12]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 11, 2021/PAUSHA 21, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2021

मामला सं. (ओआई) 24/2019

विषय : चीन जन. गण. और सउदी अरब के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डाईमिथाइल फोरमेमाइड (डी एम एफ) के आयातों से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम।

फा. सं. 6/37/2019- डीजीटीआर.—समय-समय यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली (जिसे यहां आगे पाटनरोधी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए ;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. मै० बालाजी एमाइंस लि०, (जिसे यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा

गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें सउदी अरब और चीन जन. गण (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “डाईमिथाइल फोरमेमाइड (डी एम एफ)” (जिसे आगे संबद्ध वस्तु, विचाराधीन उत्पाद या पीयूसी भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी शुल्क की मूल जांच का अनुरोध किया गया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना फा. सं. 6/37/2019-डीजीटीआर, दिनांक 14 जनवरी, 2020 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी जिसके तहत नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत की गई थी ताकि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाएगा तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।
3. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार जांच के संबंध में प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचित करते हुए दिनांक 18 अगस्त, 2020 की अधिसूचना सं. 7/37/2019- डीजीटीआर के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी की। तथापि, केंद्रीय सरकार द्वारा उसे कार्यान्वित नहीं किया गया है।

ख. प्रक्रिया

4. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:-
- क) प्राधिकारी ने संबंधित नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की शुरुआत की कार्रवाई से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन के प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
- ख) प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित 14 जनवरी, 2020 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ग) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादक / निर्यातक, ज्ञात आयातकों / प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादकों को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गए पते के अनुसार जांच शुरुआत अधिसूचना की एक-एक प्रति भेजी थी तथा उनसे विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया था।
- घ) आवेदक ने नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास तथा ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों को आवेदन के अगोपनीय अंश की प्रति उपलब्ध करायी थी।
- ड.) भारत में संबद्ध देश के दूतावास से उनके देश के निर्यातकों / उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था। उत्पादकों / निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों के नामों और पतों के साथ उन्हें भी भेजी गई थी।
- च) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी थी :

सउदी अरब

- i. मेथेनाल केमिकल्स कंपनी
- ii. फहाद थनायान एआई थनयान और पीए
- iii. बारविल एजेंसीज लि०

चीन जन. गण.

- i. शानडांग हुआलु- हेंगशेंग केमिकल कंपनी लि०
- ii. हुआलु होल्लिंग ग्रुप कंपनी, लि०
- ii. जीबो जुझोंग केमिकल एंड लाइट इंडस्ट्री कंपनी, लि०
- iv. अन्हुई हुआइहुआ फाइन केमिकल्स कंपनी लि०

- v. झेजियांग जियांगशान केमिकल कंपनी, लि०
- छ) इसके उत्तर में संबद्ध देशों से निम्नलिखित निर्यातकों / उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है।
- i. मेथेनाल केमिकल्स कंपनी, सउदी अरब,
 - ii. मै० लक्सी केमिकल ग्रुप कंपनी लि०, क्लोर-अल्काली केमिकल ब्रांच, चीन,
 - iii. मै० शानडांग लियाओचेंग लक्सी न्यू मैटेरियल सेल कंपनी, लि०, चीन और
 - iv. मै० लियाओचेंग रूइजिन (हांगकांग) कंपनी, लि०, चीन
- ज) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी थीं।
- i. आरचिड केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि०
 - ii. सीमेड लैब्स लि०
 - iii. मैट्रिक्स लेबोरेट्रीज लि०
 - iv. डॉर्फ-केटल केमिकल्स इंडिया प्रा० लि०
 - v. हरमान फिनोकेम लि०
 - vi. रामकमल केमिकल्स प्रा० लि०
 - vii. पिरामल इंटरप्राजेस लि०
 - viii. मैट्रिक्स लेबोरेट्रीज लि०
 - ix. ए एम आई आर्गेनिक्स प्रा० लि०
 - x. पसुपति एक्रलॉन लि०
 - xi. इंडियन एक्रीलिक्स लि०
 - xii. वोक्हार्ड लि०
 - xiii. योगेश डाइसटफ प्रोडक्ट्स प्रा० लि०
 - xiv. सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लि०
 - xv. लुपिन लि०
 - xvi. आरोबिंदो फार्मा लि०
- झ) इसके उत्तर में निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया।
- i. रामनिकलाल एस गोसालिया एंड कंपनी
 - ii. आरोबिंदो फार्मा लि०
 - iii. पसुपति एक्रलॉन लि०
 - iv. इंडियन एक्रीलिक्स लि०
 - v. लौरस लैब्स लि०
- (ञ) मै० संदीप आर्गेनिक्स लि० ने केवल पत्र/अनुरोध दाखिल किए हैं और जांच के अनुरूप ऐसा करने के लिए निर्धारित समय के भीतर निर्धारित प्रारूप में कोई उत्तर दाखिल नहीं किए गए थे। इसके बावजूद, पक्षकार के संबंध में जो अनुरोध संगत पाए गए, उन पर विचार किया गया है और उन्हें शामिल किया गया है।

- (ट) प्राधिकारी ने अनुरोध करने पर निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर (ईक्यूआर) प्रस्तुत करने के लिए समय और समयावधि 02.03.2020 तक बढ़ा दी थी जिसे डीजीटीआर की वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था।
- (ठ) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य / अनुरोधों के अगोपनीय अंश को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराया, जिसमें सभी संगत पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई, जांच के लिए संगत हितबद्ध पक्षकारों की सूची के आधार पर ऐसे अनुरोधों का आदान-प्रदान करने के लिए पक्षकारों को निदेश दिया गया।
- (ड) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से अनुरोध किया गया था कि वे पिछले तीन वर्षों तथा जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेन-देन वार ब्यौरे उपलब्ध कराएं जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा का परिकलन करने और लेन-देनों की उचित जांच करने के बाद उसके विश्लेषण के लिए डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- (ढ) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- (ण) वर्तमान पाटनरोधी जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 जनवरी, 2019 से 30 सितंबर, 2019 (9 माह) की है। तथापि, क्षति जांच अवधि पर अप्रैल, 2016 – मार्च, 2017, अप्रैल, 2017 – मार्च, 2018, अप्रैल, 2018 – मार्च, 2019 और पी ओ आई की अवधि पर विचार किया गया है।
- (त) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रारंभिक जांच परिणामों के लिए अधिसूचित किया है। जैसा कि प्रारंभिक जांच परिणामों में दर्ज किया गया है, प्राधिकारी ने इन पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं और प्रारंभिक निर्धारण पर हितबद्ध पक्षकारों के विचारों पर विचार किया गया है और दिनांक 26.12.2020 को जारी किए गए प्रकटीकरण विवरण में उनकी संगतता के अनुसार इन्हें शामिल किया गया है।
- (थ) आवेदक, प्रतिवादी उत्पादकों और संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा प्रदान की गई सूचना का प्राधिकारी द्वारा आवश्यकता के अनुसार डेस्क सत्यापन कराया गया था। अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजन से यथा लागू आवश्यक संशोधनों / सुधारों के साथ केवल ऐसी सत्यापन योग्य सूचना पर भरोसा किया गया है।
- (द) नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 16 नवंबर, 2020 को हुई वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हुई एक सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचारों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया था। ऐसे सभी पक्षकारों को, जिन्होंने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, लिखित में अपने अनुरोध दाखिल करने और उसके बाद रिजवाइंडर, यदि कोई हो, दाखिल करने का अवसर प्रदान किया गया था।
- (ध) इस जांच की अवधि के दौरान अभी तक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों तथा प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियों पर, जहां तक ये साक्ष्य के समर्थन से संबंधित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत समझे गए हैं, प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणामों में उपयुक्त तरीके से विचार किया गया है और उन्हें शामिल किया गया है।
- (न) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की, गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर, आवश्यकता के अनुसार, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय के रूप में माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को, गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रदान करने का निदेश दिया गया था।
- (प) जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की अवधि के दौरान आवश्यक सूचना सुलभ कराने से इंकार किया है अथवा अन्यथा सूचना प्रदान नहीं की है अथवा जांच में पर्याप्त बाधा उत्पन्न की है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचारों/ आपत्तियों को दर्ज किया है।

- (फ) नियमों के नियम 16 के अनुसार, 26 दिसंबर, 2020 के प्रकटीकरण वक्तव्य के माध्यम से ज्ञात इच्छुक पक्षों को जांच के आवश्यक तथ्यों का खुलासा किया गया था और प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक मानी जाने वाली टिप्पणियों को इस अंतिम निष्कर्षों में संबोधित किया गया है।
- (फ) इस प्राथमिक जांच परिणाम में *** गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- (ब) प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 71.03 रुपए है।
- ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**
5. जांच की शुरुआत की अवस्था में विचाराधीन उत्पाद को निम्नलिखित अनुसार परिभाषित किया गया था :
- i). 'वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद डाईमिथाइल फोरमेमाइड है और इसे डी एम एफ के रूप में भी जाना जाता है'।
- ii). डाईमिथाइल फोरमेमाइड एक रंगहीन हाई ब्वॉयलिंग पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट है जिसमें एक विशिष्ट गंध होती है। यह गरम करने पर और अपनी डिस्टिलेशन तापन रेंज के अधीन स्थिर रहता है और जल, एल्कोहल, इथर, केटोन्स, ईष्टर, कार्बनडाई सल्फाइड तथा क्लोरीनेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ मुक्त रूप से मिश्रण योग्य है। संबद्ध वस्तु के अनुप्रयोग और प्रयोगों को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :-
- क. भेषज विनिर्माण में विलायक के रूप में
- ख. एक्रिलिक पोलिमर्स विनिर्माण में विलायक के रूप में
- ग. डी एम एफ के व्युत्पन्नों के संश्लेषण के लिए फीडस्टॉक के रूप में
- घ. कीटनाशक के निर्माण में विलायक के रूप में
- iii). विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी) को प्राथमिक रूप से आयात के समय-सीमा शुल्क उपशीर्ष 29211110 के अंतर्गत घोषित किया जाता है। तथापि, यह उपशीर्ष केवल सांकेतिक है और चूंकि जैसा याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी)का अन्य उपशीर्षों के अंतर्गत भी आयात होने की गुंजाइश है। इसलिए पी यू सी के दायरे में बाध्यकारी नहीं है। केवल सीमा शुल्क और उपशीर्ष के अंतर्गत पी यू सी के दायरे को प्रतिबंधित करना उचित नहीं होगा और उत्पाद वर्णन भी संगत होगा।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत पाए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-
- i. वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद सउदी अरब और चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डाईमिथाइल फोरमेमाइड (डी एम एफ) है। डाईमिथाइल फोरमेमाइड एक कार्बनिक यौगिक है। सी3एच7एनओ अथवा एचसीओएन (सीएच3)2 है और इसका रासायनिक नाम 'एन,एन-डाईमिथाइल फोरमेमाइड है।
- ii. 'डाईमिथाइल फोरमेमाइड' एक रंगहीन उच्च ब्वॉयलिंग पोलर एप्रोटिक्स विलियन है जिसमें एक विशिष्ट गंध होती है। यह गरम करने पर और अपनी डिस्टिलेशन तापन रेंज के अधीन स्थिर रहता है और जल, एल्कोहल, इथर, केटोन्स, ईष्टर, कार्बनडाई सल्फाइड तथा क्लोरीनेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ मुक्त रूप से मिश्रण योग्य है।
- iii. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के सीमा शुल्क उपशीर्ष 29211110 के अधीन आयातित किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
- iv. आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद के बीच कोई अंतर नहीं है।

- v. किसी भी प्रतिवादी निर्यातक/ आयातक ने आयातित डी एम एफ और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित डी एम एफ के बीच कोई अंतर नहीं बताया है। यह अनुरोध किया गया है कि डी एम एफ को ढेर (बल्क) में/ कंटेनर में अथवा एच डी पी ई ड्रमों में पैक करके बेचा जाता है। पैकिंग का तरीका उत्पाद में कोई अंतर नहीं करता। प्राधिकारी को पाटन और क्षति के मार्जिन के निर्धारण के सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए डी एम एफ की कंटेनर से कंटेनर और ड्रम से ड्रम तुलना करनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने पहले ही एन आई पी के लिए संगत सूचना सहित बल्क में और पैक किए गए उत्पाद के लिए लागत और कीमत से संबंधित सूचना अलग-अलग प्रदान की है।
- vi. संदीप आर्गेनिक्स प्रा० लि० के तर्कों में कोई प्रामाणिकता नहीं है क्योंकि उस पक्षकार ने अपनी मूलता को स्थापित नहीं किया है और कंपनी ने कोई प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है। यद्यपि ऐसी कंपनी, जिसके स्टेट्स की जानकारी नहीं है, ने उत्पाद की तुलनात्मकता पर चिंता व्यक्त की है, सहभागी उत्पादकों/ निर्यातकों और आयातकों/ प्रयोक्ताओं ने ऐसा कोई मामला नहीं उठाया है। कंपनी द्वारा उठाए गए तर्कों को सभी तथ्यों के आधार पर अस्वीकार किया गया है और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित डी एम एफ, नियमावली के नियम 2 (घ) के तात्पर्य से भारत में निर्यातित डी एम एफ से तुलनात्मक है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध इस प्रकार से हैं :-
 - i. संबंधित देश से आयातित और भारत में उत्पादित पी यू सी की तकनीकी और भौतिक विशेषताओं में कोई अंतर नहीं है। तथापि, संबंधित देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी) के लिए पहुंच कीमत भारत में उत्पादित वस्तु की कीमत से अलग हो सकती है।
 - ii. संबद्ध देशों की घरेलू बाजार में बेचा गया विचाराधीन उत्पाद और भारत को निर्यातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं की दृष्टि से समान है।
 - iii. घरेलू रूप से उत्पादित उत्पाद और आयातित उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है।
 - iv. विचाराधीन उत्पाद एक एकल उत्पाद है जो सभी बाजारों में भौतिक व रासायनिक रूप से समान है। एक मात्र अंतर यह है कि उत्पाद को बल्क में या ड्रम में बेचा जाता है।
 - v. संदीप आर्गेनिक्स प्रा० लि० ने यह तर्क दिया है कि निर्यातक और घरेलू उद्योग, दोनों का सत्यापन, निर्माण की प्रक्रिया और उत्पादन की गुणवत्ता में अंतर की दृष्टि से आवश्यक है। कंपनी द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि भारत में उत्पादित डी एम एफ और चीन जन. गण. से उत्पादकों से निर्यातित समान लुक्सी केमिकल में डाई मिथाइलमाइन, फोर्मिक एसिड, पीएच, कंडक्टिविटी, एफई, मिथानोल और डाई मिथाइल सिटामाइड के अंशों में अंतर होता है।
 - vi. पैकिंग के अनुसार पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण/ गणना की जानी चाहिए क्योंकि डी एम एफ की अलग-अलग पैकिंग के लिए अलग-अलग कीमत होती है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

8. विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी) से संबंधित मुद्दों के बारे में हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी द्वारा संगत पाए गए अनुरोधों की निम्नानुसार जांच की गई है और समाधान किया गया है।
9. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद सउदी अरब और चीन के मूल का अथवा वहां से निर्यातित डाईमिथाइल फोरमेमाइड (डी एम एफ) है।
10. डाईमिथाइल फोरमेमाइड यह एक रंगहीन हाई व्वायलिंग पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट है जिसमें एक विशिष्ट गंध होती है। यह गरम करने पर और अपनी डिस्टिलेशन तापन रेंज के अधीन स्थिर रहता है और जल, एल्कोहल, इथर, केटोन्स, ईष्टर, कार्बनडाई सल्फाइड तथा क्लोरीनेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ मुक्त रूप से मिश्रण योग्य है। पी यू सी का प्रयोग भेषज विनिर्माण में, एक्रिलिक पोलिमर्स विनिर्माण में और कीटनाशी नुस्खों में विलायक के रूप में होता है। इसका प्रयोग डी एम एफ के व्युत्पन्नों के संश्लेषण के लिए फीडस्टॉक के रूप में होता है।

11. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के सीमा शुल्क उपशीर्ष 2921 1110 के अधीन वर्गीकरण योग्य है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।
12. समान वस्तु के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ) के तहत प्रावधान इस प्रकार है:-
“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं हैं परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;
13. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों से यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू रूप से विनिर्मित और आयातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई अंतर नहीं है। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से उत्पादित और निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों उत्पाद अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ भारत में याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अंतर्गत संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु पाया गया है।
14. मै० संदीप आर्गेनिक्स प्रा० लि० द्वारा उठाए गए तर्कों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि तर्कों के साथ में कोई साक्ष्य नहीं है और मै० संदीप आर्गेनिक्स प्रा० लि० द्वारा किए गए डी एम एफ के आयातों और खरीदे गए डी एम एफ के कोई ब्यौरे प्रदान नहीं किए गए हैं जिससे कि पक्षकार द्वारा दावे किए गए ऐसे अंतरों की जांच की जा सके। साथ ही, सहयोगी निर्यातकों और आयातकों/ प्रयोक्ताओं ने भी अपने उत्तरों में यह कहा है कि आयात किए गए और घरेलू रूप से निर्मित किए गए डी एम एफ तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से तुलनीय है। इसे देखते हुए, मै० संदीप आर्गेनिक्स प्रा० लि० द्वारा किए गए तर्कों को अस्वीकार किया गया है।
15. जहां तक मार्जिन के निर्धारण के लिए बल्क और पैक की स्थिति में व्यापार किए जाने वाले उत्पाद की पृथक तुलना करने के दावों का संबंध है, इस अंतिम जांच परिणाम में पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए उपयुक्त तुलना की गई है।
16. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए गए संबद्ध उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं, वस्तुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणों, कार्यों व उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों और टैरिफ वर्गीकरण जैसे गुणों के संदर्भ में संबद्ध देशों से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं से तुलनीय हैं। दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता दोनों को ही बदल बदल कर उपयोग में ला रहे हैं।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

17. घरेलू उद्योग के दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में अब तक घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :
 क. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता मै० बालाजी एमाइंस लि० भारत में संबद्ध वस्तु के एक मात्र उत्पादक है और अभी तक का उत्पादन संबद्ध वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा बनता है। याचिकाकर्ता ने पाटित सामग्री का आयात नहीं किया या वह नियमों में यथा प्रदत्त संबद्ध वस्तु के निर्यातक / आयातक से संबंधित नहीं है। इस प्रकार याचिकाकर्ता योग्यता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में यथा परिभाषित घरेलू उद्योग भी है।
 ख. यह उल्लेखनीय है कि मै० आर सी एफ लिमिटेड भी संबद्ध वस्तु का उत्पादक था। आर सी एफ लि० ने याचिकाकर्ता की जानकारी के अनुसार अब कुछ समय से संबद्ध वस्तु का उत्पादन नहीं किया है।

- ग. वर्ष 2016-17 के शुरू के हिस्से में (वर्तमान जांच का आधार वर्ष) याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कुछ आयातों का ब्यौरा याचिका में ही प्रदान कर दिया गया था। ऐसे आयातों के तथ्यों की उत्पाद से संबंधित विगत जांच में शामिल किया गया था और ऐसे आयातों का नियम 2(ख) के तहत निर्धारण पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान आयात नहीं किया था।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

18. घरेलू उद्योग के स्वरूप के संबंध में अनुरोध और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभी तक दाखिल किए गए आधार नीचे दिए गए हैं :-
- क. याचिकाकर्ता ने आधार वर्ष में उसके द्वारा किए गए आयातों की मात्रा और उसके द्वारा किए गए आयातों के संबंध में किसी अन्य संगत सूचना का कोई ब्यौरा प्रदान नहीं किया है।
- ख. चूंकि आर सी एफ लिमिटेड के पास विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने की क्षमता है, अतः प्राधिकारी से यह सत्यापित करने का अनुरोध किया जाता है कि आर सी एफ ने वास्तव में भारत में जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद का वाणिज्यिक रूप से उत्पादन और बिक्री नहीं की है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

19. नियमावली का 2 (ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है :-
- “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले “घरेलू उद्योग” शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।*
20. यह नोट किया जाता है कि आवेदन मै० बालाजी एमाइंस लि० द्वारा दायर किया गया है जिन्होंने भारत में संबद्ध वस्तु के एक मात्र उत्पादक होने का दावा किया है। याचिका के अनुसार मै० राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टीलाइजर्स लि० (आर सी एफ लि०) भी संबद्ध वस्तु का उत्पादक था। तथापि, जैसा याचिका में प्रदत्त है, मै० आर सी एफ ने काफी समय से संबद्ध वस्तु का उत्पादन नहीं किया है। यह भी नोट किया जाता है कि मै० आर सी एफ लि० न तो याचिका का समर्थन किया है और न ही विरोध किया है।
21. मै० बालाजी एमाइंस लि० ने संबद्ध देशों से पी यू सी का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देशों में पी यू सी के किसी निर्यातक या उत्पादक से अथवा भारत में पी यू सी के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं।
22. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयातों के संबंध में, याचिका से यह नोट किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा जांच की अवधि के दौरान कोई आयात नहीं किए गए थे।
23. आर सी एफ लि० द्वारा भाग लेने के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि आर सी एफ लि० ने वर्तमान जांच के लिए उत्तर नहीं दिया है।
24. तदनुसार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक कंपनी अपनी स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करती है और नियमावली के नियम 2 (ख) और 5 (3) के अनुसार घरेलू उद्योग है।

ड. विविध मुद्दे

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

25. इस स्तर पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत कतिपय विविध मुद्दे निम्नानुसार हैं :
- इस मामले में तत्काल प्रारंभिक उपाय लगाना अपेक्षित है, क्योंकि घरेलू उद्योग पी ओ आई के दौरान वित्तीय घाटे झेल रहा है और यह रुझान अब भी जारी है। याचिका में समग्र क्षति पर चर्चा से पता चलता है कि ऐसी क्षति की विशालता क्षति के सभी प्रमुख मापदंडों के संबंध में बढ़ रही है।
 - यह घाटे पाटित आयातों द्वारा की गई क्षति से सीधे संबंधित हैं और अंतरिम उपायों के रूप में तत्काल राहत आवश्यक है ताकि घरेलू उद्योग जांच पूरी होने तक विनिर्माण को जारी रख सके।

- iii. वर्तमान मामले के तथ्य संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के भारी आयात को दर्शाते हैं, जो पाटन के अत्यधिक स्तर (55 से 60 प्रतिशत) पर समग्र रूप से बढ़े हैं और ऐसे लक्षित पाटन के लिए डी आई पर उसके प्रभाव को कम करने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता हैं। वास्तव में पाटित आयातों ने भारतीय मांग का लगभग *** प्रतिशत कब्जा रखा है और डी आई के लिए मांग में कोई उचित हिस्सा केवल पाटनरोधी शुल्क लगाकर ही सुनिश्चित किया जा सकता है।
- iv. संबद्ध वस्तु से संबंधित हाल की पाटनरोधी जांच (फा. सं. 6/37/2017- डीजीएडी दिनांक 23.10.2018) के अंत में पी यू सी के आयात पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाना संबद्ध देशों से उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा स्पष्ट रूप से भारत में पाटन में वृद्धि करने के सुनहरे अवसर के रूप में लिया गया है और उक्त जांच परिणामों के बाद पाटन की तीव्रता में तेजी से वृद्धि हुई है। डी आई पुनः प्राधिकारी के पास आया है, परंतु अब क्षति की स्थिति बहुत खराब है। यदि पाटनरोधी शुल्क शीघ्र लागू नहीं किए गए तो घरेलू उद्योग पूर्णतः बंद हो जाएगा और इसलिए विस्तृत जांच होने और प्राधिकारी द्वारा निश्चयात्मक उपाय लगाए जाने तक तत्काल अनंतिम उपायों के लिए प्रार्थना की जाती है।
- v. अनंतिम जांच परिणाम (पी एफ) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के संबंध में पाटन, क्षति और ऐसी पाटन और क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध की मौजूदगी को दर्शाते हैं। संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद पर इस अवस्था में पाटनरोधी शुल्क लगाना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि पाटन और क्षति गंभीर होती जा रही है और पहले से हो चुकी क्षति पर अभी भी ध्यान दिया गया है।
- vi. निर्धारित किए गए शुल्क की मात्रा प्रतिवादी निर्यातकों के लिए बहुत ही कम प्रतीत होती है। अपर्याप्त शुल्क से घरेलू उद्योग की कोई मदद नहीं होगी और यदि पर्याप्त शुल्क नहीं लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति पाए जाने के बाद भी क्षति होना जारी रहेगा।
- vii. शुल्कों से किसी भी तरह से सार्वजनिक हित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और डी एम एफ का उत्पादन करने वाली यूनिट की मौजूदगी निश्चय ही बड़े सार्वजनिक हित में होगी।
- viii. याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन करना आवश्यक है, ताकि आयातों पर भारतीय प्रयोक्ताओं की निर्भरता से बचा जा सके। डी एम एफ एक सोल्वेंट है, जो कि फर्मास्यूटिकल कंपनियों सहित प्रयोक्ताओं तक कुल लागत में एक महत्वपूर्ण भाग का उपयोग होने के बाद कुछ हद तक वसूली भी गई है। डी एम एफ एक फर्मास्यूटिकल इनपुट भी नहीं है और यह केवल एक सोल्वेंट है, जिसका जहां कहीं भी उपयोग किया जाता है, इससे रासायनिक क्रिया होती है।
- ix. कोई भी पाटनरोधी शुल्क किसी महत्वपूर्ण तरीके से प्रयोक्ताओं को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन पाटन के बीच उत्पादन जारी रखने के लिए याचिकाकर्ता के लिए ऐसे शुल्क आवश्यक हैं। ए एल के तहत आयात पाटनरोधी शुल्क के तहत आते हैं और प्रयोक्ता अभी भी अपाटित कीमतों पर आयात कर सकते हैं। पाटन के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई भी शुल्क किसी भी तरह से सार्वजनिक हित पर प्रभाव नहीं डालेंगे। भारत ने विगत में भी कई महत्वपूर्ण फर्मास्यूटिकल इनपुट पर पाटनरोधी शुल्क लगाए हैं और ऐसा कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, जो कुछ प्रयोक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के अनुसार फर्मास्यूटिकल उद्योग में प्रयुक्त रसायनों पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं दर्शाता। याचिकाकर्ता और डी एम एफ के निर्यातकों/ आयातकों के बीच समान मुकाबले के लिए पाटनरोधी शुल्क आवश्यक है।
- x. प्रतिवादी पक्षकारों का यह दावा कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से उनके उत्पादों के लिए इनपुट लागत में वृद्धि होगी, जिससे निर्यातों में कमी आएगी, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा में गिरावट आएगी, महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे पक्षकारों के पास, तैयार उत्पाद की लागत में डी एम एफ का हिस्सा बहुत ही कम होगा और इससे किसी भी तरह से निर्यात प्रतिस्पर्धा आदि पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यहां तक कि पाटनरोधी शुल्क के तहत अग्रिम लाइसेंस वाले निर्यातों के लिए आयात शामिल नहीं है।
- xi. यह तर्क दिया गया है कि कमतर उत्पादन और भारतीय उत्पादन की बिक्री की क्षमता के चलते बड़ी मांग वाले ग्राहकों से जुड़ना उनके लिए कठिन होगा और इसके कारण कमतर बिक्री प्राप्त हुई है और इसलिए घरेलू उद्योग की लाभप्रदता कम हुई है। यह तर्क स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को कम

- बिक्री प्राप्ति और कम लाभप्रदता का सामना करना पड़ा है। कम उत्पादन और बिक्री भारत में पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण थी और यदि पाटन नहीं होता तो, याचिकाकर्ता ने अधिक लाभकारी कीमत पर उत्पादन और बिक्री की होती।
- xii. यह तर्क दिया गया है कि कम मांग के कारण स्थापित उत्पादन क्षमता का अक्षम उपयोग होने से अधिक निर्धारित लागत आएगी और कम लाभ होगा। यह दावा सत्य नहीं है। क्षमता का अल्प उपयोग भारत में पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण से था और यदि पाटन नहीं होता तो, याचिकाकर्ता ने अधिक मात्रा में उत्पादन और बिक्री की होती।
- xiii. यह तर्क दिया गया है कि आयातित मेथनोल (डी एम एफ के निर्माण के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री) पर निर्भरता के कारण उत्पादन में विलम्ब हुआ है और निरंतर हानि हुई है। यह तर्क सत्य नहीं है। मामला यह है कि यद्यपि उत्पादन की लागत में गिरावट आई है, बिक्री कीमत में कमी ऐसी गिरावट से काफी अधिक थी और याचिकाकर्ता की बिक्री कीमत पर, जिसके कारण प्रभाव पड़ा है, वह संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की पहुंच कीमत में तेजी से गिरावट आने के कारण से है।
- xiv. यह तर्क दिया गया है कि घरेलू भागीदारों के पास भारतीय मांग को पूरा करने की प्रमाणित क्षमताएं नहीं हैं और पाटनरोधी शुल्क लगाने से उत्पाद की कमी नहीं होगी और डी एम एफ की कीमत में वृद्धि होगी। यह तर्क केवल स्वयं का हित साधने के लिए है। असल मामला यह है कि घरेलू उद्योग की क्षमता का काफी कम उपयोग हुआ है और ऐसे कम उपयोग का कारण पाटन था। नई क्षमताएं केवल तभी विकसित हो सकती हैं, जब कम क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग होता हो। हर हाल में, मांग आपूर्ति अंतराल उत्पाद के पाटन के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है।
- xv. यह तर्क दिया गया है कि 9 माह की जांच की अवधि के लिए चयन करने के लिए कोई आधार अथवा स्पष्टीकरण है। यह दावा सत्य नहीं है। याचिका में ही ऐसी जांच की अवधि का आधार शामिल है। जांच की अवधि, विगत जांच में अंतिम जांच परिणाम के बाद शुरू होती है और इस जांच के लिए संगत, घरेलू उद्योग को पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। जांच की अवधि का चयन किसी भी ढंग से मामले के महत्व को कम नहीं करता और जांच की अवधि सही है और प्रक्रिया के अनुसार है। ऐसी अनेक जांचें हैं जिनमें कि जांच की अवधि 6 माह या 9 माह या 15 माह या 18 माह के रूप में विचार की गई थी, जो प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर थी और कोई भी नियम यह नहीं कहता कि जांच की अवधि हमेशा 12 माह की ही होती है।
- xvi. यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग का वित्तीय निष्पादन भारत में समान वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों की लागत में अधिक वृद्धि होने से प्रभावित हुआ है। यह तर्क सत्य नहीं है। वास्तव में, उत्पादन की लागत में जांच की अवधि अर्थात् विगत वर्ष के दौरान गिरावट आई है। तथापि, बिक्री कीमत में कमी ऐसी गिरावट से काफी अधिक थी और जिसने याचिकाकर्ता की बिक्री कीमत को प्रभावित किया है, वह उसी अवधि के दौरान पाटित आयातों की पहुंच कीमत में तीव्र गिरावट आने के कारण से है।
- xvii. यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त आयात संबंधी डाटा का विवरण साझा नहीं किया। याचिकाकर्ता ने डीजीसीआई एंड के डाटा और नियमों के तहत यथा अपेक्षित सारांश सहित सभी संगत सूचना प्रदान की है, अतः इस तर्क का कोई मतलब नहीं है।
- xviii. यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में केवल शुल्क के संदर्भ रूप पर ही विचार किया जाना चाहिए और सार्वजनिक हित में कोई शुल्क नहीं लगाए जाने चाहिए। इस तर्क को अस्वीकार किए जाने की जरूरत है। वर्तमान मामले में कार्रवाई में शुल्क का उपयुक्त रूप से, केवल निर्धारित शुल्क का रूप होगा और शुल्क का संदर्भ रूप उपयुक्त होगा क्योंकि उत्पाद में कई बड़ी विविधताएं और व्यापक रेंज के उत्पाद शामिल नहीं हैं। संदर्भ कीमत के कारण प्रवंचना हो सकती है और शुल्क का रूप इस तरह का होना चाहिए कि यह शुल्क के अपेक्षित प्रयोजन को पूरा कर सके। डी एम एफ पर पाटनरोधी शुल्क लगाना सार्वजनिक हित में होगा क्योंकि याचिकाकर्ता एकमात्र उत्पादक है और पाटनरोधी शुल्क लगाकर इसकी मौजूदगी सुनिश्चित हो सकती है।

- xix. पूर्वव्यापी प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किए जाने के खिलाफ प्रतिवाद किए गए हैं। यह तथ्य कि पाटन और क्षति हाल के इस जांच परिणाम के बाद बढ़ी है कि पाटनरोधी शुल्क नहीं लागू जाएं, यह दर्शाता है कि पूर्व व्यापी प्रभाव से शुल्क लगाने की जरूरत है क्योंकि पक्षकार निर्यातक द्वारा की जा रही पाटन की प्रक्रिया से भली भांति परिचित थे लेकिन उन्होंने पाटन और क्षतिकारी कीमतों पर अधिक मात्रा में आयात करना जारी रखा। जैसा कि याचिका में स्पष्ट किया गया है। वर्तमान मामला पूर्व प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए भी एक उचित मामला है।
- xx. यह तर्क दिया गया है कि पाटनरोधी शुल्क की व्यवस्था के लिए घरेलू उत्पादकों की संरक्षणवादी व्यवस्था का सहारा नहीं लिया जा सकता। यह तर्क केवल एक आधारहीन तर्क है। घरेलू उद्योग ने क्षतिकारी पाटन और शुल्कों के खिलाफ संरक्षण की मांग की है ताकि डी एम एफ के पाटन के कारण क्षति को दूर किया जा सके, यह पाटनरोधी कानून के तहत एक न्यायोचित कार्रवाई है और कोई संरक्षणवादी उपाय भी नहीं है।
- xxi. यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान में, डी एम एफ की कमी है, क्योंकि मांग अधिक है और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति कम है। इस तर्क का कोई अर्थ नहीं है। घरेलू उद्योग की करीब 70 प्रतिशत क्षमता का उपयोग जांच की अवधि के दौरान नहीं हुआ और ऐसे उपयोग न होने के लिए कारण पाटन आयातों का मौजूद होना था। मांग आपूर्ति का अंतर पाटन के लिए न्यायोचित नहीं है। जैसा कि कई पाटनरोधी मामलों में हुआ है। वर्तमान मामला पाटन के कारण कम उपयोग का है और मांग व आपूर्ति अंतराल का नहीं है।
- xxii. यह तर्क दिया गया है कि घरेलू कीमतें और आयातों की पहुंच कीमत में, अधिसूचना के बाद वृद्धि हुई है। इस दावे का कोई आधार नहीं है क्योंकि यह सूचना केवल क्षति अवधि से संबंधित है, जो वर्तमान मामले में संगत है। साथ ही, कीमत में ऐसी वृद्धि अन्य कारकों के कारण, वर्तमान मामले में किसी भी तरह से पाटन और क्षति के दावे को प्रभावित नहीं करती।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

26. विविध मामले के रूप में विचार किए गए उत्तरों में विरोधी पक्षकारों ने अपने उत्तर में निम्नानुसार अनुरोध किए हैं :
- पाटनरोधी शुल्क लगाने से प्रयोक्ताओं / आयातकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
 - प्रयोक्ता पाटनरोधी शुल्क लगाने के विरुद्ध हैं।
 - पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से बालाजी अमिन्स लि० द्वारा एकाधिकार संबंधी व्यवहार होगा।
 - पाटनरोधी शुल्क लगाने से अंतिम प्रयोक्ताओं के स्तर पर उत्पाद की निविष्टी लागत में वृद्धि होगी। निविष्टी लागत किसी वृद्धि से निर्यातों हेतु निविदा के लिए उत्पाद अप्रतिस्पर्धी हो जाएगा जिससे संभावित रूप से निर्यातों में कमी आएगी। परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा आय में गिरावट आएगी।
 - कंपनी के लिए इतने कम समय के भीतर विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति के लिए अन्य स्रोतों की तलाश करना संभव नहीं होगा। यह ऐसा इस तथ्य के कारण है कि भारत में घरेलू उद्योग के पास संबद्ध वस्तु की आपूर्ति की काफी सीमित क्षमता है और कीमतें आयातित डी एम एफ की तुलना में प्रतिस्पर्धी नहीं हैं।
 - याचिकाकर्ता के दावों में दम नहीं है जैसा कि यह विगत जांच से और प्राधिकारी के विश्लेषण से स्पष्ट है। इस विगत जांच के जांच परिणाम सापेक्ष संदर्भ में आयात की मात्रा में अधिक गिरावट और याचिकाकर्ता के आर्थिक मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि को देखते हुए वर्तमान जांच के समान ही लागू होंगे।
 - प्रारंभिक जांच परिणाम गलत जारी किए गए हैं और इनमें प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया गया है। प्रयोक्ताओं के प्रारंभिक अनुरोधों को शामिल करने और विचार करने में विफलता तथा एक स्पष्ट प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मान्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

- viii. याचिकाकर्ता याचिका में निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए उसके द्वारा भरोसा किए गए डीजीसीआई एंड एस सौदा-वार आंकड़ों को प्रकट करने में विफल रहा है।
- ix. वर्तमान जांच में जांच की अवधि में जनवरी से सितंबर, 2019 तक की 9 माह की अवधि शामिल है। प्रयोक्ताओं का यह कहना है कि वर्तमान जांच में 9 माह की जांच की अवधि का चयन करना प्राधिकारी की विगत सामान्य प्रक्रिया को न मानना है। साथ ही, ऐसी जांच की अवधि का चयन करने के लिए कोई औचित्य भी नहीं दिया गया है।
- x. यदि प्राधिकारी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं तो प्रयोक्ता का प्राधिकारी से अनुरोध है कि संदर्भ कीमत के रूप में शुल्क पर विचार करें। यही कारण है कि वैश्विक रूप से विचाराधीन उत्पाद की कीमतें बढ़ी हैं। वर्तमान में, विचाराधीन उत्पाद के लिए पहुंच कीमत 109 -110 रूपए/ कि. ग्रा. के बीच है, जो कि याचिका में दी गई पहुंच कीमत से काफी अधिक है। साथ ही, याचिकाकर्ता (जो भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक होने का दावा करता है) भारत में प्रयोक्ता उद्योगों की जरूरत को पूरा करने में असमर्थ रहा है। ऐसे विगत के उदाहरण हैं, जिनमें कि अंतिम जांच परिणाम में शुल्क का रूप प्रारंभिक जांच परिणाम से भिन्न था।
- xi. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश के मामले में, फार्मा कंपनियों पर सार्वजनिक हित में, शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए, यदि वे अंतिम प्रयोक्ता प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं।
- xii. वर्तमान में, सउदी अरब से सी आई एफ 1350 यू एस डॉलर प्रति मी. टन सी आई एफ है। वर्तमान में चीन जन. गण. से सी आई एफ 1500 यू एस डॉलर प्रति मी. टन सी आई एफ है। वर्तमान में, भारतीय कीमत 112 -114 रूपए प्रति कि. ग्रा. स्टॉक बाह्य है।
- xiii. वर्तमान में, आयात व्यवहार्य नहीं है। अधिसूचना के बाद घरेलू कीमतों में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की क्षमता की व्यक्तिगत रूप से पुष्टि की जानी चाहिए।
- xiv. वर्तमान में, भारत में उत्पाद की कमी है क्योंकि मांग अधिक है और आपूर्ति कम है।
- xv. घरेलू उत्पादकों को संरक्षण देने के लिए पाटनरोधी शुल्क व्यवस्था का सहारा नहीं लिया जा सकता।
- xvi. वर्तमान जांच में पाटनरोधी शुल्क को पूर्वव्यापी प्रभाव से लगाने का कोई औचित्य नहीं है।
- xvii. डी एम एफ पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- xviii. क्षमता का कम उपयोग, जो घरेलू उद्योग के लिए एकमात्र सबसे बड़ी चिंता प्रतीत होती है, वह यह है कि घरेलू उद्योग ने इस वास्तविक तथ्य को प्रकट नहीं किया कि यही क्षमता अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे डी एम ए सी और डी एम ए एचसीसी के उत्पादन के लिए प्रयोग की गई है।
- xix. यहां तक कि यदि याचिकाकर्ता को 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग और घरेलू बाजार में अपने समग्र उत्पादन की बिक्री करनी थी, तो याचिकाकर्ता अपनी 60 प्रतिशत के करीब मांग को अवश्य पूरी कर सकता है। आयात प्रतिस्थापन की कमी को देखते हुए, भारत में प्रयोक्ता उद्योग के लिए यह अत्यधिक हानिकारक होगा। इनमें अधिकांश फार्मा कंपनियां शामिल हैं, जो संबद्ध वस्तु का सोल्वेंट के रूप में प्रयोग करती हैं।
- xx. यह नोट करना संगत है कि प्रयोक्ता द्वारा किया गया केवल मामूली आयात अंश (करीब 25 प्रतिशत) अग्रिम अधिकरण योजना का लाभ लेता है और करीब 75 प्रतिशत आयात शुल्क का भुगतान करने पर होते हैं। अतः याचिकाकर्ता का यह तर्क कि प्रयोक्ता अग्रिम अधिकरण का लाभ ले सकते हैं और पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन नहीं होंगे, यह तथ्यात्मक रूप से गलत है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

27. विविध मुद्दों के संबंध में उपरोक्त यथा उल्लिखित हितबद्ध पक्षकारों और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों की जांच की गई है और उन्हें निम्नानुसार शामिल किया गया है :-

- क) आवेदक द्वारा उठाए गए अंतरिम उपाय की जरूरत के संबंध में प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा और प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस जांच में अब तक किए गए अनुरोधों को नोट किया है और नियमावली के अनुसार उनकी जांच की है तथा इस अनंतिम जांच परिणाम में संगत स्थान पर समुचित रूप से उनका समाधान किया गया है।
- ख) प्रतिवादी पक्षकारों की इन अशंकाओं के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क से घरेलू उद्योग का व्यवहार एकाधिकारी हो जाएगा और प्रयोक्ताओं को परेशानी होगी, यह नोट किया जाता है कि किसी पाटनरोधी शुल्क का आशय ऐसे पाटन के कारण हुए क्षतिकारी प्रभाव को समाप्त करना होता है और क्षति / पाटन मार्जिन से कम यदि आवश्यक पाया जाए तो कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है। केवल पाटनरोधी शुल्क से प्रयोक्ताओं को वस्तु की उपलब्धता प्रतिबंधित नहीं होगी। देश में कुल मांग के विरुद्ध पी यू सी की आपूर्ति में किसी अंतर से पाटन और परिणामी क्षति यदि कोई हो, को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।
- ग) जहां तक अनंतिम शुल्कों की सिफारिश के संबंध में पक्षकारों के अनुरोधों का संबंध है, अनंतिम जांच परिणामों में ही ऐसी सिफारिश के लिए आवश्यक परिस्थितियां और आधार प्रदान किया गया है, जिनकी इस स्थिति में आगे जांच अपेक्षित नहीं है। तथापि, इन अनंतिम जांच परिणामों के विशिष्ट पहलुओं पर पक्षकारों की टिप्पणियां स्वतः ही यहां शामिल कर ली गई हैं।
- घ) इस अनुरोध के संबंध में कि जांच की अवधि 12 माह से कम नहीं हो सकती और साथ ही 9 माह की जांच की अवधि (पी ओ आई) न्यायोचित नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अधिनियम अथवा नियमावली अथवा पाटनरोधी करार 9 माह की जांच की अवधि रखने से नहीं रोकते। जांच की अवधि के संबंध में एक विशिष्ट प्रावधान फरवरी, 2020 में ही नियमों में शामिल किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के संबंध में पाटनरोधी प्रक्रियाओं संबंधी समिति के दिशा-निर्देशों में यह माना गया है कि जांच प्राधिकारी मामले विशेष आधार पर उपयुक्त जांच की अवधि (पी ओ आई) पर विचार कर सकते हैं, जो 6 माह से कम की नहीं हो सकती। वर्तमान जांच में, जांच की अवधि, 9 माह की है, जो डब्ल्यू टी ओ दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। जांच शुरू करते समय, प्राधिकारी ने सबसे ताजा अवधि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी, 2019 से 30 सितंबर, 2019 की अवधि को जांच की अवधि के रूप में स्वीकार किया है। इस अवधि को याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 01.10.2018 के बाद से विचार नहीं किया गया था क्योंकि जांच परिणाम दिनांक 23.10.2018 को समाप्त उत्पाद संबंधी पूर्व जांच के संबंध में है। अतः प्राधिकारी ने 9 माह की जांच की अवधि को अपनाया है। 12 माह से कम की जांच की अवधि को प्राधिकारी द्वारा अनेक पाटनरोधी जांचों में अपनाया गया है।
- ड.) इस दावे के संबंध में कि जांच की अवधि के बाद उत्पाद की कीमत में परिवर्तन हुआ है, यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच का दायरा जांच परिणाम अधिसूचना में पहले ही दर्शाया जा चुका है।
- च) प्रतिवादी पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट नहीं किया कि वही क्षमता अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे डी एम ए सी और डीएमए एचसीएल, के उत्पादन के लिए प्रयुक्त की गई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचार की गई क्षमता केवल संबद्ध वस्तुओं की है और डी एम एफ की क्षमता का ब्यौरा याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध है, जिसकी जांच की गई है।

च. गोपनीयता से संबंधित मामले

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

28. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- क. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना में उनके दावों की कोई उचित जानकारी नहीं दी गई है और अनुरोधों में अत्यधिक गोपनीयता का उपयोग किया गया है तथा सूचना का अभाव है। प्राधिकारी ऐसे पक्षकारों को नियमावली के नियम 7 की अपेक्षाओं को पूरा करने का निदेश दे सकते हैं और घरेलू उद्योग को ऐसे अनुरोधों पर टिप्पणियां प्रदान करने का एक अवसर प्रदान कर सकते हैं।

- ख. अरबिन्दो फार्मा लि० ने कंपनी के सम्पर्क नम्बर आदि जैसी सूचना को गोपनीय रखा है जो कंपनी द्वारा गोपनीयता का दावा करते समय उसकी तुच्छ सोच को दर्शाता है। कंपनी ने उत्तर के खंड-ग के तहत प्रश्न 7 के उत्तर को गोपनीय माना है, जिसमें कि पक्षकार के विचार में किसी ऐसे अन्य ज्ञात कारण के बारे में पूछा गया है, जिससे भारतीय उत्पाद को क्षति हुई हो। ऐसी सूचना के अभाव में, कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। यद्यपि कंपनी ने अपने तैयार उत्पाद पर डी एम एफ पर किसी पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव से संबंधित चिंता को उठाया है, लेकिन उत्तर में कोई सार्थक सारांश प्रदान नहीं किया गया है, जिससे कि ऐसे शुल्कों के महत्वपूर्ण प्रभाव को समझा जा सके। इस संबंध में महत्वपूर्ण सूचना उत्तर के अनुलग्नक 3 और 4 में दी गई है, जो बिना किसी सूचीबद्ध सारांश अथवा रेंज आदि से है, और गोपनीय रखी गई है।
- ग. लौरस लैब्स लि० ने उत्तरों के अनुलग्नकों को पूरी तरह से गोपनीय रखा है, जिसमें कोई सारांश, रेंज अथवा सूचीबद्ध सूचना नहीं दी गई है। कंपनी ने ऐसी अत्यधिक गोपनीयता को अपनाते समय वास्तव में गोपनीयता के प्रावधान का दुरुपयोग किया है। ऐसे दावों के लिए दिया गया कारण भी न्यायोचित नहीं है और संक्षिप्त है।
- घ. लुक्सी केमिकल ग्रुप कंपनी और इसके संबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए उत्तरों में भी अत्यधिक गोपनीयता का उपयोग किया गया है। निर्यातक ने खाली परिशिष्ट प्रस्तुत किए हैं, जिनमें कोई सारांश नहीं दिया गया है, जिसमें निर्यातक के दावों की कोई जानकारी नहीं मिलती।
- ड. एन सी वी उत्तर में ऐसे पक्षकारों के दावों की कोई उचित जानकारी नहीं मिलती और इससे ऐसे उत्तरों पर पर्याप्त टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए हमारा अवसर प्रभावित हुआ है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

29. गोपनीयता से संबंधित मामलों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- क. घरेलू उद्योग ने बिना कोई वैध कारण बताए काफी सूचना को गोपनीय रखा है और नियमों तथा प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट विस्तृत प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है।
- ख. घरेलू उद्योग ने डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त आयात संबंधी डाटा, मद-वार निर्मित सामान्य मूल्य के व्यौर, निर्यात कीमत के समायोजनों के संबंध में साक्ष्य, क्षति मापदंडों के संबंध में आंकड़ों की मात्रा और आर ओ सी ई तथा प्रतिशत संदर्भ में लाभप्रदता इत्यादि को गोपनीय रखा है, जो कि कानूनी प्रावधानों और प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों को देखते हुए अनुमत्य नहीं है।
- ग. याचिकाकर्ता ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और व्यापार सूचना 2018/10 का अनुपालन करने में विफल रहा है। याचिकाकर्ता ने उपरोक्त व्यापार सूचना के अनुबंध-1 द्वारा यथा निर्धारित दिशा-निर्देशों को पूरा नहीं किया है। इसका विस्तृत विश्लेषण दिनांक 14 मई, 2020 के पत्र के तहत दाखिल किया गया है।
- घ. जांच की शुरुआत करना कानून गलत है क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किया गया आवेदन काफी हद तक अधूरा और अपर्याप्त है, क्योंकि अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है। इस अत्यधिक गोपनीयता में, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 के साथ पठित जी ए टी टी के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन के अनुच्छेद 6.5.1 ("पाटनरोधी शुल्क") का उल्लंघन किया गया है।
- ड. याचिका में उत्पादन क्षमता प्रदान नहीं की गई है, यद्यपि यह याचिकाकर्ता के वित्तीय विवरणों में प्रकट कर दी गई है।
- च. सामान्य मूल्य की गणना के संबंध में सूचना के लिए गोपनीयता का दावा किया गया है जिसमें चीन जन. गण. और सउदी अरब, दोनों के लिए सामान्य मूल्य निकालने के लिए दावा किए गए सूचीबद्ध आंकड़ों को प्रकट नहीं किया गया है।
- छ. निर्यात कीमत के संबंध में याचिकाकर्ता ने न केवल सभी समायोजनों को गोपनीय माना है बल्कि समर्थन में लगाए गए दस्तावेजों और ऐसे समायोजनों के संबंध में सूचना को भी गोपनीय माना है।

- ज. खरीद नीति, बिक्री नीति, लेखांकन नीति, लागत लेखांकन नीति, गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया और जांचों को गोपनीय माना गया है, यद्यपि कंपनियों द्वारा अपनायी गई सामान्य नीतियों को प्रदान करने में कुछ भी गोपनीयता नहीं है।
- झ. याचिका के खंड VI के तहत प्रदान की जाने वाली अपेक्षित लागत संबंधी सूचना के संबंध में, उत्पादन की यूटिलिटी खपत, कच्ची सामग्री और पैकिंग सामग्री की खपत से संबंधित सूचना जैसी कतिपय सूचना जांच की अवधि के लिए और क्षति की अवधि के लिए प्रदान की जानी अपेक्षित है। तथापि, कोई भी प्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

30. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 के तहत यह प्रावधान है कि :-

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

31. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का आगोपनीय पाठ सभी हितबद्ध पक्षकारों को इस निर्देश के साथ उपलब्ध कराया कि निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय पाठ से संबंधित सार्वजनिक फाइल को भौतिक रूप से प्राप्त करने में समस्या को देखते हुए ई-मेल के जरिए हितबद्ध पक्षकारों के बीच ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करें।

32. घरेलू उद्योग और अन्य प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार जांच की गई थी और उन्हें तदनुसार शामिल किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई है। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने आवश्यकता के अनुसार गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अन्य पक्षकारों को प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ सभी हितबद्ध पक्षकारों के बीच उसे आदान-प्रदान करके उपलब्ध कराया गया। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी कारोबार संबंधी संवेदनशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना 10/2018 के तहत एक घरेलू उत्पादन को (जहां एक सिंगल उत्पादन याचिका दाखिल कर रहा है) कतिपय डाटा (जैसे उत्पादन क्षमता आदि) को वास्तविक डाटा के विरोध की प्रवृत्ति के रूप में प्रदान करना अपेक्षित है। अतः यह दावा कि याचिकाकर्ता ने वास्तविक मात्रा में सूचना आदि प्रदान नहीं की है, स्वीकार नहीं किया जा सकता।

**छ. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एम ई टी), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण
घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

33. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- क. चीन को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और संबद्ध देशों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाना चाहिए। नियमावली के अनुबंध-1 में पैरा 8 के अनुसार यह मान्यता होती है कि चीन में संबद्ध वस्तु के उत्पादक गैर बाजार अर्थव्यवस्था दशाओं में प्रचालन कर रहे हैं। अतः चीन जन. गण. संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का अनुमान नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार लगाया गया है।
- ख. उपर्युक्त के मद्देनजर संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में उत्पादन लागत, घरेलू उद्योग की लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों सहित विधिवत रूप से समायोजित करके उसके आधार पर किया गया है। इस पद्धति को चीन जन. गण. के विरुद्ध पूर्ववर्ती जांचों में प्राधिकारी द्वारा माना गया है।
- ग. संबद्ध देश से निर्यात कीमत का निर्धारण प्राप्त डीसीजीआई एंड एस से प्राप्त सौदावार आंकड़ों के अनुसार जांच की प्रस्तावित अवधि के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करते हुए किया गया है। मालभाड़ा, बीमा, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं।
- घ. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर उपर्युक्त चर्चा के अनुसार विचार करते हुए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है जिसके ब्यौरे रिकार्ड में याचिका से देखे जा सकते हैं। संबद्ध देश से पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम स्तर से अधिक है और काफी अधिक है।
- ड. प्राधिकारी पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए कंटेनर से कंटेनर और ड्रम से ड्रम डी एम एफ की बिक्री की तुलना कर सकते हैं, यद्यपि ऐसी अलग तुलना का विभिन्न क्षति मापदंडों के प्रसंग में कोई संबंध नहीं है।
- च. मेथनोल केमिकल्स कंपनी, सउदी अरब द्वारा प्रदान किए गए लागत संबंधी रिकार्ड में विचाराधीन वस्तु की उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागत नहीं दर्शाई गई है, जैसा कि नियमावली के अनुलग्नक-1 में विनिर्दिष्ट है, और यह सामान्य मूल्य के प्रयोजन के लिए कंपनी द्वारा प्रदान की गई लागत को अस्वीकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है।
- छ. मेथनोल केमिकल्स कंपनी के पास एक ऐसे पक्षकार, जिसका नाम प्रकट नहीं किया गया है, के साथ गैस आपूर्ति का करार है। प्राधिकारी इस करार के अनुसार कीमत की जांच कर सकते हैं क्योंकि ऐसे करार का कंपनी की उचित यूटिलिटी लागत पर प्रभाव पड़ता है। यह स्पष्ट है कि कंपनी ने संगत पक्षकारों से यूटिलिटी की खरीद की है और यूटिलिटी की लागत की पारदर्शिता की सख्ती से जांच की जानी अपेक्षित है।
- ज. मेथनोल केमिकल्स कंपनी के परिशिष्ट 6 से यह स्पष्ट है कि कंपनी ने प्रत्येक अवस्था में संगत पक्षकारों से इनपुट प्राप्त किए हैं और यह कंपनी पर था कि परिशिष्ट-II में भी संगत पक्ष सौदों के उचित ब्यौरे प्रदान करे लेकिन इन्हें "लागू नहीं" के रूप में दर्शाया गया है। निर्यातक द्वारा यह कहा गया था कि इस संबंध में प्राधिकारी को गोपनीय आदान-प्रदान करना था, जिसके लिए हम अपनी चिंता दर्ज करते हैं और प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे निर्यातकों को यह निदेश दें कि वे याचिकाकर्ताओं के साथ आवश्यक ब्यौरे साझा करें, जो कि ऐसे आदान-प्रदान के संबंध में नियमों के तहत भी आवश्यक हैं, यदि ऐसी सूचना निर्यातक प्रश्नावली उत्तर का भी भाग है। अतः संगत पक्षकारों से इनपुट की खरीद कीमत की पारदर्शिता के रूप में उत्पाद की लागत का निर्धारण करते समय कंपनी के परिशिष्ट 6 पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
- झ. जब संगत पक्षकार से इनपुट की खरीद के मामले में प्रकटीकरण किए जाने की अपेक्षा थी तो मेथनोल केमिकल कंपनी ने यह उत्तर दिया कि परिशिष्ट-II लागू नहीं है। केवल यही, निर्यातक द्वारा दिए गए

उत्तर को अस्वीकार करने का कारण हो जाएगा। जब तक कि परिशिष्ट 6 और परिशिष्ट-II का सह संबंध नहीं हो, कंपनी द्वारा दावा की गई इनपुट लागत का किसी लागत निर्धारण प्रक्रिया के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

- ज. पाटनरोधी नियमावली के उप नियम 1 के अनुलग्नक-I के तहत यह कहा गया है कि निर्यातक द्वारा रखे गए रिकार्ड में विचाराधीन वस्तु के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागत पर्याप्त रूप से दर्शाई जानी चाहिए। इस स्पष्टीकरण के अभाव में कि क्या निर्यातक द्वारा विचार की गई कीमत उचित बाजार कीमत को दर्शाती है अथवा नहीं। दावा की गई लागत की तर्कसंगतता की प्राधिकारी द्वारा जांच नहीं की जा सकती, जिसके कारण मेथनोल केमिकल कंपनी द्वारा दावा की गई लागत को अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- ट. अनंतिम जांच परिणाम यह दर्शाते हैं कि मेथनोल केमिकल्स कंपनी की घरेलू बिक्री पर सामान्य जांच प्रक्रिया (ओ सी टी) के बाद सामान्य मूल्य के लिए विचार नहीं किया गया था। लेकिन अब वास्तविक मामला यह है कि निर्यातक द्वारा ही दावा की गई लागत असंबद्ध है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी निर्यातक की लागत को अस्वीकार कर सकते हैं और भारतीय लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण कर सकते हैं क्योंकि घरेलू कीमत और तीसरे देश की कीमत नियमों के अनुसार सभी अपेक्षित व्यौरों के साथ लागत का सत्यापन किए बिना सामान्य जांच प्रक्रिया (ओ सी टी) के अध्यधीन नहीं हो सकती।
- ठ. मेथनोल केमिकल्स कंपनी ने तीसरे देश की निर्यात कीमत को सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए अनुरोध किया था, यद्यपि कंपनी द्वारा उत्तर दाखिल करते समय ऐसे किसी विकल्प का दावा नहीं किया गया था। तीसरे देश की कीमत के लिए भी अनुलग्नक-I के उप नियम 2 के तहत ओ सी टी जांच की जानी है। तथापि, मामला यह है कि कंपनी द्वारा दावा की गई लागत स्पष्ट रूप से असंबद्ध है और उस पर ओ सी टी जांच के लिए विचार नहीं किया जा सकता।
- ड. यह मेथनोल केमिकल्स कंपनी पर निर्भर करता है कि वह अनुलग्नक-I की अपेक्षाओं का पालन करे और ऐसा करने में कोई भी विफलता होने के कारण निर्यातक द्वारा दिए गए उत्तर को अस्वीकार किया जा सकता है।
- ढ. अनंतिम जांच परिणाम यह दर्शाते हैं कि प्राधिकारी ने लायोचेंग लुक्सी मिथाइलामाइन केमिकल्स कंपनी लि० के लिए अनंतिम व्यक्तिगत मार्जिन का निर्धारण किया है। ऐसा मार्जिन तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ऐसे मार्जिन का दावा करने के लिए कोई उपयुक्त उत्तर दाखिल नहीं किया गया है।
- ण. लायोचेंग लुक्सी मिथाइलामाइन केमिकल्स कंपनी लि० ने कोई प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया और उनके लिए निर्धारित अनंतिम व्यक्तिगत मार्जिन लुक्सी केमिकल ग्रुप कंपनी लि० नाम उत्पादक द्वारा दाखिल किए गए निर्यातक प्रश्नावली उत्तर के आधार पर है। लुक्सी केमिकल ग्रुप कंपनी लि० का उत्तर यह दर्शाता है कि उन्होंने दिनांक 1 जनवरी, 2020 से लायोचेंग लुक्सी मिथाइलामाइन केमिकल्स कंपनी लि० जैसे डी एम एफ कारोबार को हस्तांतरित किया। ऐसे मामले में किस क्षमता पर लुक्सी केमिकल ग्रुप कंपनी लि० ने ऐसी तारीख के काफी बाद निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया, जिसने अन्य संस्था पर प्रदान किए गए मार्जिन के लिए अनुरोध किया गया, यह स्पष्ट नहीं है।
- त. यद्यपि यह स्पष्ट है कि उत्तर दाखिल करने के समय जांच के लिए संगत संस्था लायोचेंग लुक्सी मिथाइलामाइन केमिकल्स कंपनी लि० थी, लेकिन उत्पादक के रूप में लुक्सी केमिकल ग्रुप कंपनी लि० से संबंधित सूचना प्रदान की गई थी। प्रभावी रूप से, प्राधिकारी ने एक संस्था के लिए मार्जिन निर्धारित किया, जिसने उत्तर दाखिल नहीं किया था।
- थ. उत्तर में विभिन्न प्रमाणन लुक्सी केमिकल ग्रुप कंपनी लि० द्वारा प्रदान किया गया था लेकिन यह नहीं दर्शाया गया कि कैसे ये प्रमाणन लागू होते हैं और सही है, जब कारोबार अन्य संस्था को पहले ही स्थानांतरित किए जा चुके हैं। लुक्सी द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान करने का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि यह अनुरोध अन्य संस्था को मार्जिन प्रदान करने के लिए है, जिसने उत्तर दाखिल नहीं किया।

- द. लायोचेंग लुक्सी मिथाइलामाइन केमिकल्स कंपनी लि० को उत्तर दाखिल करना चाहिए, यदि वे पूर्ववर्ती संस्था द्वारा किए गए निर्यातों के आधार पर आई एम चाहते हैं और साथ ही, लायोचेंग लुक्सी मिथाइलामाइन केमिकल्स कंपनी लि० को सभी प्रामाणिकता प्रदान करना भी है, जो वर्तमान मामले में नहीं किया गया और संस्था को जाने बिना कोई भी मार्जिन निर्धारित नहीं करना चाहिए।
- ध. उत्तर में लायोचेंग लुक्सी मिथाइलामाइन केमिकल्स कंपनी लि० के ब्यौरे नहीं दर्शाए गए और डी एम एफ के साथ इसका संबंध नहीं दर्शाया गया। क्या यह कंपनी डी एम एफ के कुछ अन्य उत्पादकों से भी संबद्ध है, क्या इस कंपनी की डी एम एफ का उत्पादन करने के लिए कोई अन्य फैक्ट्रियां हैं, क्या इसका डी एम एफ का उत्पादन करने वाले किसी अन्य उत्पादक पर कोई प्रबंधकीय नियंत्रण है, भविष्य में प्रबंधन निर्णयों का क्या होने वाला है अर्थात् भारत को डी एम एफ के निर्यातों के संबंध में, इन सभी का कोई उत्तर नहीं है क्योंकि लायोचेंग लुक्सी मिथाइलामाइन केमिकल्स कंपनी लि० द्वारा कोई भी उत्तर दाखिल नहीं किया गया है।
- न. जब तक लायोचेंग लुक्सी मिथाइलामाइन केमिकल्स कंपनी लि० की डी एम एफ के मूल उत्पादक/निर्यातक के रूप में साख के बारे में उचित उत्तर के द्वारा प्राधिकारी को पता नहीं चल जाता, लायोचेंग लुक्सी मिथाइलामाइन केमिकल्स कंपनी लि० के लिए कोई आई एम निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। नियम 17 (3) के तहत यह प्रावधान है कि प्राधिकारी विचाराधीन वस्तु के प्रत्येक ज्ञात निर्यातक अथवा संबंधित उत्पादक के लिए पाटन का व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित नहीं करेंगे। लायोचेंग लुक्सी मिथाइलामाइन केमिकल्स कंपनी लि० ने उत्तर के जरिए विचाराधीन उत्पाद के एक उत्पादक अथवा निर्यातक के रूप में उन्हें जानकारी नहीं दी है और इस कंपनी के लिए कोई मार्जिन निर्धारित नहीं किया जा सकता।
- प. प्रतिवादी पक्षकारों ने चीन जन. गण. के लिए प्रारंभिक जांच पड़ताल में प्रयुक्त सामान्य मूल्य के आधार पर प्रश्न उठाया है। चीन जन. गण. के मामले में, नियमों के अनुसार सामान्य मूल्य का आधार अनंतिम जांच परिणाम में स्पष्ट किया गया है, जो नियमों के अनुसार है और इन्हें अंतिम जांच परिणामों में भी अपनाए जाने की जरूरत है। कानूनी स्थिति यह नहीं है कि चीन जन. गण. पाटनरोधी प्रयोजनों के लिए एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है और चीन जन. गण. को एक एन एम ई देश के रूप में मानना जारी रहेगा। तथापि, एन एम ई की अवधारणा का, निर्दिष्ट उत्तर में उत्तर देकर निर्यातकों द्वारा खंडन किया जा सकता है, जिसे पक्षकारों द्वारा यहां दाखिल नहीं किया गया था। ऐसे उत्तर के अभाव में पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई लागत और घरेलू कीमत का कोई संबंध नहीं है और याचिका तथा अनंतिम जांच परिणामों में अपनाए गए आधार ही बने रहे सकते हैं।
- फ. सामान्य मूल्य का आधार, अर्थात् चीन जन. गण. ने अनंतिम जांच परिणाम में अपनाए गए आधार सभी हाल की जांचों के अनुसार है और दिनांक 11 दिसम्बर, 2016 को डब्ल्यू टी ओ को चीन जन. गण. के प्रोटोकोल ऑफ एक्सेसन के पैरा 15 (क) (ii) में यथा प्रदत्त शर्तों की समाप्ति का, दावा किए गए सामान्य मूल्य के ऐसे आधार से कोई संबंध नहीं है, जो कि प्राधिकारी के निर्णयों में एक निपटाया गया मामला है, जैसा कि चीन जन. गण. से संबंधित हाल के जांच परिणामों से स्पष्ट है।
- ब. यह नोट किया गया है कि सउदी अरब से सहयोगी उत्पादक के आधार पर सामान्य मूल्य चीन जन. गण. के लिए भी अपनाया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव में कोई तर्क संगतता नहीं है। केवल एक एम ई तीसरे देश से भाग लेना ही नियम की अपेक्षा को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और उत्तर में सउदी अरब को एक उचित तीसरे देश के रूप में मानने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथापि, हमने सउदी से कंपनी द्वारा दाखिल किए गए उत्तर और अनंतिम जांच परिणाम में दिए गए उत्तर पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, अतः प्राधिकारी ने भारत में लागत के आधार पर ऐसे देश के लिए भी एन वी का निर्धारण किया है। यह भी देखा गया था कि सउदी से सहयोगी उत्पादक के मामले में पाटन मार्जिन भी महत्वपूर्ण रूप से सकारात्मक है। इस प्रकार, प्रस्ताव में कोई तथ्यात्मक अथवा कानूनी आधार नहीं है।

- भ. सामान्य मूल्य के लिए चीन जन. गण. से उत्तर पर विचार करने के लिए अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अंतिम जांच परिणाम में अपनाया गया आधार नियम के अनुसार है और तर्कसंगत भी है कि अंतिम जांच परिणामों में भी यही अवधारणा अपनाई जानी चाहिए।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

34. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- क. वर्तमान जांच में चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण कानूनी प्रावधानों के अनुसार नहीं है और इसीलिए चीन के उत्पादक के लिए वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन का उपयुक्त निर्धारण नहीं किया गया है।
- ख. चीन जन. गण. से कंपनियों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उनकी घरेलू बिक्रियों और संबद्ध वस्तुओं की लागत के आधार पर इस तथ्य को देखते हुए किया जाना चाहिए कि घरेलू कीमतों अथवा चीन के उत्पादकों की लागतों की असहमति के लिए 15 वर्षों की अवधि, बाजार की आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं है, जैसा कि डब्ल्यू टी ओ के लिए चीन जन. गण. के प्रोटोकॉल ऑफ़ एक्सेसन के पैरा 15 (क) (ii) में प्रदान किया गया है, जो पैरा 15 (घ) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 11 दिसम्बर, 2016 को समाप्त हो गई है और प्रचालन में नहीं है।
- ग. चीन के प्रतिवादी उत्पादक की लागतों की उनके द्वारा रखे गए रिकार्ड के आधार पर गणना की जाती है, जो कि चीन के सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है और तर्कसंगत रूप से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागतों को दर्शाती है, जो पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत निर्धारण के लिए आधार होना चाहिए।
- घ. घरेलू उद्योग ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया है जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक-1 के पैरा 7 के तहत दिया गया है, न ही उसमें निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए कोई प्रयास किया गया है। यह अवधारणा शेनयांग मतसुशिता मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ है।
- ड. न्याय और पारदर्शिता के हित में यह प्रस्तुत करना है कि चूंकि बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश अर्थात् सउदी अरब से एक उत्पादक नामतः मै० मेथनोल केमिकल्स कंपनी ने इस जांच में उत्तर दिया है और सभी संगत सत्यापन योग्य सूचना प्रदान की है और यह कि यह सूचना इस उत्पादक के लिए इसका सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रयोग की गई है, अतः हम पैरा 7 में प्रदान किए गए पहले विकल्प को देखते हुए सउदी अरब से मै० मेथनोल केमिकल्स कंपनी की सूचना के आधार पर चीन से उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने का अनुरोध करते हैं।
- च. निर्यात कीमत के संबंध में, यह नोट करना संगत है कि याचिकाकर्ता ने बिना किसी तर्कसंगत आधार के याचिका के अनुलग्नक 3.2 में इसके द्वारा किए गए समायोजनों के संबंध में सूचना प्रदान नहीं की है। इसे देखते हुए प्रयोक्ता इस स्थिति में नहीं है कि इस मामले पर सार्थक टिप्पणी की जाए। याचिकाकर्ता को निर्यात कीमत की गणना के लिए किए गए वास्तविक समायोजनों के संबंध में सूचना प्रदान करनी चाहिए।
- छ. प्रयोक्ता का यह कहना है कि याचिकाकर्ता के इस तर्क कि “पाटन में वृद्धि (विगत जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन की तुलना में) पाटन की आशंका दर्शाती है” को अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि प्राधिकारी को मूल पाटनरोधी जांच में पाटन की आशंका का निर्धारण करने की जरूरत नहीं है।
- ज. प्राधिकारी संबद्ध देशों से सहयोगी उत्पादक/निर्यातक द्वारा दाखिल किए गए उत्तर और प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक के लिए, घरेलू उद्योग के तर्कों की बजाय उनके द्वारा प्रदान किए गए वास्तविक डाटा के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यातक कीमत के आधार का सत्यापन कर सकते हैं।

- झ. प्राधिकारी ने चेमानोल द्वारा भारत के अलावा अन्य देशों की निर्यात कीमत के ब्यौरे प्रदान करने के बावजूद सामान्य मूल्य की गणना की दूसरी पद्धति को अपनाकर सामान्य मूल्य के निर्धारण की स्पष्ट रूप से उपेक्षा की है। चेमानोल द्वारा प्रदान की गई निर्यात कीमतों पर विचार न करके कोई भी कारण नहीं दिया गया है। अतः चेमानोल के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण अधिनियम के प्रावधानों के असंगत प्रतीत होता है। प्रतिवादी आयातक चेमानोल के लिए सामान्य मूल्य का पुनः निर्धारण करने के लिए और तदनुसार पाटन मार्जिन में संशोधन करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं।
- ञ. घरेलू उद्योग ने सउदी अरब और चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए कोई अनुमत्य साक्ष्य प्रदान नहीं किया है।
- ट. सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए किए गए समायोजन पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुलग्नक-1 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क (1) के स्पष्टीकरण (ग) के अनुसार तर्कसंगत नहीं है।
- ठ. निर्यात कीमत के संबंध में किए गए समायोजन अत्यंत अधिक है और अप्रमाणित है तथा घरेलू उद्योग को मौजूदा क्षति का कोई साक्ष्य नहीं है।
- ड. यद्यपि प्रतिवादी यह जानते हैं कि पाटन के मार्जिन का अंतिम विश्लेषण संबद्ध देशों से सहयोगी निर्यातकों के सत्यापन योग्य डाटा के आधार पर होगा, तथापि उससे बिना किसी दस्तावेजी समर्थन के याचिका के लिए प्राधिकारी की स्वीकार्यता स्पष्ट नहीं होती। तथापि, प्राधिकारी ने न केवल जांच शुरू की है बल्कि घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल की गई याचिका की सटीकता और पर्याप्तता की पहले जांच किए बिना प्रारंभिक जांच परिणाम भी जारी किए हैं। आगे जांच शुरू करने और जांच करके प्राधिकारी की कार्रवाई ने भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित पाटनरोधी अधिनियम के अनुच्छेद 5 के प्रावधानों को निरर्थक बना दिया है।
- ढ. कानूनी प्रावधानों को निरर्थक बनाने के अलावा, प्राधिकारी के जांच परिणामों को, प्रतिवादी के अनुरोध पर विचार न करने के लिए तुच्छ बनाकर इसकी जांच को छोड़ दिया है। इस कारण से भी प्रारंभिक जांच परिणाम को अलग किया जाना चाहिए।
- ण. गैस आपूर्ति करारों के संबंध में याचिकाकर्ता के दावों के संबंध में प्रतिवादी ने गोपनीय उत्तर के साथ उक्त गैस आपूर्ति करार की एक प्रति प्रदान की है और प्राधिकारी स्वयं इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि यूटिलिटी की खरीद संगत पक्षकारों से नहीं की गई थी।
- त. इस दावे के संबंध में कि प्रतिवादी द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तर के परिशिष्ट 6 में यह दर्शाया गया है कि प्रत्येक अवस्था में संगत पक्षकारों से इनपुट की खरीद की गई थी, अतः यह अनुरोध किया जाता है कि परिशिष्ट 6 में चेमानोल द्वारा कोई संगत पक्षकार खरीद की सूचना नहीं दी गई थी। प्राधिकारी उसके पास दाखिल उत्तरों की पुष्टि कर सकते हैं और उनकी जांच कर सकते हैं। इसी कारण के लिए परिशिष्ट 11 चेमानोल के लिए लागू नहीं है क्योंकि कोई संगत पक्षकार सौदे नहीं थे। घरेलू उद्योग ऐसे मामलों को उठा रहा है, जिनका वास्तविक रूप से कोई आधार नहीं है और उन्हें अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- थ. पाटनरोधी प्रावधान इसे स्पष्ट करते हैं कि प्रतिवादी निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन, ऐसे उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा आपूर्ति की गई सत्यापन योग्य सूचना के आधार पर ही होना चाहिए। केवल इस कारण से कि घरेलू उद्योग यह महसूस करता है कि निर्धारित किया गया शुल्क इतना कम है कि वह शुल्क की दर में वृद्धि का आधार नहीं हो सकता।
- द. यह अनुरोध किया जाता है कि हमने मै० लुक्सी केमिकल ग्रुप कंपनी लि० से क्लोरोलकाली केमिकल ब्रांच से अन्य संगत कंपनी मै० लियोचेंग लुक्सी मिथाइलामाइन केमिकल कंपनी लि० को जनवरी, 2020 में डी एम एफ उत्पादन लाइन के हस्तांतरण के तथ्यात्मक ब्यौरे प्रदान किए हैं, जो कि वर्तमान जांच में जांच की अवधि अर्थात् जनवरी, 2019 से सितम्बर, 2019 की समाप्ति के बाद की अवधि है। हमने लुक्सी एम सी, हस्तांतरित कंपनी के करोबारी लाइसेंस के ब्यौरे भी प्रदान किए हैं। हम प्रश्नावली फार्मेट में ब्यौरों सहित कोई अतिरिक्त सूचना प्रदान करने के भी इच्छुक हैं, जैसा कि लुक्सी एम सी से अपेक्षित है।

35. जहां तक सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार की उपयुक्तता तथा जांच की शुरूआत के लिए विचार किए गए विभिन्न समायोजनों की सटीकता और साथ ही अनंतिम जांच परिणाम के संबंध में विभिन्न तर्कों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि सभी मामलों में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर, लागू नियमों तथा प्राधिकारी की निरंतर प्रक्रियाओं के अनुसार विचार किया गया था और किसी भी पक्षकार द्वारा, अपनाई गई ऐसी गणनाओं में कोई बड़ा भ्रम दिया गया है। उपरोक्त के बावजूद, पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों पर विचार करने के बाद प्रयुक्त करने हेतु प्रस्तावित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का आधार अब इस अंतिम जांच परिणाम में प्रकट किया गया है।
36. प्राधिकारी ने संबंधित देशों से ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं और उनसे प्राधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र और ढंग से सूचना देने का अनुरोध किया था। निम्नलिखित उत्पादकों / निर्यातकों ने विहित प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं :-

- i. मेथेनाल केमिकल्स कंपनी,
- ii. मै० लक्सी केमिकल ग्रुप कंपनी लि०, क्लोर-अल्काली केमिकल ब्रांच, चीन,
- iii. मै० शानडांग लियाओचेंग लक्सी न्यू मैटेरियल सेल कंपनी, लि०, चीन और
- iv. मै० लियाओचेंग रूइजिन (हांगकांग) कंपनी, लि०,

सामान्य मूल्य

37. धारा 9 (1) (ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :
- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
 - (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा।
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा
 - (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।
38. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है: "जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :
- (क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:
 - (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14 (क), 14 (ख), 14 (ग) और 14 (घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।
- (ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

चीन जन. गण. में सभी सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

सामान्य मूल्य

39. जांच शुरुआत के स्तर पर प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अंतर्गत विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद प्रथमदृष्ट्या यह निष्कर्ष निकाला था कि परिकलित सामान्य मूल्य से इतर विकल्प इस मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु व्यवहार नहीं है। जांच शुरुआत पर प्राधिकारी ने चीन जन. गण. में उत्पादकों / निर्यातकों को जांच शुरुआत की सूचना का उत्तर देने तथा इस निर्धारण के लिए संगत सूचना प्रदान करने की सलाह दी थी कि क्या सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ उनके आंकड़े / सूचना अपनाई जा सकती है।
40. प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना मंगाने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार / पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजी थीं। परंतु किसी भी उत्पादक / निर्यातक ने एम ई टी दर्जे का दावा नहीं किया है। इस स्थिति तथा इस तथ्य के मद्देनजर की न तो याचिकाकर्ता और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार ने नियमावली के अनुबंध-1 के नियम 7 के किसी परंतुक के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। अतः सामान्य मूल्य को एसजीए व्ययों और नियमावली के पैरा 6 (8) के अनुसार उत्पादन लागत पर 5 प्रतिशत की दर से तर्कसंगत लाभ के लिए आवश्यक समायोजन सहित यथा मानकीकृत भारत में उत्पादन लागत को अपना कर परिकलित किया गया है। अतः परिकलित सामान्य मूल्य *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन है।

निर्यात कीमत

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै० लक्सी केमिकल ग्रुप कंपनी लि०, क्लोर-अल्काली केमिकल ब्रांच, चीन, मै० शानडांग लियाओचेंग लक्सी न्यू मैटेरियल सेल कंपनी, लि०, चीन और मै० लियाओचेंग रूइजिन (हांगकांग) कंपनी, लि०, संबंधित कंपनियों ने उत्तर दिया है और निवल निर्यात कीमत (एन ई पी) निर्धारित करने हेतु अपेक्षित सूचना प्रदान की है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा और अन्य पर किए गए खर्च को उनकी सीआईएफ निर्यात

कीमत से घटा दिया गया है। उपर्युक्त व्ययों को समायोजित करने के बाद प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ निवल कारखाना बाह्य निर्यात कीमत *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन है।

चीन जन. गण. में सभी असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक / निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। अतः सहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यथा उल्लिखित निर्धारित सामान्य मूल्य को असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए भी अपनाया गया है।

चीन जन. गण. से असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से किसी उत्पादक / निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। चीन जन. गण. सभी असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों अर्थात् मै० लक्सी केमिकल ग्रुप कंपनी लि०, क्लोर-अल्काली केमिकल ब्रांच, चीन, मै० शानडांग लियाओचेंग लक्सी न्यू मैटेरियल सेल कंपनी, लि०, चीन और मै० लियाओचेंग रूइजिन (हांगकांग) कंपनी, लि० द्वारा प्रस्तुत उत्तर से सबसे कम निर्यात कीमत को अपना कर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है।

सउदी अरब में सहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

सामान्य मूल्य

44. यह नोट किया जाता है कि सउदी अरब से मेथेनॉल केमिकल कंपनी ने अलग मार्जिन के दावे के लिए वर्तमान मामले में ईक्यू का उत्तर प्रस्तुत किया है। यह पहले देखा गया कि क्या प्रतिवादी उत्पादक / निर्यातक द्वारा उनके घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री प्रतिनिधि थी अथवा नहीं और उनकी घरेलू बिक्री कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना व्यवहार्य है और क्या कंपनी द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार व्यापार का सामान्य प्रक्रिया परीक्षण पूरा होता है। कंपनी ने अपने घरेलू बाजार में समान वस्तु की बिक्री के सौदावार ब्यौरे प्रदान किये हैं। यह पाया गया है कि प्रतिवादी उत्पादक / निर्यातक द्वारा उनके घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्रियां प्रतिनिधि नहीं हैं, क्योंकि वह भारत को पी यू सी के कुल निर्यात के 5 प्रतिशत से कम हैं। भारत से इतर तीसरे देश को निर्यातों के ब्यौरे उत्पादक / निर्यातक से मांगे गए थे। निर्यातक ने भारत से इतर देशों से निर्यात कीमत के ब्यौरे प्रदान किए हैं। तुलना के लिए उपयुक्त देश की पहचान न होने पर प्राधिकरण ने पीयूसी के उत्पादक/निर्यातक की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया है जिसे उचित कार्यप्रणाली माना गया है क्योंकि तीसरे देश के निर्यात के लिए व्यापार परीक्षण के साधारण पाठ्यक्रम को पूरा करने की भी आवश्यकता होगी। निर्धारित सामान्य मूल्य बल्क के लिए *** यू एस डॉलर प्रति मी. टन और पैकेज के लिए *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन है।

निर्यात कीमत

45. सउदी अरब से मेथेनॉल केमिकल कंपनी द्वारा प्रस्तुत निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी ने पी ओ आई के दौरान भारत को *** मी. टन संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। कंपनी ने अंतर्देशीय भाड़े और पत्तन संभलाई व्यय, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, ऋण व्यय और बैंक प्रभार के लिए समायोजन प्रस्तुत किए हैं और ऊपर कारखानाद्वारा निर्यात कीमत ज्ञात करने हेतु विचार किया गया है। पी ओ आई के लिए कंपनी हेतु निर्धारित निवल निर्यात कीमत बल्क के लिए *** अमेरिकी डॉलर प्रति एमटी और पैकेज के लिए *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन बनती है।

सउदी अरब से असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सउदी अरब से किसी अन्य उत्पादक / निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। अतः सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार एस जी ए व्यय और उत्पादन लागत पर 5 प्रतिशत की दर से तर्कसंगत लाभ के आवश्यक समायोजन सहित यथा मानकीकृत भारत में उत्पादन लागत को अपनाकर किया गया है। अतः परिकलित सामान्य मूल्य *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी. टन है।

सउदी अरब से असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सउदी अरब से किसी अन्य उत्पादक / निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। सउदी अरब से सभी असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने मेथेनाल केमिकल कंपनी द्वारा प्रस्तुत उत्तरों से सबसे कम निर्यात कीमत को अपनाकर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत *** अमेरिकी डालर प्रति मी. टन बनती है।

पाटन मार्जिन

48. भारत में कारखानाद्वारा निर्यात कीमत की तुलना पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए सामान्य मूल्य के साथ की गई है। निम्नांकित तालिका संबद्ध देशों की मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी उत्पादकों के लिए पी ओ आई के दौरान भारत औसत पाटन मार्जिन को दर्शाती है।
49. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन काफी अधिक है और प्रत्येक संबद्ध देश से किए गए निर्यातों के संबंध में नियमावली के अंतर्गत विहित सीमाओं से अधिक है।

क्र. सं.	देश	उत्पादक	सामान्य मूल्य यू एस डॉलर/ मी. टन	निवल निर्यात कीमत यूएस डॉलर/ मी. टन	पाटन मार्जिन यूएस/मी. टन	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन % (रेंज)
1	चीन जन. गण.	मै० लियोचेंग लुक्सी मिथाइलामाइन केमिकल कंपनी लि०, (पैकड)	***	***	***	***	70 - 80
2	चीन जन. गण.	असहयोगी उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	75 - 85
3	सउदी अरब	मै० मेथानोल केमिकल्स कंपनी (बल्क)	***	***	***	***	20 - 30
4	सउदी अरब	मै० मेथानोल केमिकल्स कंपनी (पैकड)	***	***	***	***	15 - 25
5		कुल	***	***	***	***	20 - 30
6	सउदी अरब	असहयोगी उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	50 - 60

ज. क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

50. घरेलू उद्योग ने याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अनुरोध किए हैं :-

- आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की दशाओं के आलोक में उचित है।
- संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में जांच अवधि के दौरान समग्र रूप से भारी वृद्धि हुई है। आयातों में ऐसी वृद्धि पाटित कीमत की पेशकश करके तीव्र रूप से हुई है।
- पी ओ आई तक आयातों में वृद्धि को कीमतों में कटौती के साथ देखा जाना चाहिए जिससे यह पता चलेगा कि संबद्ध देशों से उत्पादकों / निर्यातकों ने घरेलू उद्योग को कीमत संबंधी भारी क्षति पहुंचाते हुए बाजार में प्रभुत्व बनाने के लिए कीमतों में और अधिक कटौती की है। भारतीय मांग में ऐसा हिस्सा बनाये रखने के लिए पाटन को एक रणनीति के रूप में अपनाया गया है और इससे डी आई के लिए मात्रा में प्रत्याशित वृद्धि कम हो गई है। अब डी आई को अत्यधिक वित्तीय घाटे उठाने पड़ रहे हैं।
- संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा कीमत कटौती और कीमत ह्रास के स्तरों पर रही है। इससे घरेलू उद्योग के कीमत निर्धारण निर्णय प्रभावित हुए हैं।

- v. चीन जन. गण. और सउदी अरब से अलग-अलग संचयी रूप से कीमत कटौती अत्यधिक सकारात्मक रही है। इस प्रकार पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित कीमतों पर कीमत कटौती प्रभाव डाला है जिससे घरेलू उद्योग ऐसे कम स्तर पर बिक्री करने को बाध्य हुआ है जिससे घरेलू उद्योग अपनी लागत की वसूली भी नहीं कर पा रहा है और घाटे उठा रहा है।
- vi. डी आई का एन एस आर स्पष्ट रूप से न्यूनीकृत और अलाभकारी है। इस प्रकार घरेलू उद्योग को कीमत न्यूनकारी प्रभाव का सामना करना पड़ा है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि कीमत में वृद्धि आयातों की पहुंच कीमत द्वारा न्यूनीकृत कर दी गई थी।
- vii. याचिका में सूचना दर्शाती है कि यद्यपि उत्पादन मात्रा, क्षमता उपयोग, बिक्री और बाजार हिस्से जैसे क्षति संबंधी मापदंडों में क्षति अवधि और पी ओ आई में कुछ वृद्धि प्रदर्शित हुई है। तथापि, तथ्य यह है कि ऐसे मापदंडों संबंधी वास्तविक कार्य निष्पादन मानक स्तरों से कम रहा था और यह वृद्धि काफी कम आधार अंकों का परिणाम है और उससे कोई सार्थक वृद्धि प्रदर्शित नहीं होती है।
- viii. घरेलू उद्योग पी ओ आई के दौरान केवल *** प्रतिशत के क्षमता उपयोग स्तर पर प्रचालन कर सकता था और इतना कम क्षमता उपयोग इस तथ्य का परिणाम है कि मांग में बाजार हिस्से का लगभग *** प्रतिशत पाटित आयातों के पास है।
- ix. उपयोग का इतना कम स्तर प्रभाव पाटित आयातों के कारण है जो मात्रा संबंधी अन्य मापदंडों में परिलक्षित है और ऐसी कम मात्राओं के परवर्ती प्रभाव कीमत संबंधी मापदंडों में भी परिलक्षित होते हैं।
- x. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उठायी गई क्षति कीमत संबंधी मापदंडों में भी स्पष्ट है। पाटित आयातों की पहुंच कीमत जिससे कीमत कटौती, कीमत ह्रास / न्यूनीकरण और कम कीमत पर बिक्री प्रभाव हुये थे, से घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन लागत से कम पर बिक्री करने को विवश हुआ है और परिणामस्वरूप पुनः घरेलू उद्योग को 2018-19 से वित्तीय घाटे होना शुरू हो गया है और यह घाटे पी ओ आई के दौरान उच्चतम रहे थे।
- xi. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2017-18 तक अर्थात् आधार वर्ष तक थोड़ी सकारात्मक थी। पुनः वर्तमान पी ओ आई तक भारी घाटे में बदल गई। प्रति इकाई लाभ में आधार वर्ष में -100 बिंदु से जांच की अवधि (पीओआई) में -479 बिंदु तक घट गया है जो एक तीव्र और भारी गिरावट है।
- xii. आरओसीई में 2018-19 से और जांच की अवधि (पीओआई) के दौरान भारी गिरावट आई है जो पाटित आयातों द्वारा सृजित कीमत क्षति के कारण घरेलू उद्योग द्वारा झेले गए वित्तीय घाटे का परिणाम है। आरओसीई 20-25 प्रतिशत की रेंज में काफी ऋणात्मक रही है।
- xiii. यह स्पष्ट है कि संबद्ध देशों से उत्पादकों / निर्यातकों ने अपनी कीमतों में इतनी अधिक कटौती की है और ऐसा लक्षित पाटन किया है जिससे इतनी भारी कीमत कटौती द्वारा घरेलू उद्योग को अपनी लागत से कम तक कीमतें घटानी पड़ी हैं। जिससे लाभप्रदता संबंधी सभी मानदंडों पर वास्तविक क्षति हुई है।
- xiv. मात्रा और कीमत मापदंडों में प्रतिकूल स्थिति अन्य मुख्य मापदंडों में भी प्रदर्शित होती है। इस प्रकार घरेलू उद्योग को चीन जन. गण. और सउदी अरब से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है।
- xv. घरेलू उद्योग को हुई क्षति केवल संबद्ध देशों पी यू सी के पाटित आयातों के कारण हुई है। यदि कोई पाटन नहीं होता तो घरेलू उद्योग की स्थिति अत्यधिक बाजार हिस्से और मध्यम क्षमता उपयोग के साथ बेहतर कार्य निष्पादन और लाभप्रदता की होती। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति केवल संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण हुई है।
- xvi. हाल में, संबद्ध वस्तु से संबंधित पाटनरोधी जांच के अंत में पी यू सी के आयात पर किसी शुल्क की सिफारिश नहीं करने के प्राधिकारी के निर्णय को संबद्ध देशों से उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा भारत में अधिक पाटन के सुनहरे अवसर के रूप में लिया गया और उक्त जांच परिणामों के बाद पाटन की तीव्रता में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। डी आई पुनः प्राधिकारी के समक्ष है, परंतु इस बार क्षति की स्थिति

अत्यधिक खराब और विनाशकारी है। यदि शीघ्र पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं होता है तो घरेलू उद्योग पूर्णतः बंद हो जाएगा और इसलिए उद्योग विस्तृत जांच और प्राधिकारी द्वारा निश्चयात्मक उपायों के होने तक तत्काल अनंतिम उपायों हेतु प्रार्थना करता है।

- xvii. संबद्ध देशों से आयातों में सापेक्ष वृद्धि में वृद्धि आधार वर्ष में 34037 मी. टन से बढ़ कर जांच की अवधि में 39332 मी. टन हुई है, जो नियमावली के अनुबंध-II में यथा परिकलित आयातों में वृद्धि की एक स्पष्ट प्रवृत्ति को दर्शाता है। यद्यपि जांच की अवधि के दौरान अर्थात् तत्काल पूर्व के वर्ष में आयात में मामूली गिरावट आई थी, लेकिन इससे आयातों के विकास पथ पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और आयात आधार वर्ष से काफी अधिक रहे।
- xviii. यद्यपि घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों में भी बहुत ही निचले आधार स्तर से उसी अवधि में वृद्धि हुई है, लेकिन जांच की अवधि के दौरान उत्पादन और बिक्रियों के संदर्भ में प्राप्त वास्तविक मात्रा अभी भी काफी कम है और याचिकाकर्ता को पूरी तरह से अलग कर दिया गया है जिससे कि यह जांच की अवधि में करीब 30 प्रतिशत के क्षमता उपयोग पर ही प्रचालन करेंगे। इस प्रकार, समान मात्रा संबंधी निष्पादन से नीचे का निष्पादन यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता ने मात्रा संबंधी मापदंडों के संदर्भ में भी क्षति का सामना किया है।
- xix. इस समान मात्रा संबंधी निष्पादन से नीचे के निष्पादन के लिए कारण, स्पष्ट रूप से पाटित आयातों द्वारा रखे गए ऐसे 75 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक का बाजार अंश था। जब तक कि ऐसी पाटित मात्रा पर्याप्त पाटनरोधी शुल्क लगाकर कम नहीं की जाती, घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मापदंड किसी सार्थक स्तर तक नहीं पहुंचते। वास्तव में घरेलू उद्योग के पास पाटित आयातों की शुरुआत से भारी अप्रयुक्त क्षमताएं मौजूद हैं।
- xx. मामले के तथ्य गंभीर कीमत क्षति को दर्शाते हैं। जब उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की लागत आधार वर्ष में 100 सूचीबद्ध प्वाइंट से वर्ष 2018-19 में 127 प्वाइंट तक और उसके बाद जांच की अवधि में गिरकर 120 प्वाइंट तक आई है, तो घरेलू उद्योग का एन एस आर आधार वर्ष में 100 प्वाइंट से वर्ष 2018-19 में 120 प्वाइंट और जांच की अवधि में 108 प्वाइंट तक आया है। उल्लेखनीय है कि कीमत में गिरावट लागत में गिरावट के अनुसार नहीं थी और कीमत में गिरावट लागत में गिरावट से काफी अधिक थी।
- xxi. ऐसी गिरावट के लिए कारण स्पष्ट तौर पर जांच की अवधि के दौरान पहुंच कीमत में कटौती होना था और वह आधार वर्ष के 100 सूचीबद्ध प्वाइंट से वर्ष 2018-19 में 136 प्वाइंट तक और जांच की अवधि में 115 प्वाइंट तक नीचे आई है। जब पहुंच कीमत में आधार वर्ष और जांच की अवधि के बीच वृद्धि हुई, तो घरेलू उद्योग लागत को आगे बढ़ा पाया क्योंकि पहुंच कीमत में भी उसी अवधि में वृद्धि हुई है। वास्तव में, सउदी अरब से पहुंच कीमत, जो वर्ष 2018-19 में 67 रूपए/ कि. ग्रा. थी, वह जांच की अवधि में घटकर 57 रूपए/ कि. ग्रा. के स्तर पर आ गई और चीन जन. गण. से पहुंच कीमत जो वर्ष 2018-19 में 73 रूपए/ कि. ग्रा. थी, जो जांच की अवधि में घटकर 60 रूपए/कि. ग्रा. के स्तर पर आ गई।
- xxii. ऐसे स्तर पर पहुंच कीमत से गंभीर कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और कीमत में ह्रास स्पष्ट है। इस कीमत संबंधी प्रभाव के परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। प्रति यूनिट स्तर पर लाभप्रदता पी बी टी, पी बी आई टी और नकदी लाभ जांच की अवधि में काफी नकारात्मक हो गया, जो वर्ष 2017-18 में थोड़ी सकारात्मक थी। घरेलू उद्योग के आर ओ सी ई के स्तर पर भी बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा है। आर ओ सी ई, जो वर्ष 2017-18 में *** की मामूली सकारात्मक रेंज में था और निष्पादन में ऐसी गिरावट के लिए *** नकारात्मक हो गया तथा सामग्री क्षति वर्तमान जांच में पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करती है। ऐसा कुछ भी रिकार्ड में नहीं लाया गया है, जो यह दर्शा सके कि क्षति का कारण पाटन नहीं था।
- xxiii. घरेलू उद्योग के आयात और मात्रा संबंध मापदंडों की प्रवृत्ति में यह उल्लेखनीय है कि जब घरेलू उद्योग को वर्ष 2017-18 और 2018-19 के बीच की अवधि में मात्रा संबंधी स्तरों पर कुछ वृद्धि दर्ज की गई है,

तो निर्यातक, घरेलू उद्योग को हुए ऐसे लाभ को सहन नहीं कर सके और उन्होंने भारत में बाजार में बने रहने के लिए निर्यात कीमत में तीव्र कटौती करनी पड़ी। इस प्रकार, पहुंच कीमत में कटौती एक रणनीति के तहत की गई है ताकि घरेलू उद्योग को इससे दूर रखा जा सके कि वह किसी बाजार अंश को नहीं गंवाए।

- xxiv. संबद्ध देशों से निर्यातक, जिन्हें कोई महत्वपूर्ण घरेलू अथवा अन्यत्र बाजार प्राप्त नहीं है, वे भारतीय बाजार का नुकसान वहन नहीं कर सकते और यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि ऐसी कीमत कटौती घरेलू उद्योग द्वारा मात्रा में प्रत्येक वृद्धि का अनुसरण करेगी। ऐसे परिदृश्य में एक समान प्रतस्पर्धा का वातावरण पाटनरोधी शुल्क लगाकर ही सुनिश्चित हो सकता है।
- xxv. यह तर्क दिया गया है कि आयातित मेथानोल (डी एम एफ के निर्माण के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री) पर निर्भरता के कारण उत्पादन में विलंब और निरंतर हानि हुई है। यह तर्क सही नहीं है। मामला यह है कि यद्यपि उत्पादन की लागत में गिरावट आई है लेकिन बिक्री कीमत में कटौती ऐसी कटौती से काफी अधिक थी और याचिकाकर्ता की बिक्री कीमत पर जो प्रभाव पड़ा है, वह संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की पहुंच कीमत में तीव्र गिरावट होना है।
- xxvi. यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन पर भारत में समान वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों की लागत में तीव्र वृद्धि के कारण प्रभाव पड़ा है। यह तर्क सही नहीं है। वास्तव में जांच की अवधि अर्थात् विगत वर्ष के दौरान उत्पादन की लागत में गिरावट आई। तथापि, बिक्री कीमत में कटौती उस कटौती से काफी अधिक थी और याचिकाकर्ता की बिक्री कीमत पर जिससे प्रभाव पड़ा है, वह है, उसी अवधि के दौरान पाटित आयातों की पहुंच कीमत में तेजी से गिरावट आना।
- xxvii. प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई और कथित पाटन तथा क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। यह तर्क तथ्यों के आधार पर नहीं है। यह नोट किया जा सकता है कि एस सी से आयातों में निरपेक्ष संदर्भ में वृद्धि हुई है। ऐसे आयातों से घरेलू उद्योग सामान्य प्रचालन करने से प्रतिबंधित हुआ है और बिक्री की मात्रा समान से काफी कम रही है और यहां तक डी एम एफ के उत्पादन में कई वर्षों के बाद भी नगण्य स्तर पर रही है। ऐसे पाटित आयातों की पहुंच कीमत के कारण घरेलू उद्योग पर कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कम कीमत की बिक्री का प्रभाव पड़ा है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग लाभकारी कीमत पर बिक्री नहीं कर सका और इसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि उठानी पड़ी और निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल मिला। ऐसी क्षतिकारी स्थिति केवल पाटित आयातों के कारण से थी और ये तथ्य याचिका में अच्छी तरह से दर्शाए गए हैं। कंपनी को 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक के क्षमता उपयोग के समान स्तर से काफी नीचे प्रचालन करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप भारत में पाटित सामग्री की मौजूदगी रही और यह नहीं कहा जा सकता कि आयातों का कारण याचिकाकर्ता की अक्षमता का होना था। जिसके चलते अपनी क्षमता का बेहतर उपयोग नहीं कर सका। सामग्री क्षति, मात्रा और कीमत संबंधी मापदंडों, दोनों में स्पष्ट है, जैसा कि हमारी याचिका/अनुरोध में दर्शाया गया है। कारणात्मक संबंध इस तथ्य से स्पष्ट है कि पाटित आयातों की पहुंच कीमत में तीव्र और महत्वपूर्ण कटौती घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में बजाय लागत के गिरावट का कारण अधिक थी, और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर वित्तीय हानि सहित गंभीर प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग के घरेलू बाजार में मांग में कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कम कीमत पर बिक्री के स्तर पर पाटित आयात का प्रभाव है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को बहुत ही कम क्षमता उपयोग के स्तर पर संचालन करना पड़ा। पाटन के अभाव में, घरेलू उद्योग को लाभकारी दरों पर उत्पादन और बिक्री अधिक करनी होगी। इस प्रकार, कारणात्मक संबंध बिल्कुल स्पष्ट है और इस संबंध में पक्षकारों के तर्कों को अस्वीकार किए जाने की जरूरत है।
- xxviii. यह तर्क दिया गया है कि कारणात्मक संबंध की कमी है और यह स्पष्ट है कि विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में उतार-चढ़ाव अथवा घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव संबद्ध देशों से आयातों के कारण से नहीं है। यह भी तर्क दिया गया था कि आधार वर्ष में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों की कारणात्मक संबंध में प्रसंग में जांच की जानी चाहिए। दोनों ही तर्कों का कोई अर्थ नहीं है। वास्तव में उत्पादन की लागत में जांच की अवधि में अर्थात् विगत वर्ष में गिरावट आई है। तथापि, बिक्री कीमत में कटौती ऐसी कटौती से काफी अधिक थी और याचिकाकर्ता की बिक्री कीमत पर जिससे प्रभाव पड़ा है, वह है उसी अवधि में पाटित आयातों की पहुंच कीमत में तीव्र गिरावट होना है। साथ ही, यद्यपि आधार

वर्ष में घरेलू उद्योग द्वारा कुछ आयात किए गए थे, लेकिन यह जांच की अवधि के संबंध में क्षति के दावों के रूप में कोई परिणाम नहीं है। तथापि, ऐसे आयात विगत जांच के भाग थे और जांच की अवधि के दौरान क्षति के दावे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

- xxix. अर्जेन्टाइना फुटवीयर के निर्णय में डब्ल्यू टी ओ अपील निकाय पर भरोसा किया गया था, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई। विस्तार से यह उल्लेख किया जाता है कि घरेलू उद्योग को सामग्री क्षति का सामना करना पड़ा है और यह पाटित आयातों के कारण वित्तीय हानि की तीव्र स्थिति में है। अर्जेन्टाइना फुटवीयर के निर्णय में डब्ल्यू टी ओ अपील निकाय पर पक्षकार की निर्भरता का भी कोई अर्थ नहीं है। डब्ल्यू टी ओ अपील निकाय ने यह नहीं कहा कि जांच को समाप्त किया जाना चाहिए यदि तत्काल पूर्व के वर्ष की क्षति अवधि के दौरान आयातों में कमी है अथवा आयातों में उतार-चढ़ाव है। नियमावली के अनुबंध-II के तहत अपेक्षा यह है कि पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय प्राधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि क्या पाटित आयातों में भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष अथवा निरपेक्ष संदर्भ में पाटित आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और यह देखा जा सकता है कि वर्तमान मामले में आयातों में सापेक्ष दृष्टि से भी वृद्धि हुई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
- xxx. यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध आयातों के अलावा अन्य कारकों के कारण है और कच्ची सामग्री की लागतों में तीव्र वृद्धि के कारण से है और संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को किफायती और प्रतिस्पर्धी कीमत के मेथानोल का फायदा है और भारत में घरेलू उद्योग की तुलना में मेथनोल की उपलब्धता आसान है। यह तर्क अर्थात् घरेलू उद्योग की लागत के संबंध में यह सही नहीं है। वास्तव में उत्पादन की लागत में जांच की अवधि के दौरान अर्थात् विगत वर्ष में गिरावट आई है। तथापि, बिक्री कीमत में गिरावट ऐसी गिरावट से काफी अधिक थी और याचिकाकर्ता की बिक्री कीमत पर जिससे प्रभाव पड़ा है, वह है उसी अवधि में पाटित आयातों की पहुंच कीमत में तीव्र गिरावट का होना। प्राधिकारी को यहां दावे को नोट करना चाहिए कि निर्यातकों को मेथानोल की प्रचुर मात्रा सुलभ है और यह स्पष्ट है कि ऐसी सुलभता का भारत में कीमत कम करके डी एम एफ का पाटन करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। पक्षकार द्वारा अनुरोध पाटन होने के कारण को दर्शाता है।
- xxxi. यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा डी एम एफ की क्षमता का कम उपयोग करने का कारण आंतरिक कारकों का होना है न कि संबद्ध आयातों का होना है। यह तर्क सही नहीं है। डी एम एफ क्षमता का कम उपयोग होना पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव को दर्शाता है और यहां तक कि किया गया उत्पादन भी हानि में था क्योंकि पाटित कीमतों से कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कम कीमत पर बिक्री हो रही थी।
- xxxii. यह तर्क दिया गया है कि आयातों में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के पैरा (ii) का पहले वाक्य की पूर्ति नहीं हुई। यह मान्यता नियम के गलत पठन के कारण से है। नियम में यथा अपेक्षित सापेक्ष संदर्भ में आयातों में वृद्धि हुई है।
- xxxiii. यह तर्क दिया गया है कि "वार्षिकीकृत" आयात मात्रा की प्रक्रिया एक अनुमत्य प्रक्रिया नहीं है। जैसा कि भारत में ही एक मामले में डब्ल्यू टी ओ पैनेल द्वारा निर्णय किया गया है। दावा आधारहीन है। मात्रा को वार्षिकीकृत करना तुलनात्मकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था और ऐसी प्रक्रिया को स्वीकार किया जाता है, जब भी जांच की अवधि 12 माह के सामान्य मामले से भिन्न होती है और अनेक मामलों में ऐसा किया गया है।
- xxxiv. यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग के तर्क में सभी मात्रात्मक मापदंडों के संदर्भ में जांच की अवधि के दौरान सुधार आया है। यह विवरण गलत है। यद्यपि मात्रात्मक मापदंडों में सुधार आया है, जो समान स्तरों से नीचे था, क्योंकि पाटित आयातों का कब्जा बाजार अंश का करीब 80 प्रतिशत है। विगत वर्षों में कुछ सुधारों के बाद जांच की अवधि में कीमत मापदंड नकारात्मक रहे। समग्र स्थिति पर पाटित आयातों के कारण गंभीर क्षति हुई है।
- xxxv. यह तर्क दिया गया है कि आयात और लाभप्रदता की प्रवृत्ति असमान है। इस दावे का कोई महत्व नहीं है। ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि पाटन और क्षति में सुधार की मांग के लिए किसी विशेष पद्धति में प्रवृत्ति

होनी चाहिए। आधार वर्ष के दौरान जांच की अवधि में आयातों में वृद्धि हुई है और आयातों की समग्र प्रवृत्ति, सामग्री क्षति के साक्ष्य के अनुरूप वृद्धि की स्थिति में रही है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

51. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति के संदर्भ में उनके उत्तरों में अन्य बातों के साथ-साथ किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :-
 - i. विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी) संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है।
 - ii. विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी) पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से उन आयातकों और अंतिम प्रयोक्ताओं पर विध्वंसकारी प्रभाव होगा जो कच्ची सामग्री के लिए आयातों पर निर्भर हैं। इसके अलावा, ऐसे शुल्क लागू होने से आयातक घरेलू उत्पादकों की दया और इच्छा पर आश्रित हो जाएंगे, जिनके पास घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है।
 - iii. अप्रैल, 2016 से सितम्बर, 2017 तक की 18 माह की अवधि जिस पर विगत जांच में विचार किया गया था, वर्तमान जांच के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसी अवधि में घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो सकती, जो पहले ही प्राधिकारी द्वारा दर्ज की जा चुकी है।
 - iv. संबद्ध देशों से आयातों में वर्तमान जांच में सापेक्ष अथवा निरपेक्ष संदर्भ में वृद्धि नहीं हुई है।
 - v. आधार वर्ष से जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) में आयातों में कथित वृद्धि केवल गैर-मामूली और अपर्याप्त है। तथापि, प्रयोक्ता यह अनुरोध करते हैं कि वर्तमान जांच में हर दृष्टि से तुलना करना (आधार वर्ष से जांच की अवधि) गलत है जब जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) / विगत वर्ष की जांच की अवधि में आयातों में गिरावट आई है।
 - vi. जब आधार वर्ष से जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) में 16 सूचीबद्ध प्वाइंट तक संबद्ध देशों से आयातों में कथित वृद्धि थी तो घरेलू बिक्रियों की मात्रा में और मूल्य में उसी अवधि में क्रमशः 204 और 236 सूचीबद्ध प्वाइंट तक की एक महत्वपूर्ण वृद्धि थी।
 - vii. भारतीय मांग के संदर्भ में विगत वर्षों और आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध आयातों में गिरावट आई है।
 - viii. घरेलू उद्योग को न तो सापेक्ष दृष्टि से और न ही निरपेक्ष दृष्टि से कोई मात्रात्मक क्षति हुई है। अतः वर्तमान जांच में क्षति के आकलन का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हो, डाले बिना याचिकाकर्ता का संबद्ध देशों से आयातों से कोई सहसंबंध नहीं है।
 - ix. लाभों में उतार-चढ़ाव आ रहा है, जबकि अधिकांश क्षति अवधि में कीमत कटौती स्थिर रही है। अतः यह तथ्य है कि घरेलू उद्योग के कथित आयातों और निष्पादन अथवा कीमतों के बीच कोई सह संबंध नहीं है।
 - x. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में आर्थिक मापदंडों में जिनमें उत्पादन, बिक्री मात्रा, बिक्री मूल्य इत्यादि शामिल हैं, में वृद्धि दर्शाई गई है। घरेलू उद्योग को स्पष्ट रूप से कोई क्षति नहीं हो रही है और क्षति, यदि कोई है, वह स्वयं की उत्पन्न की गई क्षति है।
 - xi. याचिकाकर्ता की वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019 के पृष्ठ संख्या 44 में यह उल्लेख किया गया है कि कच्ची सामग्रियों जैसे मेथनोल (जो कि डी एम एफ जैसे मेथाइलामाइन के निर्माण के लिए उसके स्थान पर उपयोग की जाती है) की कीमतों में अस्थिरता है और इसे अंतिम उपभोक्ताओं को अंतरित कर दिया गया है (कृपया याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई याचिका का अनुलग्नक 6.13 देखें)। तदनुसार यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन पर विचाराधीन उत्पाद का प्रभाव अथवा कीमतों में उतार-चढ़ाव संबद्ध देशों से आयातों के कारण नहीं है।
 - xii. याचिकाकर्ता ने याचिका के पैरा संख्या 6 में यह उल्लेख किया है कि उसने वित्त वर्ष 2016-17 में विचाराधीन उत्पाद का मामूली मात्रा में आयात किया है। तथापि, उसके द्वारा किए गए आयात की

- मात्रा अथवा उसके द्वारा किए गए आयातों के संबंध में कोई अन्य संगत सूचना नहीं दी गई है। प्राधिकारी याचिकाकर्ता की क्षति अवधि में किए गए आयातों की मात्रा का प्रतिशत कुल आयातों में याचिकाकर्ता के आयातों की मात्रा का प्रतिशत, भारतीय उत्पादन, आयातों के लिए कारण और जिस कीमत पर आयात किए गए थे, उसका ब्यौरा जैसे कारकों का पता लगाना चाहिए।
- xiii. याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (vii) के तहत पर्याप्त क्षति की आशंका और पर्याप्त/सत्यापन योग्य साक्ष्यों को सिद्ध करने में विफल रहा है और याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्कों को अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- xiv. याचिकाकर्ता ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम ("अधिनियम") की धारा 9 क (3) के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 20 (2) के तहत पूर्व प्रभाव से शुल्क लगाने के किसी न्यायोचित आधार को सिद्ध नहीं किया है और इसीलिए याचिकाकर्ता के तर्कों को अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- xv. संबद्ध देश के आयात यह दर्शाएंगे कि उनमें जांच की अवधि में विगत वर्ष और आधार वर्ष अर्थात् 2016-17 की तुलना में कमी आई है। साथ ही क्षति अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा में समग्र गिरावट है। तथापि, प्रारंभिक जांच परिणामों में प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि संबद्ध आयातों में सापेक्ष दृष्टि से वृद्धि हुई है।
- xvi. यदि प्राधिकारी को जांच की अवधि की तुलना में आधार वर्ष के ही डाटा की चुनिंदा तुलना करनी है, तो ऐसे आधार पर एक जांच परिणाम गलत हो सकते हैं।
- xvii. आयात संबंधी डाटा यह दर्शाएंगे संबद्ध आयातों की मात्रा में जांच की अवधि में खपत और उत्पादन दोनों के संदर्भ में गिरावट आई है।
- xviii. मात्र कीमत कटौती की मौजूदगी कीमत प्रभाव की मौजूदगी का निर्धारण करने के लिए एक पूर्व शर्त नहीं है। अनुबंध-II के पैरा (ii)) के तहत क्षति के कारण के लिए कीमत कटौती महत्वपूर्ण होती है।
- xix. घरेलू उद्योग बिक्रियों की लागत में गिरावट के अनुसार घरेलू बिक्री की कीमतों में वृद्धि करने में समर्थ रहा है। यद्यपि, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में जांच की अवधि में गिरावट आई है लेकिन यह बिक्रियों की लागतों में गिरावट के कारण से थी। घरेलू उद्योग ने पहुंच कीमतों में कमी के कारण अपनी बिक्री कीमत में कमी नहीं की। प्रारंभिक जांच परिणाम में कीमत संबंध प्रभाव पर प्राधिकारी का दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है।
- xx. कोई कीमत ह्रास अथवा कीमत दमन नहीं है। इसके अलावा, यदि कीमत ह्रास अथवा कीमत दमन है तो प्राधिकारी ने यह निर्धारित नहीं किया है कि क्या यह कीमत ह्रास अथवा कीमत दमन महत्वपूर्ण था। ऐसे निर्धारण के अभाव में, यह मानना सही नहीं होगा कि संबद्ध आयातों की कीमतों के कारण घरेलू कीमतों पर कीमत का प्रभाव पड़ा है।
- xxi. वर्ष 2018-19 में गिरावट को छोड़कर, घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और डी एम एफ की घरेलू बिक्री (मात्रा और मूल्य) में पूरी क्षति अवधि के दौरान निरंतर और महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वास्तव में उपरोक्त प्रचालनात्मक मापदंडों में घरेलू उद्योग का निष्पादन जांच की अवधि में सबसे अधिक रहा है ऐसे मापदंडों के आलोक में, प्राधिकारी को यह मानना चाहिए कि घरेलू उद्योग को प्रचालनात्मक मापदंडों में कोई क्षति नहीं हुई है।
- xxii. घरेलू उद्योग के बाजार अंश में पूरी क्षति अवधि के दौरान निरंतर महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। आयातों के बाजार अंश में उस अवधि में गिरावट आई है।
- xxiii. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि लाभप्रदता के मापदंडों में गिरावट आई है और यह क्षति का सूचक है। यहां तक कि यह माना गया है कि लाभप्रदता में संबद्ध आयातों के कारण गिरावट आई है, यह गिरावट घरेलू उद्योग के प्रचालनात्मक मापदंडों में उत्कृष्ट निष्पादन को देखते हुए उपयुक्त नहीं है। प्रतिवादी का प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि वे यह जांच करें कि क्या वित्तीय मापदंडों में संबद्ध आयातों के अलावा किसी अन्य कारण से गिरावट तो नहीं आई है।

- xxiv. घरेलू उद्योग ने उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, रोजगार और उत्पादकता के संबंध में वृद्धि दर्शाई है। घरेलू उद्योग की बिक्रियों और बिक्री मूल्यों में भी जांच की अवधि में सुधार आया है। अतः प्रचालनात्मक निष्पादन में घरेलू उद्योग की वृद्धि अच्छी है।
- xxv. चीन जन. गण., और सउदी अरब के उत्पादकों/ निर्यातकों की तुलना में, भारत में डी एम एफ उत्पादकों को मेथनोल आसानी से सुलभ नहीं है। वे इसके आयातों पर अधिक निर्भर हैं। तथापि, चीन जन. गण. और सउदी अरब जैसे देशों में मेथनोल के अत्यधिक निर्माता हैं और इस प्रकार संबद्ध देशों में पी यू सी के उत्पादकों को किफायती प्रतिस्पर्धी कीमत पर मेथनोल की उपलब्धता का लाभ है और भारत में घरेलू उद्योग की तुलना में उन्हें मेथनोल आसानी से उपलब्ध है। कारणात्मक संबंध के प्रसंग में ऐसे कारकों की जांच अपेक्षित है।
- xxvi. घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया है कि उसका वित्तीय निष्पादन कच्ची सामग्री की कीमतों के कारण प्रभावित हुआ है।
- xxvii. जिस देश से घरेलू उद्योग ने मेथनोल प्राप्त किया है, वह ईरान है। तथापि, ईरान से कच्ची सामग्री की उपलब्धता कतिपय राजनीतिक कारणों के चलते संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाई गई पाबंदियों के कारण कठिन हो गई है। इसने भी घरेलू उद्योग की मेथनोल की उपलब्धता पर प्रभाव डाला है।
- xxviii. याचिकाकर्ता द्वारा कारण डी एम एफ की क्षमता का कम उपयोग होना आंतरिक कारकों के कारण से है न कि संबद्ध आयातों के कारण से है।
- xxix. आयातों में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं है। पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के पैरा (ii) के पहले वाक्य की पूर्ति नहीं की गई है।
- xxx. संबद्ध देशों से आयातों में साझा रूप से और व्यक्तिगत रूप से जांच की अवधि और आधार वर्ष के दौरान गिरावट आई है। जबकि संबद्ध देश के आयातों में 2016-17 और जांच की अवधि के बीच 13 प्रतिशत तक की गिरावट आई है, लेकिन चीन जन. गण. और सउदी अरब से आयातों में क्रमशः 38 प्रतिशत और 3 प्रतिशत की गिरावट भी आई है।
- xxxi. वर्तमान मामले के तथ्य, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा स्वयं दर्ज किया गया है, यह दर्शाते हैं कि सापेक्ष संदर्भ में और घरेलू बिक्रियों, घरेलू उद्योग के उत्पादन तथा संबद्ध वस्तुओं की मांग की तुलना में आयातों में गिरावट आई है।
- xxxii. 'वार्षिकीकृत' आयात मात्रा की प्रथा अनुमत्य नहीं है, जैसा कि एक डब्ल्यू टी ओ पैनल द्वारा भारत के खिलाफ एक मामले में भी निर्णय लिया गया था।
- xxxiii. घरेलू उद्योग की स्थिति में जांच की अवधि के दौरान सभी मात्रा मापदंडों में सुधार आया है।
- xxxiv. आयातों की प्रवृत्ति और लाभप्रदता समान प्रकृति की है।
- xxxv. आगे के निवेशों के लिए पूंजी जुटाने की क्षमता का इस कारण से कोई संबंध नहीं है कि घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद कंपनी है। तथापि, घरेलू उद्योग अपनी औसत पूंजी में 9 प्रतिशत तक वृद्धि कर पाया है।
- xxxvi. संबद्ध देशों से आयातों के कारण कोई कीमत ह्रास और कीमत दमन नहीं था क्योंकि घरेलू उद्योग की कीमतें क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात कीमतों की प्रवृत्ति के अनुसार नहीं थी। कथित कीमत ह्रास/ दमन, यदि कोई है, उसके अपने आंतरिक कारणों जैसे कीमत संबंध निर्णयों के कारण से था जिसमें उसकी लाभप्रदता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।
- xxxvii. यह भी कहना है कि घरेलू उद्योग का कुछ मापदंडों के संबंध में गिरावट का निष्पादन संबद्ध देशों से आयात के कारण नहीं हो सकता। बिना इस पर प्रभाव डाले, घरेलू उद्योग क्षति अवधि और जांच की अवधि के दौरान अत्यधिक अच्छा निष्पादन करता आया है और इस प्रकार वर्तमान मामले में आगे किसी संरक्षण की जरूरत नहीं है।
- xxxviii. ऐसे कोई कारण अथवा विश्लेषण नहीं है कि कैसे घरेलू उद्योग उत्पादन और क्षमता उपयोग में इतने उत्कृष्ट स्तर तक वृद्धि करने की स्थिति में था जबकि कथित पाटित आयात मौजूद थे।

xxxix. वर्तमान जांच में, घरेलू उद्योग के लाभ, आर ओ सी ई और नकदी प्रवाह पर मूल्य ह्रास, ब्याज, मजदूरी, निर्धारित उपरिव्यय आदि जैसी ईष्टतम क्षमता का उपयोग न होने के संबंध में घरेलू उद्योग की अधिक निर्धारित प्रति यूनिट लागत के कारण समस्या का सामना करना पड़ा है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

52. प्राधिकारी ने इस जांच में क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर अब तक याचिकाकर्ता और विरोधी हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार उनकी जांच की है तथा इस अनंतिम जांच परिणाम में संगत स्थान पर समुचित रूप से उनका समाधान किया है।

i संचयी आकलन

53. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (iii) में यह उपबंध है कि यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के हुए आयात के साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करते हैं, जब वह यह निर्धारित करें कि :-

- क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत (या उससे अधिक) है या वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयात के साथ 7 प्रतिशत से अधिक बनता है; तथा
- ख) आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है।

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि :

- क. संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से भारत में पाटित की जा रही हैं प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमावली के अंतर्गत विहित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा अलग-अलग आयातों की कुल मात्रा से 3 प्रतिशत से अधिक है।
- ग. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उचित है, क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात न केवल परस्पर सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की समान वस्तु से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- घ. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संचयी आंकलन करना उचित है।
- ड. अनुबंध-2 के साथ पठित पाटन-रोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में " पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए.. "... ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निबल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे सूचकों पर पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

ii. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग और स्पष्ट खपत का आकलन

55. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में लिया है। इस प्रकार आकलित मांग में क्षति जांच अवधि और पीओआई के दौरान वृद्धि हुई है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई- जनवरी-2019 से सितंबर- 2019	पीओआई वार्षिककृत
चीन जन. गण. से आयात	मी. टन	10,237	5,624	9,392	6,379	8505
सउदी अरब से आयात	मी. टन	23,802	26,101	35,456	23,120	30827
संबद्ध देशों से कुल आयात	मी. टन	34,039	31,725	44,848	29,499	39,332
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	132	116	116
अन्य देशों से कुल आयात	मी. टन	3,218	3,110	3,017	821	1,094
देश में कुल आयात	मी. टन	37,257	34,835	47,865	30,319	40,426
याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	255	177	304	304
अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***	***
कुल मांग	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	132	124	124

56. जैसा उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि भारत में संबद्ध वस्तु की मांग में क्षति अवधि और पीओआई (ए) के दौरान भारी वृद्धि हुई है। मांग जो आधार वर्ष में *** थी पीओआई(ए) में बढ़ कर *** हो गई। इस प्रकार मांग में किसी गिरावट को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है। आयात तथा घरेलू उद्योग की बिक्रियों में भी समान अवधि में वृद्धि हुई है।

ख. संबद्ध देशों से आयात मात्राएं

57. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017- 18	2018-19	पीओआई- जनवरी-2019 से सितंबर- 2019	पीओआई वार्षिककृत
चीन जन. गण. से आयात	मी. टन	10,237	5,624	9,392	6,379	8505
सउदी अरब से आयात	मी. टन	23,802	26,101	35,456	23,120	30827
संबद्ध देशों से कुल आयात	मी. टन	34,039	31,725	44,848	29,499	39,332

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई- जनवरी-2019 से सितंबर- 2019	पीओआई वार्षिककृत
आयात मात्रा में बाजार हिस्सा						
चीन जन. गण.	%	27	16	20	21	21
सउदी अरब	%	64	75	74	76	76
संबद्ध देशों का हिस्सा	%	91	91	94	97	97
अन्य देशों का हिस्सा	%	9	9	6	3	3
कुल	%	100	100	100	100	100

58. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों में 2016-17 में 34039 मी. टन से समग्र रूप से पीओआई(ए) में 39332 मी. टन की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, भारत में समग्र आयातों में संबद्ध देशों से पाटित आयातों के हिस्से में वृद्धि हुई है। जबकि क्षति अवधि और पीओआई (ए) में अन्य देशों से आयातों के हिस्से में कमी आयी है।

ग. सापेक्ष रूप से संबद्ध देशों से आयात

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई- जनवरी- 2019 से सितंबर- 2019	पीओआई वार्षिककृत
संबद्ध देशों से कुल आयात	मी. टन	34,039	31,725	44,848	29,499	39,332
कुल मांग	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	132	124	124
घरेलू उद्योग का उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	205	158	234	234
भारतीय खपत की दृष्टि से संबद्ध देशों से आयात	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	100	93	93
घरेलू उद्योग की दृष्टि से संबद्ध देशों से आयात	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	45	83	49	49

59. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों में उत्पादन की दृष्टि से वृद्धि हुई है और आधार वर्ष तथा पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 2018-19 को छोड़कर पीओआई (क) में मांग में गिरावट आई है। यद्यपि, पीओआई (क)

में ऐसे आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है और ऐसे पाटित आयातों का हिस्सा समग्र मांग में काफी अधिक बना हुआ है।

60. यह भी नोट किया जाता है कि पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष अथवा निरपेक्ष संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और उपरोक्त आयात सापेक्ष दृष्टि से संबद्ध आयातों में वृद्धि को दर्शाते हैं।

घ. मांग में बाजार हिस्सा

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई- जनवरी- 2019 से सितंबर- 2019	पीओआई वार्षिककृ त
संबद्ध देशों से कुल आयात	मी. टन	34,039	31,725	44,848	29,499	39,332
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	255	177	304	304
कुल मांग	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	132	124	124
मांग में बाजार हिस्सा						
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	240	134	245	245
संबद्ध देशों से आयात	%	84	74	84	78	78
अन्य देशों से आयात	%	8	7	6	2	2
अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	%	***	***	***	***	***
कुल	%	100	100	100	100	100

61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई (ए) तक समग्र मांग में गिरावट आई है। यद्यपि 2017-18 तक इनमें वृद्धि हुई है। मांग में याचिकाकर्ता के हिस्से ने क्षति अवधि और पीओआई (ए) के दौरान वृद्धि हुई है। यद्यपि मांग में पाटित आयातों के हिस्से में गिरावट आई है। तथापि, वह पीओआई (ए) के दौरान 78 प्रतिशत बना रहा है जिसे अत्यधिक स्तर के रूप में नोट किया गया है।

iii. घरेलू उद्योग पर आयातों पर कीमत प्रभाव

62. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में इस बात का विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या कथित पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत के संबंध में भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत पर प्रभाव की कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

क) कीमत कटौती

63. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पहुँच मूल्य के साथ की गई है। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत का परिकलन करते समय सभी कर, छूटें, रियायतें और कमीशन को घटा दिया गया है और कारखानागत स्तर पर बिक्री वसूली पर पाटित आयातों के पहुँच मूल्य के साथ तुलना के लिए निर्धारित किया गया है। तदनुसार, संबद्ध देशों के पाटित आयातों का कटौती प्रभाव निम्नलिखित रूप में निकलता है:

विवरण	यूनिट	चीन जन. गण.	सउदी अरब	संबद्ध देश
निवल बिक्री प्राप्ति	रु/ कि. ग्रा.	***	***	***
पहुँच कीमत (एलवी)	रु/ कि. ग्रा.	60.40	57.52	58.15
कीमत कटौती	रु/ कि. ग्रा.	***	***	***
कीमत कटौती	पहुँच कीमत का %	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	1 - 5	5 - 10	5 - 10

64. उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि संबद्ध देशों से आयात याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री कीमत से कम कीमत पर आ रहे हैं। जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों के लिए कीमत कटौती और अलग-अलग और संचयी दोनों तरह से सकारात्मक हैं।

ख) कीमत ह्रास / दमन

65. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास कर रहे हैं और क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतों का काफी मात्रा तक दमन करना अथवा ऐसी कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती, क्षति की अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की तुलना निम्नलिखित रूप में की गई थी :

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई- जनवरी-2019 से सितंबर-2019
बिक्रियों की लागत	रु/ कि.ग्रा.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	101	127	119
घरेलू बिक्री कीमत	रु/ कि.ग्रा.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	113	128	108
पहुँच मूल्य- संबद्ध देश	रु/ कि.ग्रा.	50.60	60.59	68.78	58.15
	सूचीबद्ध	100	120	136	115

66. उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि संबद्ध देशों से आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं जो घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। इससे पीओआई (ए) के दौरान घरेलू उद्योग को कीमत घटानी पड़ी है और इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिससे घरेलू उद्योग को बिक्री लागत से कम पर बिक्री करने को बाध्य होना पड़ा जिससे वित्तीय घाटा हुआ। यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि बिक्रियों की लागत और एन एस आर में इन वर्षों में वृद्धि हुई है। तथापि, पाटित आयातों की पहुँच कीमत निरंतर घरेलू उद्योग की लागत और कीमत से कम रही है जिससे ऐसे पहुँच मूल्य के प्रतिकूल कीमत प्रभाव का संकेत मिलता है।

67. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि अर्थात् तत्काल पूर्व के वर्ष के घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में कटौती बहुत ही महत्वपूर्ण थी और लागत में कमी से काफी अधिक थी जबकि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में पर्याप्त कमी हुई। इस प्रकार, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत में महत्वपूर्ण कटौती का प्रभाव घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर, उसी अवधि में बिल्कुल स्पष्ट है।

ग) कम कीमत पर बिक्री

68. घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत (एन आई पी) निर्धारित की गई है और उसकी तुलना कम कीमत पर बिक्री ज्ञात करने के लिए संबद्ध वस्तु के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। विचाराधीन उत्पाद की एन आई पी का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-III में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सूचना / आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। विश्लेषण से पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयातों का पहुंच मूल घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम था जैसा नीचे तालिका से देखा जा सकता है जो सकारात्मक कम कीमत पर बिक्री प्रभाव दर्शाती है :-

विवरण	यूनिट	चीन जन. गण.			सउदी अरब		
		बल्क	पैकड	कुल	बल्क	पैकड	कुल
पीओआई के लिए पहुंच मूल्य	रु/ कि.ग्रा.	55.20	61.25	60.40	56.10	57.81	57.52
क्षतिरहित कीमत (एनआईपी)	रु/ कि.ग्रा.	***	***	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	रु/ कि.ग्रा.	***	***	***	***	***	***
	%	***	***	***	***	***	***
	रेंज	40 - 50	35 - 45	35 - 45	40 - 50	40 - 50	35 - 45

69. उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि भारत में आयात घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से काफी कम कीमत पर हो रहे हैं। इस प्रकार पीओआई के दौरान संबद्ध देशों से कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक और काफी अधिक है।

iv. घरेलू उद्योग का आर्थिक मापदंड

70. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है :-
71. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अब तक उनके अनुरोधों में दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों पर वस्तुनिष्ठ ढंग से विचार करके क्षति संबंधी मापदंडों की जांच की है।

क) उत्पादन क्षमता, बिक्री और क्षमता उपयोग

72. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन निम्नानुसार था :-

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई- जनवरी-2019 से सितंबर- 2019	पीओआई वार्षिककृत
स्थापित क्षमता	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100	100
उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	205	158	234	234
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	205	158	234	234
घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	255	177	304	304

73. याचिकाकर्ता की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग का रुझान सकारात्मक था, परंतु याचिकाकर्ता मांग के अनुरूप से संबंधित उत्पाद की बिक्री में वृद्धि करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि संबद्ध देशों से भारी मात्रा में पाटित आयात आ रहे हैं। घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि को पीओआई (क) में पाटित आयातों द्वारा धारित लगभग 78 प्रतिशत बाजार हिस्से के साथ नोट किया गया है।

ख. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

74. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ क्षति अवधि के दौरान नीचे तालिका में दिए गए हैं-

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई- जनवरी-2019 से सितंबर- 2019	पीओआई वार्षिककृत
लाभ/हानि	रु. कि. ग्रा.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	350	-100	-448	-448
ब्याज और कर पूर्व लाभ / (हानि) (पीबीआईटी)	रु. लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	860	-141	-1163	-1551
नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	620	89	-674	-866
नियोजित पूंजी	रु. लाख	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	104	109	109
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	- 100	831	-136	-1429	-1429

75. उपरोक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि :

- क) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता संबद्ध देश से उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा पाटन में तीव्रता के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुई है। घरेलू उद्योग के ब्याज और कर पूर्व लाभ (पीवीआईटी) में पीओआई (क) के दौरान भारी गिरावट आई है और यह ऋणात्मक रहे थे। पीवीआईटी जो 2016-17 में -100 सूचीबद्ध था 2017-18 में बढ़कर 761 बिंदु हो गया और पीओआई के दौरान तेजी से घटकर -1551 सूचीबद्ध बिंदु रह गया। यहां दिए गए आंकड़े सत्यापित संख्याएं हैं और अतः प्रारंभिक जांच परिणामों में कुछ अंतर है।
- ख) प्रति इकाई लाभ में पीओआई (ए) के दौरान तेजी से गिरावट आई और पीओआई (ए) के दौरान यह ऋणात्मक रहा। घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए प्रति इकाई घाटे काफी अधिक हैं।
- ग) इसी प्रकार घरेलू उद्योग नकद लाभ में भारी गिरावट आई है। 2016-17 में 100 सूचीबद्ध बिंदुओं के नकद लाभ से पीओआई(ए) के दौरान यह घटकर -831 सूचीबद्ध बिंदु रह गया।
- घ) लाभप्रदता की ही तरह नियोजित पूंजी पर आय में भी 2016-17 में -100 सूचीबद्ध बिंदुओं से पीओआई (क) के दौरान -1529 सूचीबद्ध बिंदुओं की जबरदस्त गिरावट आई। पीओआई (क) के दौरान आरओसीई में गिरावट 2017-18 की तुलना में अधिक है जिसमें आरओसीई सकारात्मक रहा था। पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग का आरओसीई *** प्रतिशत की रेंज में काफी अधिक ऋणात्मक नोट किया गया है।

ग. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

76. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार उत्पादकता और मजदूरी नीचे तालिका में दिए गए हैं :

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई- जनवरी-2019 से सितंबर-2019
रोजगार	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	105	105
मजदूरी	रु. कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	123	120
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन/ व्यक्ति	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	195	151	223

77. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग का रोजगार पूरी क्षति जांच अवधि और पीओआई के दौरान लगभग स्थिर रहा था। तथापि, पीओआई तक प्रति कर्मचारी उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई।

घ. मालसूची

78. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है-

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई- जनवरी-2019 से सितंबर-2019
औसत मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	102	112	89

79. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान गिरावट आई है।

ड.) वृद्धि

80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन और घरेलू बिक्री जैसे मात्रात्मक मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि सकारात्मक रही है, परंतु लाभ, निवेश पर आय आदि जैसी कीमत मापदंडों में गिरावट आई है और जांच अवधि के दौरान वृद्धि ऋणात्मक रही है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है :-

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई- जनवरी-2019 से सितंबर- 2019
उत्पादन	%	-	1.05	(0.23)	0.48
घरेलू बिक्री की मात्रा	%	-	1.55	(0.31)	0.71
बिक्री कीमत प्रति कि. ग्रा.	%	-	0.13	0.14	(0.16)
बिक्रियों की लागत प्रति कि. ग्रा.	%	-	0.01	0.25	(0.06)
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	11	(12)	(18)
लाभ प्रति यूनिट	%	-	3.48	(1.31)	(4.77)
पीवीआईटी प्रति यूनिट	%	-	3.98	(1.27)	(5.43)

च) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में उत्पाद की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए घरेलू उद्योग में संयंत्र और मशीनरी पर भारी निवेश किया है। तथापि, इन निवेशों के बावजूद घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में पर्याप्त गिरावट आई है और आगे निवेश बुरी तरह प्रभावित हो सकता है।

छ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

82. संबद्ध देश से आयात की कीमतों, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, आदि की जांच यह दर्शाती है कि संबद्ध देश से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के लिए निर्धारण हैं। वस्तुतः घरेलू उद्योग आयातों की कीमतों से मेल खा रहा है और लागतों में वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की पहुंच कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रही हैं जिससे भारतीय बाजार में कम कीमत पर बिक्री से वित्तीय घाटे हो रहे हैं। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु की मांग में पीओआई सहित क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है और इसलिए यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता है। इस प्रकार अंतिम रूप से यह निष्कर्ष हो सकता है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात हैं।

ज) क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

83. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की एन आई पी का निर्धारण जांच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सूचना / आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। घरेलू उद्योग एन आई पी ज्ञात की गई है और क्षति मार्जिन के परिकलन हेतु उसकी तुलना संबद्ध देशों से उत्पादकों / निर्यातकों की पहुंच कीमत के साथ की गई है। “सभी अन्य” दर को प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

क्षति मार्जिन

क्र. सं.	देश	उत्पादक	एनआईपी यूएस डॉलर/ प्रति कि. ग्रा.	पहुंच मूल्य यूएस डॉलर/ प्रति कि. ग्रा.	क्षति मार्जिन यूएस डॉलर/ प्रति कि. ग्रा.	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन % रेंज
1	चीन जन. गण.	मै० लियोचेंग लुक्सी मेथाइलामाइन केमिकल कं० लि०, (पैकड)	***	***	***	***	40 - 50
2	चीन जन. गण.	सभी असहयोगी उत्पादक / निर्यातक (पैकड)	***	***	***	***	45 - 55
3	सउदी अरब	मेथेनॉल केमिकल्स कंपनी (बल्क)	***	***	***	***	45 - 55
4	सउदी अरब	मेथेनॉल केमिकल्स कंपनी (पैकड)	***	***	***	***	45 - 55
5	सउदी अरब	भारी औसत	***	***	***	***	40 - 50
6	सउदी अरब	सभी असहयोगी उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	70 - 80

ज. गैर आरोपण विश्लेषण

84. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या उसी समय पाटित आयातों से इतर किसी ज्ञात कारक से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। ताकि अन्य कारकों द्वारा हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में प्रवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन तथा उत्पादकता शामिल है। नीचे इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों से इतर कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

(i) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

85. संबद्ध देशों से इतर देशों से आयात मात्रा की दृष्टि से अधिक नहीं है। इसलिए इनसे घरेलू उद्योग को क्षति का खतरा नहीं है। अन्य देशों से आयात कुल मिलाकर कुल आयातों के 3 प्रतिशत से कम है और भारत में कुल मांग / खपत से 3 प्रतिशत से कम है। इस प्रकार ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अन्य देशों से आयात के कारण क्षति हुई है।

(ii) निर्यात कार्य निष्पादन

86. प्राधिकारी ने अपने क्षति विश्लेषण के लिए केवल घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है।

(iii) मांग में संकुचन इसी के साथ खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

87. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु की मांग में हुई क्षति अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि हुई है। इस प्रकार अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग को मांग में संकुचन के कारण क्षति नहीं हुई है।

(iv) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

88. संबद्ध वस्तु के आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं और ये देश में मुक्त रूप से आयात योग्य हैं। किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत कोई साक्ष्य यह नहीं दर्शाता है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की दशाओं में कोई परिवर्तन हुआ है।

(v) प्रौद्योगिकी में विकास

89. किसी भी हितवद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में ऐसे किसी विशेष विकास को प्रदर्शित करने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

(vi) खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

90. घरेलू उद्योग उस किस्म की वस्तु का उत्पादन कर रहा है जिसका भारत में आयात हुआ है। खपत की प्रवृत्ति में संभावित प्रवर्तन वह कारक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति हो सकती हो।

(vii) अन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों के कार्य निष्पादन से घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन का प्राधिकारी द्वारा किया गया आकलन प्रभावित नहीं हुआ है। प्राधिकारी द्वारा केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में सूचना पर विचार किया गया है।

(viii) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में गिरावट से क्षति नहीं हुई है, बल्कि प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है।

झ. भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे

93. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है। ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः बहाल की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लागू होने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। लोकहित पर पक्षकारों के अनुरोधों की इस संदर्भ में जांच की गई है।

ज. प्रकटीकरण के उपरांत टिप्पणियां**घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन प्रश्नात टिप्पणियां**

94. यह प्रकटन दर्शाता है कि भारत में याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अंतर्गत संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" हैं।
95. यह प्रकटन दर्शाता है कि याचिकाकर्ता आधार की आवश्यकता को पूरा करते हैं और वर्तमान जांच के उद्देश्य से घरेलू उद्योग हैं। प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम में आधार और घरेलू उद्योग के पहलू पर अपने प्रस्तावों की पुष्टि कर सकते हैं।
96. इसके साथ ही, हमारा यह अनुरोध रहा है कि मै. मेथानोल केमिकल्स कंपनी की लागत इस नियम के अंतर्गत यथा-अपेक्षित उचित लागत को नहीं दर्शाता है और यह उत्तर कंपनी द्वारा दावा की गई लागत की तर्कसंगतता को दर्शाने में असफल रहा। हम निर्यातक के इस दावे का खंडन करते हैं कि संबंधित पक्षकारों से कच्चे माल की किसी खरीद के ब्यौरे सहित लागत संबंधी पूर्ण ब्यौरे कंपनी द्वारा प्रकट किए गए थे। उसके देखते हुए हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे मै. मेथानोल केमिकल्स कंपनी के लिए सामान्य मूल्य तय करते समय भारतीय लागत पर विचार करें। कंपनी के लिए वर्तमान में निर्धारित पाटन मार्जिन बहुत कम प्रतीत होता है अर्थात् कुछ समय से कंपनी द्वारा वास्तविक पाटन परिपाटी का अनुपालन किया जा रहा है।
97. प्रकटन में क्षति संबंधी चर्चा यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग को पाटित आयातों की पहुंच कीमत के कारण उत्पन्न कीमत प्रभावों के परिणाम के रूप में गंभीर वित्तीय हानि हुई है और मात्रा संबंधी मानदंड भी भारतीय बाजार में पाटित आयातों की भारी मात्रा में मौजूदगी के कारण समतुल्य स्तरों से कम भी रही है और इसका बहुत अधिक बाजार हिस्सा है। यह मामला स्पष्ट रूप से पाटन के प्रभाव में सुधार लाने के लिए पाटनरोधी शुल्क को आवश्यक बनाता है और हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे शीघ्रताशीघ्र निश्चयात्मक शुल्कों की सिफारिश करें।
98. साथ ही, वर्तमान मामले के तथ्य यह नहीं दर्शाते हैं कि डीएमएफ पर कोई भी पाटनरोधी शुल्क अधिकांशतः जनहित के विरुद्ध होगा और यह किसी भी रूप में फार्मास्युटिकल क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इन विरोधी पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार ने डीएमएफ पर किसी पाटनरोधी शुल्क के प्रभावों का परिमाण नहीं बताया है जबकि

हमारे अनुरोध ने यह दर्शाया कि प्रयोक्ताओं पर पूर्ण रूप से कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि डीएमएफ का प्रयोक्ताओं की लागत में केवल मामूली हिस्सा है जहां डीएमएफ का उपयोग किया जाता है। आयात किए जा रहे डीएमएफ का उपयोग करते हुए उत्पादों के निर्यातों पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि निर्यात के उद्देश्य से आयातों को किसी पाटनरोधी शुल्क के दायरे से बाहर किया जाता है।

सऊदी अरब की सरकार द्वारा प्रकटन प्रश्नात टिप्पणियां

99. सऊदी विदेश व्यापार आम प्राधिकरण (जिसे आगे “जीएएफटी” कहा गया है) निम्नलिखित मुद्दों पर प्रकटन विवरण से सहमत नहीं है:

- सर्वप्रथम, हमारी महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक चिंता एपीओआई का निर्धारण कर रहा है जिसमें संबद्ध आयातों के विकास की जांच करने के आधार के रूप में तथा क्षति संबंधी कारकों पर उनके प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए आयातों की अनुमानित आंकड़े शामिल हैं। वास्तव में, इस प्रकटन ने इस चिंता पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया क्योंकि यह केवल प्रमुख रूप से दर्शाता है कि डीजीटीआर 9 महीने की जांच की अवधि पर विचार कर सकते हैं।
- जीएएफटी के अनुरोधों में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आवेदक द्वारा उठाई गई क्षति का न होना है। जैसाकि हमारे अनुरोध में दिया गया है, आवेदक के प्रायः सभी आर्थिक सूचक सकारात्मक हैं और उनमें पर्याप्त रूप से सुधार हो रहा है।
- अंत में, अन्य बिंदुओं में जीएएफटी के अनुरोधों द्वारा व्यक्त की गई तीसरा प्रमुख बिंदु जिन पर डीजीटीआर द्वारा संभवतः विचार नहीं किया गया था, कथित पाटित आयातों और कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का नहीं होना है। जीएएफटी यह अनुरोध करता है कि आईपीओआई के दौरान आयातों में किसी वृद्धि और कुछ नकारात्मक सूचकों को पाकर भी पाटनरोधी शुल्कों को लगाने का 5 निर्णयों पर पहुंचना काफी नहीं है। डीजीटीआर को सकारात्मक साक्ष्य और वस्तुपरक जांच के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि आयातों में बहुत अधिक वृद्धि तथा कथित पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है।

मेथानोल, सऊदी अरब द्वारा प्रकटन प्रश्नात टिप्पणियां

क. प्रकटन विवरण ने केमानोल से संबंधित गोपनीय सूचना प्रकट की है

100. प्रकटन विवरण के नीचे क्षति मार्जिन के पैरा 83 में, प्राधिकारी ने केमानोल द्वारा निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं की गोपनीय पहुंच मूल्य को प्रकट किया है। उक्त पहुंच मूल्य व्यापार संवेदनशील प्रकृति के हैं और यह सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हैं।

ख. स्वयं प्राधिकारी द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है

101. यह अनुरोध किया जाता है कि उत्पादन की प्रति इकाई लागत पर पहुंचने के लिए गणना और उत्पादन की लागत से किए गए समायोजनों का ब्यौरा जिसके संबंध में प्रश्नावली के उत्तर में स्वयं प्रतिवादी द्वारा अनुरोध किया गया है, को उत्तर देने वाले प्रतिवादी से गोपनीय नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा, प्रतिवादी द्वारा उक्त सूचना उपलब्ध कराने के लिए इस अनुरोध के बावजूद, विस्तृत गणना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

ग. प्राधिकारी द्वारा क्षति की अनुचित जांच और कारणात्मक संबंधी मानदंड

(i) आयातों में कोई अधिक वृद्धि नहीं

102. वास्तव में, संबद्ध वस्तुओं की मांग की तुलना में आयातों में अपेक्षाकृत बड़ी गिरावट आई थी।

- i. जांच की अवधि और आधार वर्ष के बीच, संबद्ध वस्तुओं की मांग में 7 प्रतिशत तक गिरावट आई। तुलना करने पर, आयातों में गिरावट संपूर्ण रूप में संबद्ध देश के आयातों के लिए बहुत अधिक अर्थात् 13 प्रतिशत थी। हालांकि, याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री में उसी अवधि के दौरान बहुत अधिक अर्थात् 128 प्रतिशत वृद्धि हुई।
- ii. जांच की अवधि और पूर्व वर्ष के बीच, संबद्ध वस्तुओं की मांग में 39 प्रतिशत तक गिरावट आई। तुलना करने पर, आयातों में गिरावट और भी अधिक – पूर्ण रूप से संबद्ध देश के आयातों के

मामले में 45 प्रतिशत की गिरावट और सऊदी अरब से आयातों के मामले में 52 प्रतिशत की गिरावट थी। हालांकि, याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री में उसी अवधि के दौरान बहुत अधिक अर्थात् 51 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

(ii) आयात की मात्राओं को “वार्षिकीकृत” करना एक अनुमत्य परिपाटी नहीं है

103. वर्तमान जांच में, प्राधिकारी ने उत्तर देने वाले प्रतिवादियों द्वारा इसके विपरीत अनुरोध किए जाने के बावजूद 9 महीने की जांच की अवधि अर्थात् जनवरी, 2019 से सितंबर 2019 पर विचार करना जारी रखा है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने वर्तमान प्रकटन विवरण में वार्षिकीकृत आधार पर जांच की अवधि के लिए आयातों पर सूचना का विश्लेषण किया है। यह नोट करना संगत है कि जांच की उसी 9 महीने की अवधि पर भी जांच की शुरुआत की सूचना के प्रकाशन तथा प्रारंभिक जांच परिणाम के चरण में विचार किया गया था।
104. प्रतिवादी अपनी चिंताओं को रेखांकित करते हैं कि इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया गया है कि वार्षिकीकृत जांच की अवधि में विचार किए गए क्षति विश्लेषण की अवधि के पिछले वर्ष की पिछले तीन महीनों में तीन महीने की ओवरलैपिंग अवधि शामिल है। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से जानबूझकर सूचना उपलब्ध कराने के लिए इस डिजाइन किए गए, चयनित और ओवरलैपिंग अवधि जो उनके पक्ष में है, का प्रस्ताव किया है। यह तब स्पष्ट हो जाता है जब 2019 के पहले तीन महीनों में संबद्ध देशों के आयातों की मात्रा की तुलना प्रत्येक जांच किए गए वर्षों 2016, 2017 और 2018 की उसी अवधियों से की जाती है।

(iii) घरेलू उद्योग के दर्जे में मात्रा संबंधी क्षति मानदंडों के संबंध में जांच की अवधि के दौरान सुधार हुआ है

(क) कोई प्रतिकूल मात्रा संबंधी प्रभाव

(ख) मालसूची और प्रतिदिन उत्पादकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव

(ग) कोई प्रतिकूल कीमत संबंधी प्रभाव

(iv) आर्थिक मानदंडों पर प्रभाव का निष्कर्ष

105. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों का एक समग्र विश्लेषण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की स्थिति में बहुत अधिक हद तक सुधार हुआ है और यह कि संबद्ध देशों से आयातों का इसके कार्य-निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
106. इसके अलावा, यह अनुरोध किया जाता है कि कुछ मानदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग का गिरते हुए प्रदर्शन के लिए संबद्ध देशों से आयातों को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। पूर्वाग्रह के बिना, घरेलू उद्योग क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं और इस प्रकार, वर्तमान मामले में आगे कोई संरक्षण अपेक्षित नहीं है।

(v) सार्वजनिक हित के मुद्दे पर प्राधिकारी द्वारा चर्चा नहीं की गई है

लक्सी, चीन द्वारा प्रकटन प्रश्नात टिप्पणियां

107. प्रकटन विवरण के पैरा 27(घ) में इस टिप्पणी के संबंध में कि प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह अधिनियम अथवा नियमावली अथवा पाटनरोधी करार जांच की अवधि जिसमें 9 महीने शामिल हैं, को नहीं रोकता है, हम इससे सहमत हैं। हालांकि यह अनुरोध किया जाता है कि 12 महीने से कम अथवा 12 महीने से अधिक जांच की अवधि का चयन करने के संबंध में चेतावनियों का भी सम्मान किया जाए जबकि वर्तमान जांच में 12 महीने से कम की जांच की अवधि के चयन के लिए स्थितियां वर्तमान जांच के तथ्यों और परिस्थितियों के अंतर्गत मौजूद नहीं है।
108. पूर्वाग्रह के बिना यह अनुरोध किया जाता है कि प्रकटन विवरण के पैरा 40 में रिकॉर्ड की गई यह टिप्पणी कि “न तो याचिकाकर्ता और न ही किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने इस नियमावली के अनुबंध I के नियम 7 के किसी परंतुक के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध कराई है” तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। यह देखा जा सकता है कि अनुबंध I के पैरा 7 के प्रावधानों के संबंध में, चीन से निर्यातकों ने पहले ही इस जांच में प्रस्ताव किया है कि वर्तमान जांच में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश अर्थात् सऊदी अरब में/के द्वारा

अन्य देशों को घरेलू कीमतों/निर्यातों के आधार पर किया जाए और सऊदी अरब के निर्यातक ने भाग लिया है और चीन के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए आवश्यक सभी सूचना उपलब्ध कराई है जिस पर वर्तमान जांच में विचार किया जा सकता है।

109. यह दोहराया जाता है कि चूंकि बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश अर्थात् सऊदी अरब एक उत्पादक नामतः मेथानोल केमिकल्स कंपनी ने इस जांच में उत्तर दिया है और रिकॉर्ड पर सभी संगत सत्यापन योग्य सूचना उपलब्ध कराई है और यह कि इस सूचना का उपयोग इस उत्पादक के लिए इसके सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किया गया है, हम पैरा 7 में दिए गए पहले दो विकल्पों को देखते हुए सऊदी अरब से मै. मेथानोल केमिकल्स कंपनी की सूचना के आधार पर चीन से उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण का अनुरोध करते हैं। वर्तमान जांच में भारत में घरेलू उत्पादक के उत्पादन की लागत, एसजीए और लाभ के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह पैरा 7 में दिया गया अंतिम विकल्प है तथा अंतिम विकल्प को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है और उसे पहला/दूसरा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है जैसाकि वर्तमान जांच में किया जा रहा है।
110. क्षति के संबंध में यह देखा जाता है कि प्रकटन विवरण में रिकॉर्ड किए गए तथ्य प्रारंभिक जांच परिणाम में रिकॉर्ड किए गए तथ्यों जैसे हैं। यह दोहराया जाता है कि घरेलू उद्योग को कथित आयातों के कारण वर्तमान जांच में कोई क्षति नहीं हुई है।
111. यह भी अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान जांच में कारणात्मक संबंध नहीं है। यह देखा जा सकता है कि एक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण जांच प्राधिकारी वर्तमान जांच में कारणात्मक संबंध के होने पर निर्धारण नहीं करेगा क्योंकि घरेलू उद्योग के क्षति मानदंडों में मजबूत वृद्धि हुई है। इसके साथ ही, घरेलू कीमतों पर संबद्ध आयातों के बहुत अधिक कीमत प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं था और इस तथ्य का भी कोई साक्ष्य नहीं था कि घरेलू उद्योग चीन से कथित पाटित आयातों के कारण क्षति उठा रहा है।

आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रकटन प्रश्नात टिप्पणियां

112. जांच की अवधि केवल अपवादिक परिस्थितियों में 12 महीने से कम हो सकती है।
113. प्रतिवादी यह नोट करते हैं कि यद्यपि विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई, क्योंकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि यह दर्शाती है कि इस संबंध में इसे क्षति नहीं हुई थी। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे इन अंतिम जांच परिणामों में इसको ध्यान में रखें।
114. प्रतिवादी यह नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों में वृद्धि की जांच केवल अंतिम बिंदु आधार पर की गई है। संबद्ध देश के आयातों के संबंध में आंकड़ों की समीक्षा यह दर्शाएगी कि उनमें पिछले वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में कमी आई है। इसके अलावा, संबद्ध आयातों में 2017-18 अर्थात् आधार वर्ष के बाद के वर्ष में कमी आई है। इस कारण से संबद्ध आयातों में क्षति की अवधि में कोई स्पष्ट वृद्धि नहीं हुई है।
115. प्रतिवादी यह अनुरोध करते हैं कि केवल कीमत में कटौती का होना कीमत के प्रभाव की मौजूदगी का निर्धारण करने के लिए एक स्थिति नहीं है। अनुबंध-II के पैरा (ii) के अनुसार कीमत में कटौती बहुत अधिक होनी है जिसके कारण क्षति होती हो। वास्तव में, चीन जन.गण. से आयातों के मामले में, कीमत में कटौती 1-5 प्रतिशत के दायरे में है। जब सऊदी अरब से पहुंच मूल्य को संचयी रूप से लिया जाता है तब कीमत में कटौती निश्चित रूप से 10 प्रतिशत से कम होगी जो प्रतिवादी अनुरोध करते हैं, किसी भी मानदंड पर विचार "इतनी अधिक" नहीं की जा सकती है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति होती हो।
116. प्रतिवादी यह अनुरोध करते हैं कि यदि यह मान भी लिया जाता है कि लाभप्रदता में संबद्ध आयातों के कारण गिरावट आई है, यह गिरावट घरेलू उद्योग की प्रचालन संबंधी मानदंडों में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन से मेल नहीं खाता है। प्रतिवादी प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे इस तथ्य की जांच करें कि वित्तीय मानदंडों में संबद्ध आयातों को छोड़कर अन्य कारणों से गिरावट आई है।
117. हालांकि प्रतिवादी अपने पिछले अनुरोधों को दोहराते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों पाटनरोधी शुल्क लगाने के फलस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहां डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता/फार्मास्युटिकल उद्योग कीमत में वृद्धि पर उपभोक्ताओं और हेल्थकेयर क्षेत्र पर डालने के लिए विवश होंगे और इस प्रकार भारत में हेल्थकेयरों की लागतों में वृद्धि होगी। इस प्रकार के कदम जनहित के लिए नुकसानदायक होगा और इस कारण से प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश करने से पहले इस तथ्य को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए।

118. संदीप आर्गेनिक्स प्राइवेट लि. ने यह तर्क दिया कि निर्यातक और घरेलू उद्योग दोनों का सत्यापन उत्पादन किए गए वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया और गुणवत्ता में अंतर के संदर्भ में अपेक्षित है। कंपनी द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि भारत में उत्पादित तथा लक्सी केमिकल जैसे चीन जन.गण. से उत्पादकों द्वारा निर्यात किए गए डीएमएफ में डाईमेथिलेमाइन, फॉर्मिक एसिड, पीएच, संवाहकता, एफई, मेथानोल और डिमेथिलेसेतामाइड मात्राओं में अंतर है।
- ट. प्राधिकारी द्वारा जांच**
119. जहां तक मेसर्स मेथनॉल केमिकल्स कंपनी, सऊदी अरब की गोपनीयता के संबंध में प्रस्तुत करने का संबंध है, प्राधिकरण ने अंतिम निष्कर्षों में इसे स्टेरिक्स किया है।
120. इस तर्क को दोहराने के संबंध में कि 12 महीने से कम की अवधि लेने के लिए तर्क पर्याप्त नहीं हैं और प्राधिकारी को सही तस्वीर स्टीक रूप से दर्शाने के लिए 12 महीने की मानक अवधि हेतु जांच की अवधि को अवश्य परिभाषित करना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा पहले ही विस्तार से की जा चुकी है। पीओआई पर डब्ल्यूटीओ के दिशा-निर्देशों में कम से 6 महीने का पीओआई का सुझाव दिया गया है। 12 महीने से कम की अवधि वाले पीओआई पर कोई प्रतिबंध नहीं है हालांकि इस जांच के बाद पीओआई की अवधि नियमों में शामिल है। प्राधिकरण ने अतीत में पीओआई को 12 महीनों से अलग माना है और इस मामले में कोई अलग मानक नहीं अपनाया गया है।
121. जैसा कि चीन पीआर से उत्पादक उत्पादक के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य को अपनाने के लिए चीन पीआर से उत्पादकों / निर्यातकों के अनुरोध के संबंध में, चीन पीआर के लिए भी सामान्य मूल्य है, प्राधिकरण का दावा है कि दावा केवल एक दावे पर आधारित है जो बाजार अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य है तीसरा देश सऊदी अरब के एक निर्माता द्वारा सहयोग के आधार पर उपलब्ध है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाता है कि नियम के तहत प्रदान किए गए सामान्य डेटा को अपनाने के लिए अकेले डेटा की इतनी उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। नियम के लिए उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के तीसरे देश के चयन की आवश्यकता होती है और चीन पीआर के उत्पादकों द्वारा यह प्रदर्शित करने के लिए कोई जानकारी नहीं दी गई है कि सऊदी अरब चीन पीआर के लिए एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था तीसरा देश है। इसके अलावा चूंकि बाजार अर्थव्यवस्था उपचार (मौसम) का दावा नहीं किया गया है, इसलिए विज्ञापन नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 7 के पदानुक्रम में विकल्प उत्पादक/निर्यातक द्वारा किसी विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर दावा नहीं किया गया है। इसलिए, चीन पीआर के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण भारत में उत्पादन लागत को अपनाने के रूप में किया गया है, जो एसजीए खर्चों के लिए उचित समायोजन और पैरा 6 (8) के अनुसार उत्पादन की लागत पर 5% की दर से उचित लाभ के साथ आदर्श है।
122. प्राधिकरण ने नोट किया है कि उत्पादक/निर्यातक ने कहा है कि सामान्य मूल्य के प्रयोजन के लिए मूल्यांकन की गई उत्पादन लागत की पूर्ण कार्यप्रणाली का खुलासा नहीं किया गया है। इस संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया है कि प्रारंभिक निष्कर्षों के बाद प्राधिकरण ने उत्पादन लागत और उत्पादक/निर्यातक को गणना किए गए सामान्य मूल्य प्रदान किए थे। उत्पादक/निर्यातक ने उत्पादन लागत के किसी ब्यौरे का अनुरोध नहीं किया बल्कि डेस्क सत्यापन के लिए उत्पादन लागत के बारे में और अधिक ब्यौरा प्रदान किया जिसके परिणामस्वरूप सामान्य मूल्य में कमी आई क्योंकि उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रत्युत्तर में दायर आंकड़ों के आधार पर उत्पादन लागत में संशोधन किया गया था। संशोधित दावे के आधार पर उत्पादन की कम लागत पर प्राधिकरण द्वारा उचित रूप से विचार किया गया है और प्रकटीकरण में सूचित किया गया है जिसकी पुष्टि इस अंतिम निष्कर्षों में की जा रही है।
123. क्षति, पाटन और कारणात्मक के संबंध प्रकट किए गए तथ्यों और इसके साथ ही उसमें व्यक्त किए गए विचारों पर इन पक्षकारों की टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इन अंतिम जांच परिणामों पर हितवद्ध पक्षकारों के ऐसे सभी दृष्टिकोणों पर विचार करते हुए पहुंचा गया है, यद्यपि ऐसे टिप्पणियों पर चर्चा यहां संक्षिप्तता के वास्ते पृथक् रूप से की जा रही है। पाटन, क्षति और उनके बीच कारणात्मक संबंध की जांच इस नियमावली के अंतर्गत यथा-अपेक्षित तथा प्राधिकारी की सतत् परिपाटी के अनुसार भी वस्तुनिष्ठ तरीके से की गई है और अंतिम विचारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध पर चर्चा करते हुए इस जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर रिकॉर्ड किया गया है।

124. इन पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि कोई भी पाटनरोधी शुल्क जनहित और फार्मास्युटिकल उत्पादकों के हित पर विचार करते हुए अवश्य सिफारिश नहीं जानी चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित की जा सके।
125. संदीप आर्गेनिक्स प्रा. लि. के इस तर्क के संबंध में कि विश्लेषण का प्रमाण-पत्र और विचाराधीन उत्पाद के निर्माण का साक्ष्य भारत में उत्पादन किए गए संबद्ध वस्तुओं और भारत में आयात की गई संबद्ध वस्तुओं के बीच अंतर दर्शाता है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संदीप आर्गेनिक्स प्रा. लि. ने मुख्य रूप से सहयोग करने वाले निर्यातकों से संबंधित उत्पाद सूचना पर विश्वास घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए डीएमएफ और भारत में आयात किए गए डीएमएफ में अंतरों का दावा करने के लिए किया है। हालांकि, संबद्ध देशों से इस प्रकार के सहयोगी उत्पादकों ने इन उत्पादों में ऐसे किसी अंतर के बारे में दावा नहीं किया है बल्कि उन्होंने यह दावा किया कि ये उत्पाद तुलनीय हैं। वैसा ही दृष्टिकोण सहयोग करने वाले आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा भी साझा किया गया है। इसके साथ ही, संदीप आर्गेनिक्स द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ दस्तावेजों की जांच यह नहीं दर्शाती है कि भारत में उत्पादन किए गए डीएमएफ और आयात किए गए डीएमएफ अलग-अलग उत्पाद हैं।

ठ. निष्कर्ष

126. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:
- क. विचाराधीन उत्पाद का निर्यात संबद्ध देशों से भारत को इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है।
- ख. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
- ग. वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के ऐसे पाटित आयातों के कारण हुई है।

ड. सिफारिशें

127. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संपर्क के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में जांच शुरू करने और जांच करने पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति को दूर करने के लिए जांच पूरी होने तक अनंतिम शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है। अतः प्राधिकारी इसे आवश्यक समझते हैं और तदनुसार, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।
128. नियमावली के नियम 4 (घ) और नियम 17 (i) (ख) में दिए गए प्रावधान के अनुसार प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों के लिए संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित नीचे शुल्क तालिका के कॉलम 3 में दी गई वस्तुओं के सभी आयातों पर नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष	वर्णन	मूलता का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29211110	डाईमिथाइल फोरमेमाइड (डीएमएफ)	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	मै० लियोचेंग लुक्सी मिथाइलामाइन केमिकल कंपनी लि०	377.21	मी. टन	यूएस डॉलर
2	29211110	डाईमिथाइल फोरमेमाइड	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	मै० लियोचेंग लुक्सी मिथाइलामाइन	405.75	मी. टन	यूएस डॉलर

क्र. सं.	शीर्ष	वर्णन	मूलता का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
		(डीएमएफ)			केमिकल कंपनी लि० को छोड़कर अन्य कोई उत्पादक			
3	29211110	डाईमिथाइल फोरमेमाइड (डीएमएफ)	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. से इतर कोई देश	मै० लियोचेंग लुक्सी मिथाइलामाइन केमिकल कंपनी लि०	377.21	मी. टन	यूएस डॉलर
4	29211110	डाईमिथाइल फोरमेमाइड (डीएमएफ)	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. से इतर कोई देश	मै० लियोचेंग लुक्सी मिथाइलामाइन केमिकल कंपनी लि० को छोड़कर अन्य कोई उत्पादक	405.75	मी. टन	यूएस डॉलर
5	29211110	डाईमिथाइल फोरमेमाइड (डीएमएफ)	चीन जन. गण. से इतर कोई देश	चीन जन. गण.	मै० लियोचेंग लुक्सी मिथाइलामाइन केमिकल कंपनी लि०	377.21	मी. टन	यूएस डॉलर
6	29211110	डाईमिथाइल फोरमेमाइड (डीएमएफ)	चीन जन. गण. से इतर कोई देश	चीन जन. गण.	मै० लियोचेंग लुक्सी मिथाइलामाइन केमिकल कंपनी लि० को छोड़कर अन्य कोई उत्पादक	405.75	मी. टन	यूएस डॉलर
7	29211110	डाईमिथाइल फोरमेमाइड (डीएमएफ)	सउदी अरब	सउदी अरब	मेथेनॉल केमिकल्स कंपनी	136.64	मी. टन	यूएस डॉलर
8	29211110	डाईमिथाइल फोरमेमाइड (डीएमएफ)	सउदी अरब	सउदी अरब	मेथेनॉल केमिकल्स कंपनी को छोड़कर अन्य कोई उत्पादक	267.35	मी. टन	यूएस डॉलर
9	29211110	डाईमिथाइल फोरमेमाइड (डीएमएफ)	सउदी अरब	सउदी अरब से इतर कोई देश	मेथेनॉल केमिकल्स कंपनी	136.64	मी. टन	यूएस डॉलर
10	29211110	डाईमिथाइल फोरमेमाइड (डीएमएफ)	सउदी अरब	सउदी अरब से इतर कोई देश	मेथेनॉल केमिकल्स कंपनी को छोड़कर अन्य कोई उत्पादक	267.35	मी. टन	यूएस डॉलर
11	29211110	डाईमिथाइल फोरमेमाइड (डीएमएफ)	सउदी अरब से इतर कोई देश	सउदी अरब	मेथेनॉल केमिकल्स कंपनी	136.64	मी. टन	यूएस डॉलर
12	29211110	डाईमिथाइल फोरमेमाइड (डीएमएफ)	सउदी अरब से इतर कोई देश	सउदी अरब	मेथेनॉल केमिकल्स कंपनी को छोड़कर अन्य कोई उत्पादक	267.35	मी. टन	यूएस डॉलर

ड. आगे की प्रक्रिया

129. इन जांच परिणामों के कारण केंद्रीय सरकार के आदेशों के खिलाफ कोई अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपील न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

बी.बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 11th January, 2021

CASE NO. (OI) 24/2019

Sub. : Final Findings in the Anti-Dumping Original Investigation concerning imports of “Dimethyl Formamide” (DMF) originating in or exported from China PR and Saudi Arabia.

F. No. 6/37/2019-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD rules), thereof;

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. M/s. Balaji Amines Ltd (hereinafter also referred to as “the Applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as “the Authority”) on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) for Original Investigation of Anti-dumping Duty concerning imports of “Dimethyl Formamide” (DMF) (hereinafter also referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from Saudi Arabia and China PR (hereinafter also referred to as the “subject countries”).
2. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the Applicant, issued a public notice vide Notification F. No. 6/37/2019-DGTR dated 14th January, 2020, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the Domestic Industry.
3. The Authority, in terms of Rule 12 of the Rules, issued a public notice vide Notification No.7/37/2019 - DGTR dated 18th August, 2020 notifying preliminary findings in the investigation. However, the same has not been implemented by the Central Government.

B. PROCEDURE

4. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation:
 - a. The Authority notified the Embassies of the Subject Countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
 - b. The Authority issued a public notice dated 14th January, 2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from subject countries.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassies of the Subject Countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users and the Domestic Industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the Applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.

- d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
- e. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
- f. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules
 - Saudi Arabia
 - i. Methanol Chemicals Company
 - ii. Fahad Thnayan AI Thnayan and PA
 - iii. Barwil Agencies Ltd
 - China PR
 - i. Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co Ltd
 - ii. Hualu Holding Group Co., Ltd
 - iii. Zibo Luzhong Chemical & Light Industry Co., Ltd
 - iv. Anhui Huaihua Fine Chemicals Co., Ltd
 - v. Zhejiang Jiangshan Chemical Co., Ltd
- g. In response, the following exporters/producers from the subject countries filed exporter's questionnaire response;
 - i. Methanol Chemicals Company, Saudi Arabia,
 - ii. M/s. Luxi Chemical Group Co. Ltd., Chlor-Alkali Chemical Branch, China, now known as M/s. Liaocheng Luxi Mehtylamine Chemical Co., Ltd.
 - iii. M/s. Shandong Liaocheng Luxi New Material Sale Co., Ltd., China and
 - iv. M/s. Liaocheng Ruijin (Hong Kong) Co., Limited.
- h. The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rule
 - i. Orchid Chemicals and Pharmaceuticals Ltd
 - ii. Symed Labs Ltd
 - iii. Matrix Laboratories Ltd
 - iv. Dorf-Ketal Chemicals India Pvt Ltd
 - v. Harman Finochem Ltd
 - vi. Ramkamal Chemicals Pvt Ltd
 - vii. Piramal Enterprises Ltd
 - viii. Matrix Laboratories Ltd
 - ix. AMI Organics Pvt Ltd
 - x. Pasupati Acrylon Limited
 - xi. Indian Acrylics Ltd
 - xii. Wockhardt Ltd
 - xiii. Yogesh Dyestuff Products Pvt. Ltd
 - xiv. Sun Pharmaceutical Industries Ltd
 - xv. Lupin Ltd

- xvi. Aurobindo Pharma Ltd
- i. In response, the following importers/users have responded and filed importer's questionnaire response;
 - i. Ramniklal S Gosalia & Co
 - ii. Aurobindo Pharma Ltd
 - iii. Pasupati Acrylon Limited
 - iv. Indian Acrylics Ltd
 - v. Laurus Labs Ltd.
- j. M/s. Sandeep Organics Ltd has only filed letter/submissions and no responses were filed in the prescribed formats within the stipulated time to do so following the initiation. Notwithstanding the same, the submissions on the party to the extent found relevant is considered and addressed.
- k. The Authority, upon request, granted extension, to file Exporter Questionnaire Response (EQR) by 02.03.2020, which was placed in the public domain through DGTR's website.
- l. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented/made by various interested parties to the other parties by directing the parties to exchange such submissions based on the list of interested parties relevant for the investigation made available to all relevant parties.
- m. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has, relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.
- n. The Non-Injurious Price (NIP) has been determined based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the Domestic Industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- o. The Period of Investigation for the purpose of the present anti-dumping investigation is from 1st January, 2019 to 30th September, 2019 (9 Months). The injury investigation period has however, been considered as the period from April 2016 - March 2017, April 2017 - March 2018, April 2018 - March 2019 and the POI.
- p. The Authority notified the Preliminary Findings to all interested parties. As recorded in the Preliminary Findings, the Authority invited comments on the same and the views of the interested parties on the preliminary determination has been considered and addressed to the extent relevant for the purpose of present Final Findings.
- q. Desk verification of the information provided by the applicant, responding producers and exporters from subject countries to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary modification/rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of Final Findings.
- r. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held via Video Conferencing on 16th November, 2020. All the parties who had attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions, followed by rejoinders, if any.
- s. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation so far including the post disclosure comments, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered and addressed by the Authority, in this Final Findings which includes the comments of the parties on disclosure statement as well.
- t. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as

confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

- u. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- v. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 26th December 2020 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in this Final Findings.
- w. ‘****’ in this Final Findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- x. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1 = Rs.71.03.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

5. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as:

i) 'The product under consideration in the present investigation is Di Methyl Formamide and has also been referred as DMF'.

ii) 'Di Methyl Formamide', is a colourless, high boiling polar aprotic solvent with a characteristic odor. It is stable on heating and under its distillation temperature range and is freely miscible with water, alcohols, ethers, ketones, ester, carbon disulfide and chlorinated and aromatic hydrocarbons. The application and uses of the subject goods can be broadly categorized as follows;

- a. As a solvent in pharmaceuticals manufacturing;
- b. As a solvents in Acrylic Polymers manufacturing;
- c. As a feedstock for synthesis of derivatives of DMF;
- d. As a solvent in pesticides formulations

iii) The PUC is primarily declared under Customs subheading 29211110 at the time of imports. However, the subheading is indicative only and is not binding on the scope of the PUC since the chances of imports of PUC getting reported under other subheadings cannot be ruled out as claimed by the petitioner. It would not be appropriate to restrict the scope of PUC to customs subheading alone and what is relevant is the product description.

Submissions made by the Domestic Industry

6. The submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:

- i. The product under consideration in the present case is 'Dimethyl Formamide' (DMF) originating in or exported Saudi Arabia and China PR. Dimethyl Formamide is the organic compound with the formula C_3H_7NO or $HCON(CH_3)_2$ and bears the chemical nomenclature 'N,N-DIMETHYLFORMAMIDE'.
- ii. 'Dimethyl Formamide', is a colorless, high boiling polar aprotic solvent with a characteristic odor. It is stable on heating and under its distillation temperature range and is freely miscible with water, alcohols, ethers, ketones, ester, carbon disulfide and chlorinated and aromatic hydrocarbons.
- iii. The product under consideration is imported under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under customs sub-heading 29211110. The customs classification is indicative only and not binding on scope of the product under consideration.
- iv. There is no difference in product produced by the Applicant and exported from the subject country.
- v. None of the responding exporters/importers have raised any differences between the imported DMF and that produced by the petitioner. It has been submitted that DMF is sold in bulk/container or packed in HDPE drums. Mode of packing does not create any difference in the product as such. The Authority may compare DMF sold in container to container and drums to drums for all practical purposes of determining dumping and injury margins. The petitioner has already provided

cost and price information separately for bulk and packed product including information relevant for NIP.

- vi. The contentions of Sandeep Organics Pvt Ltd have no authenticity as the said party has not established its bona fides and the company has not filed any Questionnaire Response. While the Company, whose status is not known, have raised concerns on the product comparability, the participating producers/exporters and importers/users have not raised any such issues. The contentions raised by the company are denied on all factual counts and DMF produced by the petitioner is comparable to the DMF imported into India within the meaning of Rule 2 (d).

Submissions made by the other interested parties

7. The submissions made by the exporters, importers, users and other interested parties with regard to product under consideration and like article, and considered relevant by the Authority, are as follows:
 - i. There is no difference of technical or physical characteristics for the PUC imported from country concerned with that produced in India. However, the landed price for the PUC imported from country concerned with that produced in India could be different.
 - ii. The product under consideration sold in Saudi Arabian domestic market, and the products exported to India are identical in physical and chemical characteristics.
 - iii. There are no known differences in the product domestically manufactured and product imported.
 - iv. The product under consideration is a single product, physically and chemically identical in all markets. The only difference is that the product is sold in bulk or in drums.
 - v. Sandeep Organics Pvt Ltd contended that verification of Exporter and DI both are required in terms of manufacturing process & difference in quality produced. It has also been contended by the Company that there is difference in the Dimethylamine, formic acid, pH, conductivity, Fe, methanol and Dimethylacetamide contents in the DMF produced in India and that exported from producers from China PR like Luxi Chemical.
 - vi. Anti-dumping duty as per packing should be ascertained/calculated as DMF has different price for different packing.

Examination of the Authority

8. The submissions made by the interested parties and the Domestic Industry with regard to the PUC related issues and considered relevant by the Authority are examined and addressed hereunder.
9. The product under consideration for the purpose of present investigation is “Dimethyl Formamide (DMF)” originating in or exported from Saudi Arabia and China.
10. It is a colorless, high boiling polar aprotic solvent with a characteristic odor. It is stable on heating and under its distillation temperature range and is freely miscible with water, alcohols, ethers, ketones, ester, carbon disulfide and chlorinated and aromatic hydrocarbons. The PUC is used as a solvent in pharmaceuticals manufacturing, Acrylic Polymers manufacturer and pesticides formulations. It is used as a feedstock for synthesis of derivatives of DMF.
11. PUC is classifiable under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-heading 2921 1110. However, the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
12. With regard to like article, Rule 2(d) of the AD Rules provides as follows: -

“like article” means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation.
13. It is also noted from the responses submitted by the opposing interested parties that there are no differences in the subject goods domestically manufactured and those which are imported. Based on the information available on record, it is noted that there is no known difference in the subject goods produced by the petitioner and the product under consideration produced and exported from the subject countries. The two products are comparable in terms of essential product characteristics such as

physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods etc. The two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of the present Final Findings, the subject goods produced by the petitioner in India are found as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries under Rule 2 (d) of the AD Rules.

14. With regard to the contentions raised by M/s. Sandeep Organics Pvt Ltd, it is noted that the contentions are not supported by any evidences and no details of imports or purchase of DMF made by M/s. Sandeep Organics Pvt Ltd have been provided to examine such differences claimed by the party. Also, the cooperating exporters and importers/users have stated in their responses that the imported and domestically produced DMF are comparable technically and commercially. In view of the same, the contentions raised by M/s. Sandeep Organics Pvt Ltd are rejected.
15. As regards the claims for separate comparison of product traded in bulk and packed condition for determination of margins, appropriate comparison are carried out for the determination of dumping and injury margin in this Final Findings.
16. After considering the information on record, the Authority holds that there is no known difference in product under consideration exported from subject countries and the subject product produced by the Domestic Industry. The subject goods produced by the Domestic Industry are comparable to the subject goods exported from subject countries in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

Submissions made by the Domestic Industry

17. The submissions made by the Domestic Industry with regard to scope of Domestic Industry & standing so far are as follows;
 - a. The petitioner in the present case namely Balaji Amines Ltd is the sole producer of the subject goods in India and production by Balaji constitutes 100% share of total Indian production. The petitioner did not import the dumped material or are related to exporters/imports of the subject goods as provided in the Rule. Thus, the petitioner fulfills the requirements of standing and also constitutes domestic industry as defined in Rule 2 (b) of the AD Rules.
 - b. It may be noted that M/s. RCF Ltd was also a producer of subject goods. RCF Ltd has not produced the subject goods for some time now as per the understanding of the petitioner.
 - c. The details of some imports made by the petitioner in the early part of 2016-17 (base year of present investigation) were provided in the petition itself. The facts of such imports were covered in a previous investigation concerning the product and such imports have no material effect on the determinations under Rule 2(b) as the petitioner did not import during the POI.

Submission of other interested parties

18. The submissions on the aspect of domestic industry and standing filed by other interested parties so far is as follows;
 - a. The Petitioner has not provided any details of the quantity of imports made by it or any other relevant information in respect of imports made by it in the base year.
 - b. Since RCF has had the capacity to produce PUC, the Authority is requested to verify if RCF has, in fact, commercially not produced and sold the PUC in the POI in India.

Examination of the Authority

19. Rule 2 (b) of the AD rules defines the "domestic industry" as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are

themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"

20. It is noted that the application has been filed by M/s. Balaji Amines Ltd. who has claimed to be the sole producer of subject goods in India. As per the petition, M/s. Rashtriya Chemical & Fertilizers Ltd (RCF Ltd) was also a producer of subject goods. However, as provided in the petition, M/s. RCF has not produced the subject goods for quite some time. It is also noted that M/s. RCF Ltd has neither supported the petition nor opposed it.
21. M/s. Balaji Amines Ltd has not imported the PUC from the subject countries and is not related either to any exporter or producer of the PUC in the subject countries or any importer of the PUC in India.
22. As regards imports by the Petitioner, it is noted from the petition that no imports were made during the Period of Investigation by the petitioner.
23. As regards the participation by RCF Ltd, it is noted that RCF Ltd has not responded to the present investigation.
24. Accordingly, the Authority holds that for the purpose of this investigation, the Applicant Company satisfies the standing requirement and constitutes the "Domestic Industry" in terms of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Anti-dumping Rules.

E. MISCELLANEOUS ISSUES

Submissions made by the Domestic Industry

25. Certain miscellaneous submissions put forth by the domestic industry at this stage is noted as follows:
 - i. The case requires immediate levy of preliminary measures as the domestic industry have been suffering financial losses during the POI and the trend is just continuing. The discussion of overall injury in the petition shows that the enormity of such injury is just increasing on all key parameters of injury.
 - ii. The losses are directly linked to the injury created by dumped imports and immediate reliefs are necessary in the form of interim measures so that the DI can sustain in manufacturing pending the investigation.
 - iii. The facts of the present case shows significant import of the subject goods from subject countries which has increased in absolute terms at aggravated level of dumping (55 to 60 %) and such targeted dumping need quick measures to arrest the impacts on the DI. In fact, the dumped imports held about *** of the Indian demand and any fair share in demand to the DI can be ensured by imposition of anti-dumping duties only.
 - iv. No anti-dumping duties on import of PUC at the end of a recent Anti-dumping investigation concerning the subject goods [F. No.6/37/2017-DGAD dated 23.10.2018] apparently been taken as a golden opportunity by the producers/exporters from subject countries to increase dumping in India and after the said findings, the vigor of dumping has sky rocketed. The DI has again come before the Authority but with a much aggravated situation of injury. If Anti-dumping Duty is not levied at the earliest, there will be complete closure of the domestic industry and therefore, pray for immediate provisional measures pending detailed investigations and definitive measures by the Authority.
 - v. Provisional finding (PF) shows existence of dumping, injury and a causal relation between such dumping and injury concerning the dumped imports of subject goods from subject countries. ADD on PUC from subject countries is very essential at this juncture as dumping and injury is getting aggravated and the injury already caused is still unaddressed.
 - vi. The quantum of duty determined appears very low for the responding exporters. Inadequate duty will not help the domestic industry and the domestic industry will continue to suffer even after a finding of dumping and injury if no adequate duty is imposed.
 - vii. The duties will not impact the public interest in any manner and the existence of a unit producing the DMF shall certainly be in the larger public interest.
 - viii. Production by the petitioner is essential to avoid dependency of the Indian users on imports. DMF which is a solvent which is also recovered to some level after use forms only an insignificant part in the total cost at the end of the users including pharmaceutical companies.

DMF is not even pharmaceutical input and is only a solvent which enables chemical reaction wherever it is used.

- ix. Any ADD shall not impact the users in any significant manner but such duties are essential for the petitioner to continue with production amidst dumping. Imports such as under AL are not covered under ADD and the users can still import at un-dumped prices. Any duties to counteract dumping will not impact the public interest in any manner. India has imposed ADD on many key pharmaceutical inputs itself in the past and there are no jurisprudences which say no ADD on chemicals used in pharmaceutical industry as contended by some users. ADD is essential to ensure level playing field between petitioner and the exporters/importers of DMF.
- x. The claims of the opposing parties that imposition of antidumping duty will lead to an increase in the input cost for their products which will potentially lead to less of exports resulting in decline of forex earning are not of any merit. The share of DMF in the cost of finished product at the end of such parties shall be very negligible and it is not going to impact the export competitiveness etc. in any manner. Import for exports under Advance Licenses is not even covered under ADD.
- xi. It has been contended that lower production and selling capacity of Indian producer would make it difficult for them to connect with a customer having large requirements and this has led to lower sales realization and hence lower profitability of the DI. The contention at the best shows the DI faced lower sales realization and lower profitability. Lower production and selling was on account of the presence of dumped imports in India and in the absence of dumping the petitioner would have produced and sold more at profitable price.
- xii. It has been contended that inefficient utilization of installed production capacity due to lower demand has led to higher fixed cost and lower profits. Claim is not true. Underutilization of the capacity was the result of presence of dumped imports in India and in the absence of dumping the petitioner would have produced and sold more.
- xiii. It has been contended that reliance on imported Methanol (Raw material required to manufacture DMF) has led to delays in production and running losses. The contention is not true. The issue is that though the cost of production declined, the reduction in selling price was much higher than such reduction and what has influenced the selling price of the petitioner is the sharp decline in landed price of dumped imports of subject goods from subject countries.
- xiv. It has been contended that the domestic players don't have proven capacities to cater to Indian demand and any imposition of antidumping duty would lead to scarcity of the product and will increase the price of DMF. The contention is self serving only. The real issue is that the capacity of the DI has been grossly underutilized and dumping was the cause of such underutilization. New capacities can emerge only when the current capacities are utilized to the best. In any case, demand supply gap is not any justification to dump the product.
- xv. It has been contended that no basis or explanation for selection of 9 months POI is provided. The claim is not true. The petition itself contains the basis of such POI. The POI commences after the final finding in previous investigation and best reflects the dumping and consequent injury suffered by the DI relevant for this investigation. The selection of POI has not vitiated the merits of the case in any manner and the POI is proper and consistent with the practices. There is plethora of investigations wherein POI was considered as either 6 months or 9 months or 15 or 18 months depending on the facts of each case and no rule says POI has to be invariably 12 months.
- xvi. It has been contended that Domestic industry's financial performance has been impacted by the steep increase in the cost of raw materials used in the production of the like article in India. The contention is not true. In fact the cost of production declined during the POI viz. the previous year. However, the reduction in selling price was much higher than such reduction and what has influenced the selling price of the petitioner is the sharp decline in landed price of dumped imports in the same period.
- xvii. It has been contended that the petitioner did not share the details of import data as per DGCI&S. The petitioner has provided all relevant information including the DGCI&S data and summary as required under the rule, thus, the contention has no meaning.

- xviii. It is contended that only reference form of duty should be considered in the present matter and no duty should be imposed on public interest. The contentions need to be rejected. Only fixed form of duty shall be the appropriate form of duty in the acts of the present case and reference form of duty is not appropriate as the product does not cover any large varieties and wide range of products etc. Reference price can lead to circumvention and the form of duty has to be in such a manner to achieve the intended purpose of the duty. It shall be in public interest to impose ADD on DMF as the petitioner is the sole producer and its existence can be ensured by imposing ADD.
- xix. There are oppositions raised against request for retrospective levy of ADD. The fact that the dumping and injury aggravated after a recent finding not to impose ADD alone establishes the need for retrospective duties as the parties were well aware of the dumping being practiced by the exporters but they continued to import significant volume at dumped and injurious price. As elaborated in the petition, present case is a fit case for imposition of ADD on retrospective basis also.
- xx. It has been contended that mechanism of anti-dumping duty cannot be resorted to for protectionism of domestic producers. The contention is only a baseless insinuation. The DI sought protection against injurious dumping and duties to remove injury on account dumping of DMF is a justified action under the Anti-dumping law and is not any protectionist measure per se.
- xxi. It has been contended that currently, there is shortage as of DMF as demand is high and supply by DI is less. The contention has no meaning. About 70% of the capacity of the DI was underutilized during the POI and the reason for such underutilization was presence of dumped imports. Demand supply gap is not any justification for dumping as held in many AD cases. The present case is all about underutilization due to dumping and not about demand supply gap.
- xxii. It has been contended that domestic prices and also landed price of imports have increased after the notification. The claim has no basis as the information pertaining to the injury period alone is relevant in the present matter. Also, any such increase in price depending on other factors does not vitiate the claim of dumping and injury relevant for the present matter in any manner.

Submission of other interested parties

26. The submissions made by the opposing parties in the responses considered as miscellaneous issues at this stage are as follows:
 - i. Imposition of anti-dumping duties shall impact the users/importers adversely.
 - ii. The users are against the imposition of anti-dumping duties.
 - iii. Imposition of anti-dumping duties shall lead to monopolistic behavior by Balaji Amines Ltd.
 - iv. The imposition of antidumping duty will lead to an increase in the input cost for products at the end of users. Any increase in the input cost will make the product uncompetitive for exports. This will potentially lead to less exports resulting in decline of Forex earning.
 - v. It is not possible for the company to switch to other sources for supply of product under investigation within a short duration of time. This is due to the fact the domestic industry in India has very limited capacity to supply the subject goods and the prices are not competitive as compared to the imported DMF.
 - vi. The claims of the Petitioner lack merit as is evidenced from the previous investigation and analysis of the Authority. The findings of the said previous investigation will apply equally to the present investigation given the greater decline in import volumes in relative terms and positive growth in the Petitioner's economic parameters.
 - vii. Preliminary Findings have been erroneously issued and do not consider submissions made by the Users. The failure to address and consider the User's Preliminary Submissions and issue a speaking Preliminary Finding is in violation of the principles of natural justice recognized by the Hon'ble Supreme Court.

- viii. The Petitioner has failed to disclose the DGCI&S transaction wise data relied upon by it to determine the export price in the Petition.
- ix. The POI in the present investigation covers a 9-month period from January to September 2019. The User submits that the selection of 9-month POI in the present investigation is a departure from the normal practice of the Authority. Also, there are no justifications given for selection of such POI.
- x. In the event the Authority recommends imposition of duty, the User requests the Authority to consider duty in the form of reference price. This is for the reasons that globally, the prices of PUC have spiked. Currently, the landed prices for the PUC are in the range of 109-110 Rs/Kg, which is far above the landed prices quoted in the Petition. Also, the Petitioner (who claims to be the sole producer of PUC in India) has been unable to cater to the requirement of the User industries in India. There are past instances wherein form of duty in the final finding was different from PF.
- xi. In the event anti-dumping duty is recommended on PUC from subject countries, the pharma companies, in the interest of public, should not be subjected to duty if they provide an end-user certificate.
- xii. Currently, CIF from Saudi Arabia is over USD 1350 PMT CIF. Currently, CIF from China PR is over USD 1500 PMT CIF. Currently, Indian price is RS. 112-114 per kg ex stock.
- xiii. Currently, imports are not viable. Domestic prices have increased after the notification. Capacity of DI should be personally verified.
- xiv. Currently, there is shortage for the product in India as the demand is high and supply is less.
- xv. Mechanism of anti-dumping duty cannot be resorted to for protectionism of domestic producers.
- xvi. There is no justification for retrospective application of antidumping duty in the present investigation.
- xvii. Imposition of anti-dumping duty on DMF will adversely affect the health sector in India.
- xviii. The underutilization of the capacity which appears to be single biggest concern for the domestic industry, the domestic industry did not disclose the material fact that the same capacity is used for producing other value added products such as DMAC and DMA HCL.
- xix. Even if the Petitioner were to achieve 100% capacity utilization and sell its entire production in the domestic market, even then the Petitioner may at best meet around 60% demand. Given the lack of import substitutability, it would be highly detrimental for user industry in India, which majorly comprises of pharmaceutical companies, who use the subject goods as a solvent.
- xx. It is relevant to note that the only a minor portion of the imports made by the User (approximately 25%) benefit from advance authorization scheme and almost 75% of imports are made after payment of duty. Therefore, the Petitioner's contention that the Users may avail benefit of advance authorization and will not be subject to anti-dumping duty is factually incorrect.

Examination by the Authority

27. The various submissions made by the interested parties and the Petitioner with regard to miscellaneous issues as recorded above have been examined and addressed below:
- a) As regards the need for interim measures raised by the applicant, the Authority has taken note of the submissions made by the applicant and opposing interested parties so far in this investigation and has examined the same in accordance with the Rules and is addressed appropriately at relevant place in the said provisional findings itself.
 - b) With regard to the apprehensions of the opposing parties that the anti-dumping duties shall lead to monopolistic behavior of the domestic industry and adversities to the users, it is noted that the any anti-dumping duty is intended to remove the injurious effects caused by such dumping and no duties beyond lower of the injury/dumping margin is recommended, if any

found necessary. Anti-dumping duties per se will not restrict the availability of the goods to the users. Any gap in the supply of PUC against total demand in the country cannot justify dumping and consequent injury, if any.

- c) As regards the submissions of the parties on recommendation of provisional duties, the circumstances which necessitated such recommendation along with the grounds has been provided in the Provisional Finding itself which does not require any further examination at this juncture. However, comments of the parties on specific aspects of the said provisional finding are ipso facto addressed here.
- d) As regards the submission that the period of investigation cannot be less than 12 months and also the 9 months POI is not justified, the Authority notes that the Act or the Rules or the Anti-dumping Agreement does not prohibit a period of investigation comprising of 9 months. At the time of initiation, there was no provision of POI in the Rules. A specific provision on POI has been included in the Rules only in February 2020. The Authority noted that the guidelines of the Committee on Anti-Dumping practices regarding duration of period of investigation adopted on 5th May, 2000 recognizes that the Investigating Authorities may consider appropriate POI's on a case specific basis which cannot be less than six months. In the instant investigation, the period of investigation is of nine months which is compatible with the WTO guidelines. At the time of initiation, the Authority adopted most recent period i.e 1st January, 2019 to 30th September, 2019 as POI. The Period was not considered from 1.10.2018 onwards by the petitioner as the Finding in an earlier investigation concerning the product was concluded on 23.10.2018. Hence, the Authority adopted the period of investigation of 9 months. POI of less than 12 months has been adopted by the Authority in a number of anti-dumping investigations.
- e) As regards the claims that there have been changes in the price of the product in the post POI period, it is noted that the scope of the present investigation is already defined in the initiation notification.
- f) As regards the contention of the opposing parties that domestic industry did not disclose the material fact that the same capacity is used for producing other value added products such as DMAC and DMA HCL, the Authority notes that the capacity considered is of the subject goods only and the detail of capacity of DMF available with the petitioner has been checked.

F. ISSUES ON CONFIDENTIALITY

Submissions made by the Domestic Industry

28. The following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to confidentiality issues:
 - a. The information submitted by the opposing interested parties do not permit any proper understanding of their claims and the submissions suffer from excessive use of confidentiality and lack of information. The Authority may direct such parties to comply with the requirements of Rule 7 and provide an opportunity to the DI to comment on such submissions.
 - b. Aurobindo Pharma Ltd has held information such as contact number of the company etc as confidential which shows the frivolous approach adopted by the company while claiming confidentiality. The company held the reply to Q.7 under Section C of the Response as confidential which asks for any other known reason in view of the party which may have caused injury to the India producer. In the absence of such information, no comments can be offered. Though the company raised concerns about impact of any ADD on DMF on their finished product, no meaningful summary is provided in the response to understand the material effect of such duties. Crucial information in this regard in Annexure 3 and 4 to the response is all held confidential without any indexed summary or range etc.
 - c. Laurus Labs Limited has held the Annexures to the Response totally confidential without giving any summary, range or indexed information The Company in fact misused the confidentiality

provision while adopting such excessive confidentiality. The reasons given for such claims are also not justified and merely sketchy.

- d. The Response by Luxi Chemical Group Company and its related parties also suffer seriously from excessive use of confidentiality. The exporter submitted blank appendixes with no summary whatsoever which doesn't enable any understanding of the claims of the exporter.
- e. The NCV response does not permit any proper understanding of the claims of such parties and the same has impacted our opportunity to offer adequate comments on such responses.

Submissions by other interested parties

29. The following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality issues:

- a. The domestic industry has kept lots of information as confidential without providing any legitimate reasons and in violation of the Rules and detailed procedure laid down by the Authority.
- b. The domestic industry has kept confidential the DGCI&S import data, item-wise details of constructed normal value, evidence with regard to adjustments to the export price, volume related figures of the injury parameters and ROCE and Profitability in percentage terms etc which is not permissible in view of the legal provisions and the guidelines laid down by the Authority from time to time.
- c. The Petitioner has claimed excess confidentiality and has failed to comply with the Trade Notice 10 of 2018. Petitioner has not fulfilled the guidelines as prescribed by Annexure I of the aforementioned Trade Notice. A detailed analysis of the same has been filed vide letter dated 14 May 2020.
- d. The initiation of investigation is bad in law as the application filed by the Petitioner is grossly incomplete and insufficient as excessive confidentiality has been claimed. The said excessive confidentiality is in violation of Article 6.5.1 of the Agreement on Implementation of Article VI of GATT ("ADA") read with Rule 7 of the AD Rules 1995.
- e. Production capacity not provided in the petition, though the same has been disclosed in the financial statements of the petitioner.
- f. Information relating to normal value calculation has been claimed confidential without disclosing the indexed figures claimed for arriving at the normal value for both China PR and Saudi Arabia.
- g. In respect of export price, not only has the Petitioner treated all the adjustments as confidential but has also treated the supporting documents and information in respect of such adjustments as confidential.
- h. Purchase policy, sales policy, accounting policy, cost accounting policy, quality control procedure and tests have been treated as confidential even though there is nothing confidential in giving the general policies adopted by the companies
- i. In respect of costing information required to be provided under Section VI of the petition, certain information such as utilities consumption cost of production, raw material and packing material consumption information is required to be provided for POI as well as injury period. However, no trend has been provided.

Examination by the Authority

30. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

31. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through directions to exchange such submissions among the interested parties by way of e-mail on account of the difficulties in physically accessing the public file containing non- confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection.
32. Submissions made by the Domestic Industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality to the extent considered relevant were examined by the Authority and addressed accordingly. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties to other parties by way of exchanging the same among all interested parties. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential. Further, the Authority notes that the Trade Notice 10/2018 dated 7th September 2018 requires a domestic producer (where a single producer is filing the petition) to provide certain data (such as production, capacity etc.) as a trend as opposed to actual data. Hence, the claim that the petitioner did not provide actual volume information etc cannot be accepted.

G. MARKET ECONOMY TREATMENT (MET), NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

Submissions made by the Domestic Industry

33. The following submissions have been made by the Domestic Industry:
 - a. China should be treated as a non-market economy and normal value in case of the subject countries should be determined in accordance with para-7 and 8 of Annexure I of the Rules. In terms of Para 8 in Annexure 1 to the Rules, it is presumed that the producers of the subject goods in China are operating under non-market economy conditions. Therefore, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.
 - b. In view of the above, normal value has been determined for the subject country on the basis of cost of production in India, based on the cost of the domestic industry duly adjusted with selling, general and administrative expenses. This methodology has been considered by the Designated Authority in the earlier investigations against China PR.
 - c. Export price from subject country has been determined considering volume and value of imports for the proposed period of investigation as per transaction wise data collected from the

DGCI&S. Adjustments have been made for freight, insurance, port expenses, and bank charges.

- d. Considering the normal value and export price as discussed above, the dumping margin has been determined, details of which can be seen from the petition on record. The dumping margins from the subject country are above de minimis levels and significant.
- e. The Authority may compare DMF sold in container to container and drums to drums for all practical purposes of determining dumping and injury margin though such separate comparison has no relevance in the context of various injury parameters.
- f. The cost records provided by Methanol Chemicals Company, Saudi Arabia does not reflect the cost associated with production and sale of the article under consideration as stipulated in Annexure I to the Rules and this is a significant ground to reject the cost provided by the Company for the purpose of Normal Value.
- g. Methanol Chemicals Company has a gas supply agreement with a party whose name is not disclosed. The Authority may check the price as per the said agreement since such agreement has an impact on the fair utility cost of the Company. It is apparent that the company procured utilities from related parties and the fairness of utility cost needs strict scrutiny.
- h. It is evident from the Appendix 6 of Methanol Chemicals Company that the Company procured inputs from related parties at each stage and it was incumbent on the Company to provide proper details of related party transactions in Appendix 11 also but the same is marked as “not applicable”. It was stated by the exporter that there were confidential exchanges with the Authority in this regard to which we register our concerns and request the Authority to direct the exporter to share necessary NCV details with the petitioner also as required under the rule about such exchanges if any since such information is part of the EQR itself. Thus, the Appendix 6 of the company cannot be relied upon while determining the cost of the product as the fairness of purchase price of inputs from related parties cannot be determined.
- i. When the disclosure requirement in case of purchase of inputs from related party is very elaborate, Methanol Chemicals Company replied that Appendix 11 is not applicable. This alone should lead to the rejection of the Response by the exporter. Until and unless Appendix 6 and Appendix 11 is correlated, input cost as claimed by the company should not be used for any cost determination purposes.
- j. Annexure I sub rule 1 of the Anti-dumping rules says that the records kept by the exporter should reasonably reflect the cost associated with production and sale of the article under consideration. In the absence of explanations on whether the pricing considered by the exporter is reflective and representative of a fair market price or not, the reasonableness of the cost claimed cannot be examined by the Authority which should lead to the rejection of cost claimed by Methanol Chemicals Company.
- k. The PF shows that the domestic sales of Methanol Chemicals Company were not considered for normal value after Ordinary Course Test (OCT). But the real issue now is that the cost claimed by the exporter itself is unrepresentative and cannot be relied upon. The Authority may reject the cost of the exporter and construct the normal value based on Indian cost as domestic price and third country price cannot be subjected to OCT without verified cost with all required details as per the Rule.
- l. Methanol Chemicals Company had submitted third country export price for determining normal value though no such alternative claims was made by the Company at the time of filing the Response. The third country price also has to go through OCT test as per sub rule 2 of Annexure I. However, the issue is that the cost claimed by the company is apparently unrepresentative and cannot be considered for OCT test.
- m. It is on Methanol Chemicals Company to comply with the requirements of Annexure I and any failure to do so should lead to the rejection of the response by the exporter.

- n. The PF shows that the Authority has determined provisional individual margin for Liaocheng Luxi Methylamine Chemical Co., Ltd. Such margin is not tenable as there is no proper response filed to claim such margins.
- o. Liaocheng Luxi Methylamine Chemical Co., Ltd did not file any EQ Response and the provisional individual margin determined for them are based on the EQR filed by the predecessor producer namely Luxi Chemical Group Co., Ltd. The response of Luxi Chemical Group Co., Ltd shows that they transferred the DMF business as such to Liaocheng Luxi Methylamine Chemical Co., Ltd w.e.f 1st January, 2020. Such being the case, at what capacity Luxi Chemical Group Co., Ltd filed the EQR much after such date with a request for margins to be assigned on another entity is not explained.
- p. Though it is clear that the concerned entity relevant for the investigation at the time of filing the response was Liaocheng Luxi Methylamine Chemical Co., Ltd but the information was provided concerning Luxi Chemical Group Co., Ltd as the producer. Effectively, the Authority determined a margin for an entity which did not file the Response.
- q. Various certifications in the response have been provided by Luxi Chemical Group Co., Ltd but it is not shown how such certification become applicable and correct when the business is already transferred to another entity. The certifications by Luxi have no meaning as the request is to assign the margin to another entity which did not file the response.
- r. Liaocheng Luxi Methylamine Chemical Co., Ltd ought to have filed the response if they wanted IM based on the exports made by the predecessor entity and at the same time providing all the bona fides of Liaocheng Luxi Methylamine Chemical Co., Ltd as well. Which is not done in the present matter and no margin should be determined without knowing the entity.
- s. The response does not show the details of Liaocheng Luxi Methylamine Chemical Co., Ltd and its relation with DMF. Whether this company is related to some other producers also of DMF, whether this company has any other factories to produce DMF, whether it has any managerial control over any other producer producing DMF, what is going to be the Management decisions in the future viz. exports of DMF to India etc. all remain unanswered as there are no response is filed by Liaocheng Luxi Methylamine Chemical Co., Ltd.
- t. Until and unless the credentials of Liaocheng Luxi Methylamine Chemical Co., Ltd as a bona fide producer/exporter of DMF is made known to the Authority vide a proper response, no IM ought to have been determined for Liaocheng Luxi Methylamine Chemical Co., Ltd. Rule 17 (3) says that the Authority shall determine an individual margin of dumping for each known exporter or producer concerned of the article under investigation. Liaocheng Luxi Methylamine Chemical Co., Ltd has not made them known as a producer or exporter of PUC by way of a response and no margin can be determined for the said company.
- u. The opposing parties have questioned the basis of normal value used in the PF for China PR. The contentions have no legal or factual basis. The basis of normal value in case of China PR as per the rule has been elaborated in the PF which is as per the rule and needs to be adopted for the final finding also. The legal position is not that China PR is a market economy country for anti-dumping purposes and China PR continues to be treated as an NME country. However, the presumption of NME can be rebutted by the exporters by replying in the designated response which was not filed by the parties here. In the absence of such response, cost and domestic price supplied by the parties have no relevance and the basis adopted in the petition and PF alone can sustain.
- v. The basis of normal value viz. China PR adopted in the PF is consistent with all recent investigation and the expiry of conditions as provided in para 15(a)(ii) of the Protocol of Accession of the People's Republic of China to WTO on 11th December 2016 has no bearing on such basis of normal value as claimed which is a settled issue in the decisions of the Authority as evident from its recent findings involving China PR.
- w. It has been notes that the Normal Value based on cooperating producer from Saudi Arabia be adopted for China PR also. The proposition is not of any tenability. Mere participation from a ME third country is not enough to fulfill the requirement of the Rule and no such proposition to

treat Saudi as a proper third country have been presented in the Response. In any case, we have raised serious concerns over the Response filed by the Company from Saudi and in the PF, the Authority determined NV for such country also based on cost in India. It was also seen that dumping margin in case of the cooperating producer from Saudi is also significantly positive. Thus, the proposition has no factual or legal basis.

- x. Request for considering the response from China PR for Normal Value should not be accepted. The basis adopted in the PF is as per Rule and is also reasonable that the same approach should be adopted in the final findings also.

Submission of other interested parties

34. The following submissions have been made by the other interested parties concerning determination of normal value, export price and dumping margin;
 - a. The determination of normal value for China PR in the current investigation is not in accordance with the legal provisions and therefore, the dumping margin in the current investigation for the Chinese producer is not appropriately determined.
 - b. Normal value for the companies from China PR should be determined on the basis of their domestic sales and the cost of the subject goods in view of the fact that the period of 15 years for disregarding the domestic prices or costs of Chinese producers not being on market economy conditions as provided in para 15(a)(ii) of the Protocol of Accession of the People's Republic of China to WTO, has expired on 11th December 2016 in terms of para 15(d) and has become nonoperational.
 - c. The costs of the responding Chinese producer is calculated on the basis of records kept by them which are in accordance with the generally accepted accounting principles of China and reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration which should form basis for determination under Article 2.2.1.1 of the AD Agreement.
 - d. The Domestic Industry has not followed the procedure as envisaged under para 7 of Annexure I of the Anti-dumping Rules nor has any attempt been made to follow the procedure prescribed therein. The approach is against the judgment of the Hon'ble Supreme Court in Shenyang Matsushita case.
 - e. It is submitted in the interest of justice and fairness that since a producer namely M/s. Methanol Chemicals Company from market economy country i.e. Saudi Arabia has responded to in this investigation and provided all the relevant verifiable information on record and that this information has been utilized for the determination of its normal value for this producer, we request for the determination of normal value for the producers from China on the basis of the information of M/s. Methanol Chemicals Company from Saudi Arabia in view of the first alternative provided in Para 7.
 - f. In respect of export price, it is also relevant to note that the Petitioner has not provided the information with regard to the adjustments made by it at Annexure 3.2 of the Petition without any reasonable basis. In view of the same, the User is not in a position to make meaningful comments on this issue. Petitioner should provide the information on exact adjustments made to the export price calculation.
 - g. The User submits that the Petitioner's averment that "increased dumping (in comparison to the dumping margin determined in the previous investigation) suggests threat of dumping" may be rejected as the Authority in an original anti-dumping investigation is not required to determine threat of dumping.
 - h. The Authority may verify the response filed by the cooperative producer/exporter from the subject countries and base the normal value and export price for each producer/exporter on the actual data provided by them rather than on the domestic industry's averments.
 - i. The Authority has seemingly bypassed the determination of normal value by adoption of the second method of normal value calculation, in spite of Chemanol having provided the details of export price to countries other than India. No reason whatsoever has been given for not

considering the export prices provided by Chemanol. Therefore, the determination of normal value for Chemanol seems inconsistent with the provisions of the Act. The Respondent importer requests the Authority to re-determine the normal value for Chemanol and revise the dumping margin accordingly.

- j. Domestic Industry has not provided any admissible evidence for construction of normal value for Saudi Arabia and China PR.
- k. Adjustments made for construction of normal value are not tenable as per Explanation (c) to Section 9A(1) of the Customs Tariff Act, 1975 r/w Annexure I of the AD Rules 1995.
- l. Adjustments made with respect to the Export Price are abnormally high and unsubstantiated, and there is no evidence of existing injury to the domestic industry.
- m. While the Respondent understands that the final analysis of the margin of dumping will be based on the verified data of the cooperating exporters from the subject countries, however, that does not justify Authority's acceptance of petition without any supporting documentation. However, not only has Authority initiated the investigation but has also issued the preliminary findings, without first examining the accuracy and adequacy of the petition filed by the domestic industry. By initiating and undertaking further investigation, the Authority's action has rendered provisions of Article 5 of ADA read with Rule 5 of Indian AD Rules redundant.
- n. In addition to rendering the legal provisions nugatory, the finding of the Authority has also been rendered non-speaking for not taking into consideration the submissions of the Respondent, leave alone examining the same. For this reason as well, the preliminary finding must be set aside.
- o. With regard to the claims of the petitioners on Gas supply agreements, the Respondent has provided a copy of the said gas supply agreement along with confidential response and Authority may verify for itself that utilities were not procured from related entities.
- p. As regards the claim that Appendix 6 of the questionnaire response filed by the Respondent shows that inputs were procured from related parties at each stage, it is submitted that there were no related party purchases reported by Chemanol at Appendix 6. The Authority may verify the responses filed with it and check the same. For the same reason, Appendix 11 remains inapplicable to Chemanol as there were no related party transactions. The domestic industry is raising issues, which have absolutely no factual backing and must be rejected.
- q. The anti-dumping provisions make it clear that the dumping margin determined for responding exporters should be based only on the verified information supplied by such producers and exporters. Merely because the domestic industry feels that the duty rate determined is too low cannot be a basis to increase the rate of duty.
- r. It is submitted that we provided the factual details of the transfer of the DMF production line from M/s. Luxi Chemical Group Co., Ltd. Chlor-alkali Chemical Branch to another related company, M/s. Liaocheng Luxi Methylamine Chemical Co., Ltd. in January 2020 which is after the expiry of the period of investigation i.e. January 2019 to September 2019 in the current investigation. We also provided the details of the business license of Luxi MC, the transferee company. We are also willing to provide any additional information including the details in the questionnaire format as may be required from Luxi MC.

Examination of the Authority

35. As regards various contentions on appropriateness of the basis of normal value and export price including the correctness of various adjustments considered for the initiation of the investigation and also provisional finding, it is noted that normal value and export price in all events were considered as per the applicable rules and consistent practices of the Authority and no material fallacies in such calculations adopted is pointed out by any of the parties. Notwithstanding the above, the basis of normal value and export price which were proposed to be used for the final finding after considering various submissions of the parties have been disclosed to all the interested parties before being adopted in this final finding.

36. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have filed the prescribed questionnaire responses:
- i. M/s. Methanol Chemicals Company
 - ii. M/s. Luxi Chemical Group Co. Ltd., Chlor-Alkali Chemical Branch, China now known as M/s. Liaocheng Luxi Mehtylamine Chemical Co., Ltd.,
 - iii. M/s. Shandong Liaocheng Luxi New Material Sale Co., Ltd., China and
 - iv. M/s. Liaocheng Ruijin (Hong Kong) Co., Limited

Normal value

37. Under Section 9A (1)(c), normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under subsection (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

38. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing

WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

Determination of Normal Value and Export Price for all cooperating Producers and Exporters in China PR

Normal Value

39. At the stage of initiation, the Authority, after evaluating the options under Para 7 to Annexure I of the Rules, had prima facie concluded that options other than Constructed Normal Value are not feasible for the determination of Normal Value in this case. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of whether their data/information could be adopted for the purpose of normal value determination.
40. The Authority sent copies of market economy treatment/supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters for providing relevant information in this regard. But none of the producers/exporters have claimed MET status. In view of this position as well as the fact that neither the petitioner nor any other interested parties have provided any information with regard to any of the provisos of Rule 7 of Annexure 1 of the Rules. The NV has therefore been constructed by adopting cost of production in India as normated with due adjustment for SGA expenses and a reasonable profit at the rate of 5% on cost of production in accordance with Para 6(8) of the Rules. The Normal value is therefore determined as US\$ ***per MT.

Export Price

41. The Authority notes that M/s. Luxi Chemical Group Co. Ltd., Chlor-Alkali Chemical Branch, China, now known as M/s. Liaocheng Luxi Mehtylamine Chemical Co., Ltd., M/s. Shandong Liaocheng Luxi New Material Sale Co., Ltd., China and M/s. Liaocheng Ruijin (Hong Kong) Co. limited, the related entities, have responded and have provided the information to determine the Net Export Price (NEP). The expenses on account of Ocean freight, Marine Insurance and others have been reduced from their CIF export prices. The net ex-factory export price, after adjustment of the above expenses has been determined as US\$ ***per MT.

Determination of Normal Value and Export Price for all non cooperating Producers and Exporters in China PR

42. The Authority notes that no other producer/ exporter from China PR has responded to the exporter' questionnaire. Therefore, the normal value as determined for cooperative producers/ exporters as stated above on the basis of facts available as per Rule 6(8) has been adopted for non-cooperative producers/ exporters as well.

Export Price for non cooperating producers/exporters from China PR

43. The Authority notes that no other producer/exporter from China PR has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in China PR, the Authority determines the net export price adopting the least export price from the responses filed by cooperative producers/exporters, that is, M/s. Luxi Chemical Group Co. Ltd., Chlor-Alkali Chemical Branch, China, now known as M/s. Liaocheng Luxi Mehtylamine Chemical Co., Ltd., M/s. Shandong Liaocheng Luxi New Material Sale Co., Ltd., China and M/s. Liaocheng Ruijin (Hong Kong) Co. limited.

Determination of Normal Value and Export Price for cooperating producers and exporters in Saudi Arabia Normal value

44. It is noted that Methanol Chemicals Company from Saudi Arabia has filed the EQ Response in the present case to claim individual margins. It was first seen, whether the domestic sales of the subject goods by the responding producer/ exporter in their domestic market were representative or not and viable for permitting determination of normal value on the basis of their domestic selling prices and whether the ordinary course of trade test was satisfied as per the data provided by the Company. The Company has provided transaction-wise details of the sales of the like article in their home market. It has been found that the domestic sales of the subject goods by the responding producer/ exporter in their domestic market were not representative as it was lower than 5% of total exports of PUC to India. Details of exports to third country other than India was sought from the producer/exporter. The exporter has provided the details of Export Price to countries other than India. In absence of appropriate country for comparison not having been identified, the Authority has considered the Normal value on the basis of Cost of Production of the producer/exporter of PUC which has been considered an appropriate methodology since the third country exports would also require meeting the ordinary course of trade test. The normal value is determined as US\$ ***per MT for bulk and US\$ ***per MT for packed.

Export Price

45. The Authority notes from the Exporters Questionnaire Response filed by Methanol Chemicals Company from Saudi Arabia that the company has exported **** MT of subject goods to India during the POI. The company has submitted adjustments on account of inland freight and port handling expense, ocean freight, ocean insurance, credit expense and bank charge and the same has been considered to work out the ex-factory export price. The net export price determined for the Company comes to US\$ ***per MT for bulk and US\$ ***per MT for packed.

Normal Value for non cooperating producers/exporters from Saudi Arabia

46. The Authority notes that no other producer/ exporter from Saudi Arabia have responded to the exporter' questionnaire. The NV has therefore been constructed by adopting cost of production in India as normated with due adjustment for SGA expenses and a reasonable profit at the rate of 5% on cost of production in accordance with Para 6(8) of the Rules. The Normal value therefore determined as US\$ ***per MT.

Export Price for non cooperating producers/exporters from Saudi Arabia

47. The Authority notes that no other producer/exporter from Saudi Arabia has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in Saudi Arabia, the Authority has determined net export price by adopting the least export price from the responses filed by Methanol Chemicals Company. The net export price so determined is US\$ ***Per MT.

Dumping Margin

48. The ex-factory export price to India has been compared with the normal value to determine the dumping margins. The table below shows the weighted average dumping margins during the POI for all the producers of the subject goods originating in or exported from subject countries.
49. It is seen that the dumping margins are significant and more than the limits prescribed under the Rules in respect of exports made from each of the subject countries.

S.No.	Country	Producer	Normal Value US\$/ MT	Net Export Price US\$/ MT	Dumping Margin US\$/ MT	Dumping Margin %	Dumping Margin (Range %)
1	China PR	M/s. Liaocheng Luxi Mehtylamine Chemical Co., Ltd., (Packed)	***	***	***	***	70-80
2	China PR	Non cooperative Producers/exporters	***	***	***	***	75-85
3	Saudi	M/s. Methanol Chemicals	***	***	***	***	20-30

	Arabia	Company (Bulk)					
4	Saudi Arabia	M/s. Methanol Chemicals Company (Packed)	***	***	***	***	15-25
5		Total	***	***	***	***	20-30
6	Saudi Arabia	Non cooperative Producers/exporters	***	***	***	***	50 -60

H. INJURY ASSESSMENT AND CAUSAL LINK

Submissions made by the Domestic Industry

50. The submissions of the Domestic Industry has been as follows:

- i. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
- ii. Volume of dumped imports from subject countries have increased significantly and in absolute terms by the POI. Such increases in imports are in a precipitous manner by offering dumped prices.
- iii. The increase in imports by the POI should be read with reductions in prices which would show that the producers/exporters from subject countries reduced the prices further to dominate the market creating significant price injury to the DI. Dumping has been adopted as a strategy to enjoy such share in Indian demand and this has curtailed the anticipated volume growth at the end of the DI. The DI has now started to bleed with financial losses.
- iv. Volume of dumped imports from subject countries has been at price undercutting and suppressing levels which impacted the pricing decisions of the domestic industry.
- v. The price undercutting has been significantly positive from China PR and Saudi Arabia individually and also cumulatively. Thus, the dumped imports created price undercutting effects on the prices offered by the domestic industry by forcing the domestic industry to sell at such low levels which did not even permit recovery of cost leaving the DI to suffer losses.
- vi. The NSR of the DI is clearly a depressed and non-profit making one. Thus, domestic industry faced price suppression effect which is evident in the fact that the increase in price was suppressed by the landed price of imports.
- vii. The information in the petition shows that although injury parameters such as production volume, capacity utilization, sales and market share have shown some increases in the injury period and in the POI, the fact remains that the actual performance on such parameters were below par levels and the increases are the result of very low base numbers and have not been any meaningful growth per se.
- viii. The domestic industry could operate only at a level of *** capacity utilization during the POI and such a low utilization is the result of the fact that about *** of the market share in demand was held by dumped import.
- ix. The effects of such low level of utilization created by the dumped imports are reflected in other volume parameters also and the cascading effects of low volumes are reflected in the price parameters also.
- x. Material injury suffered by the domestic industry on account of dumping of subject goods from subject countries is visible in the price parameters also. The landed price of dumped imports which were creating price undercutting, price suppression/depression and underselling effects forced the DI to sell at a price below even its cost of production and as a result the DI once again started making financial losses from the year 2018-19 and the losses were highest during the POI.
- xi. The profitability of the domestic industry which had turned slightly positive by 2017-18 viz. the base year once again turned into huge losses by the present POI. Profits per unit declined from -100 points in the base year to -479 points in the POI which is a sharp and significant fall.
- xii. There has been a significant fall in ROCE from 2018-19 and through the POI as a result of financial losses suffered by the DI on account of price injury created by the dumped imports.

ROCE became very negative in the range of 20-25%.

- xiii. It is apparent that the producers/exporters from subject countries reduced their prices so drastically and such targeted dumping with drastic price cut has forced the DI to reduce its prices beyond any reduction in cost leading to material injury on account of all profitability parameters.
- xiv. The adverse situation in volume and price parameters is further reflected in other core parameters of injury as well. Thus, the domestic industry has suffered material injury on account of dumping of subject goods from China PR and Saudi Arabia.
- xv. The injury caused to the domestic industry is on account of dumped imports of PUC from subject countries only. Had there been no dumping the situation of the domestic industry would have been that of better performance and profitability with significant market share and moderate capacity utilization. This shows injury suffered by the DI were on account of dumping of subject goods from subject countries only.
- xvi. The decision of the Authority not to recommend any duty on import of PUC at the end of a recent Anti-dumping investigation concerning the subject goods apparently been taken as a golden opportunity by the producers/exporters from subject countries to dump more in India and after the said negative finding, the vigor of dumping has sky rocketed that the DI is before the Authority once again but this time with a bleeding and much aggravated situation of injury. No ADD at the earliest shall lead to the complete closure of the domestic industry and the industry prays for immediate provisional measures pending detailed investigations and definitive measures by the Authority.
- xvii. The imports from subject countries increased in absolute terms from 34037 MT in the base year to 39332MT in the POI which shows a clear trend of growth in imports as envisaged in Annexure II to the Rules. Though there was a slight decline in import during the POI viz. the immediate previous year, it has not vitiated the growing trajectory of imports and imports stood significantly higher than the base year.
- xviii. Even though the volume parameters of the domestic industry also increased in the same period from the very low base levels, the actual volumes achieved in terms of production and sales during the POI were still very low and the petitioner was completely sidelined to operate only at a capacity utilization of about *** in the POI. Thus, the below par volume performance shows that the petitioner suffered injury in terms of volume parameters also.
- xix. The reason for such below par volume performance was clearly the 75 to 80% market share held by the dumped imports. Until and unless such dumped volumes are brought down by imposing adequate ADD, the volume performance of the DI cannot reach any meaningful level. In fact, the DI is sitting on huge unutilized capacities since commencement on account of dumped imports.
- xx. The facts of the case show serious price injury as well. When the cost of the DI for the product moved from 100 indexed points in base year to 127 points in 2018-19 and then declined to 120 points in POI, the NSR of the DI moved from 100 points in the base year to 128 points in 2018-19 and 108 points in the POI. What is notable is the fall in price was not commensurate with the decline in cost and the price fell much more than the fall in cost.
- xxi. The reason for such fall was clearly the reduction in landed price during the POI and the same moved from a 100 base year indexed points to 136 points in 2018-19 and have come down to 115 points in the POI. When the landed price increased between base year and the POI, the DI could still pass on the cost as the landed price also increased in the same period. In fact, the landed price from Saudi Arabia which was Rs67/Kg in the year 2018-19 was reduced to a level of Rs57/Kg in the POI and landed price from China PR which was Rs73/Kg in 2018-19 was reduced to Rs60/Kg in the POI.
- xxii. The landed price at such levels created serious price undercutting, underselling and suppression levels as evident. As a result of such price effects, the profitability parameters of the DI got severely impacted. Profitability at per unit level, PBT, PBIT and cash profit turned

significantly negative in POI which was in the slightly positive region in the year 2017-18. DI suffered very seriously on the ROCE front also. The ROCE which was in the slightly positive range of ***in the year 2017-18 turned to be negative ***for such declines in performance and material injury establishes causal link between dumping and injury in the present matter. Nothing is brought on record to demonstrate that dumping was not the cause of injury.

- xxiii. What is also very notable in the trend of imports and volume parameters of the DI is that when the DI registered some uptick in the volume levels in the period between 2017-18 and 2018-19, the exporters could not bear such volume gains by the DI and they resorted to sharp reduction in export price to retain the market in India. Thus, reduction in land price has been done as a strategy to keep the DI away not to lose any market share.
- xxiv. Exporters from subject countries who got no significant domestic or market elsewhere cannot afford to lose Indian market and it is very evident that such price reduction will follow with every increase in volume by the DI. A level playing field in such a scenario can be only be ensured by ADD.
- xxv. It has been contended that reliance on imported Methanol (Raw material required to manufacture DMF) has led to delays in production and running losses. The contention is not true. The issue is that though the cost of production declined, the reduction in selling price was much higher than such reduction and what has influenced the selling price of the petitioner is the sharp decline in landed price of dumped imports of subject goods from subject countries.
- xxvi. It has been contended that domestic industry's financial performance has been impacted by the steep increase in the cost of raw materials used in the production of the like article in India. The contention is not true. In fact the cost of production declined during the POI viz. the previous year. However, the reduction in selling price was much higher than such reduction and what has influenced the selling price of the petitioner is the sharp decline in landed price of dumped imports in the same period.
- xxvii. It has been contended by the opposing parties that the DI did not suffer any injury and there is no causal link between alleged dumping and injury. The contentions are not based on facts. It can be noted that imports from SC have increased in absolute terms. Such imports prohibited the DI from operating normally and the sales volumes remained below par and negligible levels even after many years into production of DMF. The landed price of such dumped imports created price undercutting, suppression and underselling effects on the DI. As a result, the DI could not sell at a profitable price and as a result suffered financial losses and negative returns on investment. Such injurious situation was the creation of the dumped imports alone and such facts are well reflected in the petition. The company had to operate at below par level of capacity utilization of 25 to 30% as result of presence of dumped material in India and it cannot be said that the imports are due to the inability of the petitioner to utilize its capacity any better. Material injury is visible in both volume and price parameters as elaborated in our petition/submissions. Causal link is evident in the fact that sharp and significant reduction in landed price of dumped imports was the cause of decline in selling price of the DI more than reduction in cost and as a result profitability of the DI suffered seriously including financial losses. Dumped imports at price undercutting, suppressing and underselling level ate into the market share of DI in demand as a result DI had to operate at very low capacity utilization levels. In the absence of dumping, the DI would have produced and sold more at profitable rates. Thus, the causal link is very evident and the contentions of the parties in this regard need to be rejected.
- xxviii. It has been contended that there is lack of causal link and it is evident that fluctuation in prices of PUC or impact on the domestic industry's performance is not on account of imports from the Subject Countries. It was also contended that the imports made by the DI in the base year should be examined in the context of causal link. Both the contentions have no meaning. In fact the cost of production declined during the POI viz. the previous year. However, the reduction in selling price was much higher than such reduction and what has influenced the selling price of the petitioner is the sharp decline in landed price of dumped imports in the

same period. Also, though there were some imports made by the DI in the base year, it is not of any consequences as the claim of injury pertains to the POI. In any case, such imports were part of the previous investigation also and no way vitiate the claim of injury during the POI.

- xxix. Reliance was placed on WTO Appellate Body in the decision of Argentina – Footwear while arguing that the domestic industry did not suffer any injury. It is narrated in detail that the DI suffered material injury and it is in a bleeding situation of financial losses on account of dumped imports. The reliance of the party on WTO Appellate Body in the decision of Argentina – Footwear also has no meaning. The WTO AB did not say the investigation must be terminated if there is a dip in import in the POI over the immediate previous year or there is fluctuation in import. The requirement under Annexure II to the rule is that while examining the volume of dumped imports, the authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India and it can be seen that in the present case imports increased in absolute terms that too very significantly.
- xxx. It has been contended that injury to domestic industry is due to factors other than subject imports and due to steep increase in raw material costs and producers of the PUC in the subject countries have the advantage of affordable, competitively priced methanol and easy availability of methanol in comparison to the domestic industry in India. The contentions are not correct viz. cost of DI. In fact the cost of production declined during the POI viz. the previous year. However, the reduction in selling price was much higher than such reduction and what has influenced the selling price of the petitioner is the sharp decline in landed price of dumped imports in the same period. The Authority must take note of the claim here that the exporters have access to Methanol in abundance and it is apparent that such accessibility is being misused to dump the DMF in India at throw away price. The submission by the party shows the cause which is abetting dumping.
- xxxi. It has been contended that underutilization of DMF capacity by Petitioner is due to intrinsic factors and not due to subject imports. The contention is not correct. Underutilization of the DMF capacity shows the volume effect of dumped imports and even the production undertaken was in losses as the dumped prices were creating undercutting, suppressing and underselling effects.
- xxxii. It has been contended that there have been no significant increase in imports and as result first sentence of paragraph (ii) of Annex II to AD Rules 1995 not met. The assertion is only a misleading reading of rule. Imports have increased in absolute terms as required in the rule.
- xxxiii. It has been contended that the practice of ‘annualizing’ import volumes is not a permissible practice as decided by a WTO panel in a case against India itself. The claim is baseless. Annualizing the volume was essential to ensure comparability and such practice is adopted wherever the POI is different from the normal case of 12 months and has been done in plethora of cases.
- xxxiv. It has been contended that status of the domestic industry has improved during the POI in respect of all the volume parameters. The statement is wrong. The volume parameters though improved was below par levels as the dumped imports held about 80% of the market share. Price parameters turned negative in the POI after some improvements in the previous years. Overall situation was of grave injury on account of dumped imports.
- xxxv. It has been contended that trend lines of imports and profitability are asymmetric. The claim is of no merit. There is no requirement that the trend line has to be in any particular pattern to seek remedy against dumping and injury. Imports increased by the POI over the base year and overall trend of imports remained in the increasing trajectory coincided with evidence of material injury.

Submissions made by the other interested parties

51. The submissions made by the other interested parties inter alia in their response in the context of injury are noted as follows:
 - i) Imports from subject countries are not causing any injury to the domestic industry.

- ii) Imposition of anti-dumping duties on the PUC will have catastrophic effect on importers and end-users that rely on the imports for raw materials. Further, such imposition of duty would leave importers at the mercy and whims of domestic producers which do not have sufficient capability to cater to the domestic demand.
- iii) The 18 months period of April 2016 to September 2017 which was considered in the previous investigation overlaps with the current investigation. There cannot be any injury to the Domestic Industry in such period as has been already recorded by the Authority.
- iv) Imports from the Subject Countries have not increased in either absolute or relative terms in the present investigation.
- v) The alleged increase in imports in POI (Annualized) from base year is only marginal and not substantial. In any event, the User submits that an end to end comparison (i.e. base year to POI) in the present investigation is incorrect when particularly there has been a decrease in imports in the POI (Annualized) / POI from previous year.
- vi) When there was an alleged increase in imports from the Subject Countries in the POI (Annualized) from the base year by 16 index points, there was a significant increase in domestic sales volume and value by 204 and 236 index points respectively in the same period.
- vii) The subject imports in relation to Indian demand, have declined in the POI in comparison to the previous years and base year.
- viii) There is no volume injury either in absolute or relative terms to the Domestic Industry. Hence, the question of assessment of injury does not arise in the present investigation. Without prejudice, injury, if any, suffered by the Petitioners has absolutely no correlation to imports from the Subject Countries.
- ix) The profits have been fluctuating even though the price undercutting has been stable in most of the injury period. It is therefore conclusive of the fact that there is no correlation between the alleged imports and the performance or prices of the Domestic Industry.
- x) The economic parameters including production, sales volume, sales value, etc. have shown a significant increase in POI in comparison to the base year. The Domestic Industry is clearly not suffering any injury and injury, if any, is self-inflicted.
- xi) The Annual Report 2018-2019 of the Petitioner at page no. 44 has noted that there is volatility in the prices of raw materials such as methanol (which is in turn used to manufacture methylamines such as DMA) and the same is passed on to the end customers. (Please see Annexure 6.13 to the Petition filed by the Petitioner). Accordingly, it is evident that fluctuation in prices of PUC or impact on the domestic industry's performance is not on account of imports from the Subject Countries.
- xii) The Petitioner at paragraph no. 6 of the Petition has noted that it has imported minor quantities of PUC in FY 2016-17. However, the details of the quantity of imports made by it or any other relevant information in respect of imports made by it have not been provided. The Authority may ascertain factors such as Petitioner's quantity of imports made in the injury period, percentage quantity of Petitioner's imports to the total imports and Indian production, the reasons thereof for imports and the price at which imports were made.
- xiii) Petitioner has failed to prove threat of material injury under Paragraph (vii) of Annexure II of the AD Rules with any iota of substantiated/verifiable evidence and the averments as made by the Petitioner ought to be rejected.
- xiv) The Petitioner has not provided any justifiable basis for the imposition of retrospective duties under Rule 20(2) of the AD Rules read with Section 9A(3) of the Customs Tariff Act ("Act") and therefore, the averments as made by the Petitioner ought to be rejected.
- xv) The subject country imports would show that they have decreased in the POI in comparison to the previous year as well as the base year i.e. 2016-17. That is, there is an overall decline in the volume of subject imports in the injury period. However, in its preliminary findings, the Authority has determined that the subject imports have increased in absolute terms.

- xvi) If the Authority is permitted to selectively compare the data in the POI vis-à-vis the base year alone, a finding on such a basis may be distorted.
- xvii) The import data would show that the volume of the subject imports has decreased in relation to both consumption and production in the POI.
- xviii) Mere existence of price undercutting is not a condition precedent for determining the existence of price effect. As per paragraph (ii) of Annexure II, price undercutting has to be significant so as to be causing injury.
- xix) The domestic industry has been able to increase its domestic selling prices commensurate to the decline in the cost of sales. Though the domestic industry's selling prices also declined in the POI, the same was due to the decline in its cost of sales. The domestic industry did not reduce its selling prices due to decrease in the landed value. The views of the Authority in PF on price effects are flawed.
- xx) There is no price suppression or depression. Further, even if there is price suppression or depression, the Authority has not determined whether such suppression or depression was significant. In the absence of such a determination, it would be incorrect to hold that the prices of the subject imports have caused a price effect on the domestic selling prices.
- xxi) Except for a decline in 2018-19, the domestic industry's production, capacity utilization and domestic sales (volume and value) of DMF has continuously and significantly increased throughout the injury period. In fact, the domestic industry's performance in the above operational parameters is highest in the POI. In light of such performance, the Authority should hold that there is no injury to the domestic industry on account of operational parameters.
- xxii) Domestic industry's market share has increased continuously and significantly throughout the injury period. The market share of imports has declined in the corresponding period.
- xxiii) DI claimed that there is a decline in profitability parameters and this is indicative of injury. Even if it is assumed that profitability has declined due to subject imports, the decline does not fit with the excellent performance in the domestic industry's operational parameters. The Respondent requests the Authority to examine whether financial parameters have declined due to reasons other than subject imports.
- xxiv) The Domestic Industry demonstrated growth with respect to production, sales, capacity utilization, employment and productivity. The Domestic Industry's sales and sales value have also improved in the POI. Therefore, the domestic industry's growth in operational performance is healthy.
- xxv) In comparison to the producers/exporters in China PR and Saudi Arabia, producers of DMF in India do not have easy access to methanol. They are highly dependent on imports of the same. However, countries like China PR and Saudi Arabia are huge manufacturers of methanol and thus producers of the PUC in the subject countries have the advantage of affordable, competitively priced methanol and easy availability of methanol in comparison to the domestic industry in India. Such factors need examination in the context of causal link.
- xxvi) Domestic industry has admitted that its financial performance has been affected due to prices of raw materials.
- xxvii) One of the countries from whom the domestic industry sources methanol is Iran. However, sourcing raw material from Iran has become difficult due to the sanctions imposed by the United States for certain political reasons. This has further compounded the availability of methanol for the domestic industry.
- xxviii) Underutilization of DMF capacity by Petitioner due to intrinsic factors and not due to subject imports.
- xxix) No significant increase in imports. First sentence of paragraph (ii) of Annex II to AD Rules 1995 not met.
- xxx) Imports from subject countries collectively as well as individually, declined during the POI vis-à-vis base year. While subject country imports declined by 13% between 2016-17 and POI, imports from China PR and Saudi Arabia also fell by 38% and 3% respectively.

- xxxix) Facts of the present case as recorded by the Authority itself indicates that there was a decline in imports in absolute terms as well as in comparison with domestic sales, production of the domestic industry as well as demand for subject goods
- xxxii) The practice of 'annualizing' import volumes is not a permissible practice as decided by a WTO panel in a case against India itself.
- xxxiii) Status of the domestic industry has improved during the POI in respect of all the volume parameters.
- xxxiv) Trend lines of imports and profitability are asymmetric.
- xxxv) Ability to raise capital for further investments is not of relevance due to the Domestic Industry being a multi product company. However, domestic industry has been able to increase its average capital employed by 9%;
- xxxvi) There was no price suppression and price depression due to imports from subject countries as the Domestic Industry's prices did not follow the trend of import prices from subject countries over the injury period. The alleged price suppression/depression, if any, was due to its intrinsic factors such as pricing decisions, which significantly affected its profitability.
- xxxvii) It is further submitted that declining performance of the Domestic Industry with respect to few parameters cannot be attributed to imports from subject countries. Without prejudice, the domestic industry has been performing exceptionally well during the injury period and POI and thus, no further protection is required in the present case.
- xxxviii) There are no reasons or analysis as to how come the domestic industry was in a position to increase its production and capacity utilization to such a significant level despite the existence of the alleged dumped imports.
- xxxix) The profits, ROCE and Cash flow of the domestic industry in the current investigation have suffered due to high fixed per unit cost of the domestic industry on account of non-utilization of optimum capacity such as depreciation, interest, wages, fixed overheads etc.

Examination of the Authority

52. The Authority has taken note of the submissions made by the petitioner and opposing interested parties so far in this investigation on injury and causal link aspect and has examined and addressed the same in accordance with the Anti-Dumping Rules at relevant place in this Final Findings which is self-explanatory and such final view have been arrived at after taking note of the comments of the parties on disclosure statement as well.

i. Cumulative Assessment

53. Para (iii) of Annexure II of the Anti-Dumping Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority holds to cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
- a) Margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the import of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article; and
 - b) Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in the light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
54. The Authority notes that:
- a) The subject goods are being dumped into India from subject countries. The margin of dumping from each of the subject countries is more than the de minimis limits prescribed under the Rules.
 - b) The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of total volume of imports.
 - c) Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete inter se but also with the like article offered by the Domestic Industry in the Indian market.

- d) In view of the above, the Authority considers that it is appropriate to assess injury to the Domestic Industry cumulatively from imports of the subject goods from the subject countries.
- e) Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the Domestic Industry, “.... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....*”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.

ii. Volume Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

a. Assessment of Demand/Apparent Consumption

55. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources. The demand so assessed has increased during the injury investigation period and the POI.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI- Jan-2019 to Sept- 2019	POI Annualized
Imports from China PR	MT	10,237	5,624	9,392	6,379	8505
Imports from Saudi Arabia	MT	23,802	26,101	35,456	23,120	30827
Total Imports from Subject Countries	MT	34,039	31,725	44,848	29,499	39,332
Trend	Indexed	100	93	132	116	116
Total Imports from Other Countries	MT	3,218	3,110	3,017	821	1,094
Total Imports into the Country	MT	37,257	34,835	47,865	30,319	40,426
Domestic Sales of Petitioner	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	255	177	304	304
Domestic Sales of Other Producers	MT	***	***	***	***	***
Total Demand	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	132	124	124

56. As can be seen from the above table, demand for the subject goods in India has shown significant increases over the injury period and POI (A). The demand which was ***in the base year increased to ***in the POI (A). Thus, any decline in demand cannot be noted as the cause of injury suffered by the domestic industry. Imports and also sales of the domestic industry increased in the same period.

b. Import Volumes from subject countries

57. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI- Jan-2019 to Sept- 2019	POI Annualized
Imports from China PR	MT	10,237	5,624	9,392	6,379	8505
Imports from Saudi Arabia	MT	23,802	26,101	35,456	23,120	30827
Total Imports from Subject Countries	MT	34,039	31,725	44,848	29,499	39,332
Market Share in Import Volume						
China PR	%	27	16	20	21	21
Saudi Arabia	%	64	75	74	76	76
Share of Subject Countries	%	91	91	94	97	97
Share of Other Countries	%	9	9	6	3	3
Total	%	100	100	100	100	100

58. It is seen that dumped imports of the subject goods from the subject countries have increased in absolute terms from 34039 MT in 2016-17 to 39332 MT in POI (A). Also, share of dumped imports from subject countries in overall imports into India increased while the share of imports from other countries decreased in the injury period and in the POI (A).

c. Subject Country Imports in relative terms

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI- Jan-2019 to Sept- 2019	POI Annualized
Total Imports from Subject Countries	MT	34,039	31,725	44,848	29,499	39,332
Total Demand	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	132	124	124
Production of DI	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	205	158	234	234
Imports from subject countries relative to Indian consumption	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88	100	93	93
Imports from	%	***	***	***	***	***

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI- Jan-2019 to Sept- 2019	POI Annualized
subject countries relative to production of DI						
Trend	Indexed	100	45	83	49	49

59. It is seen that the dumped imports from subject countries in relation to production and demand decreased in the POI (A) as compared to the base year and previous years except 2017-18 though such imports have increased in absolute terms by the POI (A) and the share of such dumped imports remained substantial in overall demand.

60. It is further noted that with regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India, and the imports as above shows increase in subject imports in absolute terms.

d. Market Share in Demand

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI- Jan-2019 to Sept- 2019	POI Annualized
Total Imports from Subject Countries	MT	34,039	31,725	44,848	29,499	39,332
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	255	177	304	304
Total Demand	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	132	124	124
Market Share in Demand						
Domestic Industry	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	240	134	245	245
Imports from subject countries	%	84	74	84	78	78
Imports from other countries	%	8	7	6	2	2
Sales of other producers	%	***	***	***	***	***
Total	%	100	100	100	100	100

61. The Authority notes that the market share of the subject imports have declined in the overall demand by the POI (A) in comparison to the base year though the same have increased over the year 2017-18. The share of the Petitioner in demand has increased over the injury period and POI (A). Even though the share of dumped imports in demand declined, the same remained at 78% during the POI (A) which is noted as a significant level.

iii. Price Effect of The Imports On The Domestic Industry

62. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the Domestic Industry on account of the dumped imports from subject countries has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the Domestic Industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

a) Price Undercutting

63. For the purpose of price undercutting analysis, the net selling price of the Domestic Industry has been compared with the landed value of imports from the subject countries. While computing the net selling price of the Domestic Industry all taxes, rebates, discounts and commissions have been deducted and sales realization at ex works level has been determined for comparison with the landed value of the dumped imports. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject countries work out as follows:

Particulars	Unit	China PR	Saudi Arabia	Subject Countries
Net Sales Realization	Rs./Kg	***	***	***
Landed Price (LV)	Rs./Kg	60.40	57.52	58.15
Price Undercutting	Rs./Kg	***	***	***
Price Undercutting	% of LV	***	***	***
Price Undercutting	% Range	1-5	5-10	5-10

64. From the aforesaid table, it can be seen that the imports from subject countries are coming at prices significantly below the domestic selling price of the Petitioner. Thus, price undercutting during the period of investigation is positive for the subject countries, individually and cumulatively.

b) Price Suppression/Depression

65. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared as below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI- Jan-2019 to Sept- 2019
Cost of Sales	Rs./Kg	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	101	127	119
Domestic Selling Price	Rs./Kg	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	113	128	108
Landed Value-Subject Countries	Rs./Kg	50.60	60.59	68.78	58.15
	<i>Indexed</i>	100	120	136	115

66. From the above table, it can be seen that the imports from subject countries were coming at prices much lower than the cost of sales of the Domestic Industry. This has forced the Domestic Industry to reduce its prices during POI (A) and has led to a situation in which the Domestic Industry has been forced to sell below its cost of sales leading to financial losses. It is also noted that though the cost of sales and NSR increased over the years, landed price of dumped imports have been consistently below the cost and price of the domestic industry indicating adverse price effects from such landed value.
67. It is also noted that the reduction in selling price of the domestic industry in the POI viz. the immediate previous year was very significant and much higher than the reduction in cost whereas the landed price of subject imports declined significantly. Thus, the effect of significant reduction in the landed price of the subject goods from subject countries on the selling price of the domestic industry in the same period is very evident.

c) Price Underselling

68. The non-injurious price (NIP) of the Domestic Industry has been determined and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting information/data relating to the cost of production for the period of investigation on the basis of principles mentioned in Annexure III of the Rules. The analysis shows that during the period of investigation, the landed value of subject imports was below the non-injurious price of the Domestic Industry, as can be seen from the table below, demonstrating positive price underselling effect:

Particulars	Unit	China PR			Saudi Arabia		
		Bulk	Packed	Total	Bulk	Packed	Total
Landed Value for POI	Rs./Kg	55.20	61.25	60.40	56.10	57.81	57.52
Non-Injurious Price (NIP)	Rs./Kg	***	***	***	***	***	***
Injury Margin	Rs./Kg	***	***	***	***	***	***
	%	***	***	***	***	***	***
	Range	40-50	35-45	35-45	40-50	40-50	35-45

69. From the aforesaid table, it can be seen that the imports are coming into India at a price much lower than the non-injurious price of the domestic industry. Thus, the price underselling from the subject countries during the POI has been positive and quite significant.

iv. Economic Parameters of the Domestic Industry

70. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.
71. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions post initiation and also after the provisional findings.

a) Production, Capacity, Sales and Capacity Utilization

72. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity & capacity utilization was as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI- Jan-2019 to Sept- 2019	POI Annualized
Installed Capacity	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100	100
Production	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	205	158	234	234

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI- Jan-2019 to Sept- 2019	POI Annualized
Capacity Utilization	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	205	158	234	234
Domestic Sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	255	177	304	304

73. The capacity, production, sales and capacity utilization of the Petitioner was in a positive trend but still the Petitioner has not been able to increase the sales of product concerned commensurate with the demand because of the significant volume of dumped imports coming from subject countries. The increase in sales of domestic industry is noted along with the market share of about 78% held by the dumped imports in the POI (A).

b) Profitability, return on investment and cash profits

74. Profitability, return on investment and cash profits of the Domestic Industry over the injury period is given in the table below: -

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI- Jan-2019 to Sept- 2019	POI Annualized
Profit/Loss	Rs. Kg	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	350	-100	-448	-448
Profit/(Loss) before Int. & Tax (PBIT)	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	860	-141	-1163	-1551
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	620	89	-674	-866
Capital Employed	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	104	109	109
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	831	-136	-1429	-1429

75. From the above table, it is noted that:

- Profitability of Domestic Industry has been adversely affected due to the intensified dumping by producers/exporters from subject countries. Profit before interest and tax (PBIT) of the Domestic Industry have significantly declined during the POI (A) and was in the negative territory. The PBIT which was -100 indexed points in 2016-17 increased to 760 points in 2017-18 and declined sharply to -1551 indexed points during the POI (A). (The figures considered here are verified numbers and hence some differences with the PF)
- Per unit profit also declined sharply by the POI (A) and was in the negatives during the POI (A). The per unit losses incurred by the domestic industry is noted as significant.
- Similarly, cash profits of the Domestic Industry have reduced significantly. From cash profit of 100 indexed points in 2016-17, it has decreased to -766 indexed points during the POI (A).
- Similar to the profitability, Return on capital employed also declined drastically by the POI (A) to -1429 indexed points from -100 indexed points in 2016-17. The fall in ROCE during the POI (A) is

even sharper if compared with the year 2017-18 wherein the ROCE was in the positive territory. The domestic industry's ROCE during the POI is noted as significantly negative in the range of ***%.

c) Employment, productivity and wages

76. Employment, productivity and wages of Domestic Industry over the injury period are given in the table below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI- Jan-2019 to Sept- 2019
Employment	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	105	105
Wages	Rs. Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	123	120
Productivity per employee	MT/Person	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	195	151	223

77. It is noted that the employment of the Domestic Industry was almost constant throughout the injury investigation period and during the POI. However, productivity per employee increased significantly by the POI.

d) Inventories

78. Inventory position with the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI- Jan-2019 to Sept- 2019
Average Inventory	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	100	102	112	89

79. It is noted that the average inventory with the domestic industry declined by the POI viz. the base year.

e) Growth

80. The Authority notes that growth of the Domestic Industry with regard to volume parameters like production and domestic sales have been positive but price parameters such as profits, return on investment etc. have been declining and the growth was negative during the POI as can be seen from the table below;

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI- Jan-2019 to Sept- 2019
Production	%	-	1.05	(0.23)	0.48
Sales Volume Domestic	%	-	1.55	(0.31)	0.71
Selling Price Per KG	%	-	0.13	0.14	(0.16)
Cost of Sales Per KG	%	-	0.01	0.25	(0.06)
Return on Capital Employed	%	-	11	(12)	(18)
Profit per Unit	%	-	3.48	(1.31)	(4.77)
PBIT Per Unit	%	-	3.98	(1.27)	(5.43)

f) Ability to raise capital investments

81. The Authority notes that given the rising demand of the product in the country, the Domestic Industry has made significant investments in plant and machinery. However, despite these investments, the performance of the Domestic Industry has deteriorated considerably, and further investment may get adversely affected.

g) Factors affecting domestic prices

82. The examination of the import prices from the subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the Domestic Industry in the domestic market, etc. shows that the landed value of imported material from the subject countries is below the selling price, cost of sales and the non-injurious price of the Domestic Industry, causing significant price undercutting as well as price underselling in the Indian market apart from financial losses. It is also noted that the demand for the subject goods was showing significant increase during the injury period including the POI and therefore it could not have been a factor affecting domestic prices. Thus, it can be provisionally concluded that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of subject goods from subject countries.

h) Magnitude of Injury and Injury Margin

83. The Authority has determined Non-Injurious Price for the Domestic Industry on the basis of principles laid down in Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP of the Domestic Industry has been worked out and it has been compared with the landed price from producers/exporters from the subject countries for calculating injury margin. The 'all others' rate has been determined based on the facts available with the Authority.

Injury Margin

S.No	Country	Producer	NIP US\$/Kg	Landed Value US\$/Kg	Injury Margin US\$/Kg	Injury Margin %	Injury Margin % Range
1	China PR	M/s. Liaocheng Luxi Mehtylamine Chemical Co., Ltd., (Packed)	***	***	***	***	40-50
2	China PR	Non cooperative Producers/exporters (Packed)	***	***	***	***	45-55
3	Saudi Arabia	M/s. Methanol Chemicals Company (Bulk)	***	***	***	***	45-55
4	Saudi Arabia	M/s. Methanol Chemicals Company Packed	***	***	***	***	45-55
5	Saudi Arabia	Weighted average	***	***	***	***	40-50
6	Saudi Arabia	Non cooperative Producers/exporters	***	***	***	***	70-80

I. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

84. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the Domestic Industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance

and the productivity of the Domestic Industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

(i) **Volume and price of imports from third countries**

85. The imports from countries other than the subject countries are not significant in volume terms so as to cause or threaten to cause injury to the Domestic Industry. Imports from other countries put together accounted for less than 3% in total imports and less than 3% of total demand/consumption in India. Thus, it cannot be said that imports from other countries are causing injury.

(ii) **Export Performance**

86. The Authority has considered the data for domestic operations only for its injury analysis.

(iii) **Contraction in demand Changes in pattern of consumption**

87. It is noted that the demand of the subject goods has increased consistently over the entire injury period. Thus, it can be provisionally concluded that the injury to the Domestic Industry was not due to contraction in demand.

(iv) **Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**

88. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. No evidence has been submitted by any interested party to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change.

(v) **Developments in technology**

89. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in the technology that could have caused injury to the Domestic Industry

(vi) **Changes in pattern of consumption**

90. The domestic industry is producing the type of goods that have been imported into India. Possible changes in pattern of consumption are not a factor that could have caused claimed injury to the domestic industry.

(vii) **Performance of the domestic industry with respect to other products**

91. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performances. The information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.

(viii) **Productivity of the domestic industry**

92. The Authority notes that deterioration in productivity has not caused injury to the domestic industry. Rather, productivity per employee has seen an increasing trend.

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

93. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The submissions of the parties on public interest have been examined in view of this premise.

K. Post Disclosure comments

Post Disclosure comments by DI

94. The Disclosure shows that the subject goods produced by the petitioner in India are 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries under Rule 2 (d) of the AD Rules.

95. The Disclosure shows that the petitioner fulfills the requirement of standing and constitutes domestic industry for the purpose of present investigation. The Authority may confirm its proposals on the aspect of standing and domestic industry in the final finding.
96. Also, it has been our submission that the cost of M/s. Methanol Chemicals Company does not reflect fair cost as required under the rule and the response failed to demonstrate the reasonableness of the cost claimed by the company. We refute the claims of the exporter that complete cost details including details of any purchase of raw materials from related parties were disclosed by the company. In view of the same, we request the Authority to consider Indian cost while constructing normal value for M/s. Methanol Chemicals Company. The dumping margin currently determined for the company appears very low viz. the actual dumping practices being followed by the company for quite some time.
97. The discussions on injury in the Disclosure shows that the domestic industry has suffered material injury on account of dumping of subject goods from subject countries. The domestic industry has suffered severe financial losses as a result of price effects created by the landed price of dumped imports and the volume parameters have also been at below par levels on account of huge presence of dumped imports in the Indian market holding substantial part of the market share. The case clearly warrants anti-dumping duties to correct the effect of dumping and we request the Authority to recommend definitive measures at the earliest.
98. Also, the facts of the present case do not show that any ADD on DMF shall be largely against public interest and will impact the pharmaceutical sector in any manner. None of the opposing parties quantified the impacts of any ADD on DMF whereas our submission demonstrated that there shall be absolutely no serious adverse effects on users as DMF constitute only a negligible share in the cost of users where DMF is used. The exports of products using imported DMF also will not be impacted as the imports for export purpose is excluded from the scope of any ADD.

Post Disclosure comments by Government of Saudi Arabia

99. The Saudi General Authority of Foreign Trade (hereinafter referred to as “GAFT”) disagrees with the Disclosure statement on following issues:
 - First, one of our crucial concerns is determining an APOI that includes estimated data of imports as to be the basis of examining the development of the subject imports and analyzing their impacts on the injury factors. In fact, the Disclosure did not sufficiently consider this concern as it only highlights that the DGTR may consider a 9-month POI.
 - The second crucial point in GAFT submissions is the absence of injury suffered by the Applicant. As provide in our submissions, almost all economic indicators of the Applicant are positive and substantially improving.
 - Finally, the third crucial point raised by GAFT submissions among other points that were not considered probably by DGTR, is the absence of a causal link between the alleged dumped imports and the alleged injury. GAFT submits that it is not enough to reach a 5 decision of imposing anti-dumping measures only by finding any increase of imports and some negative indicators during the IPOI. The DGTR should reach a conclusion based on positive evidence and objective examination that there is a significant increase of imports and a causal link between the alleged dumped imports and the injury.

Post Disclosure comments by Methanol, Saudi Arabia

- A. **Disclosure Statement has disclosed confidential information pertaining to Chemanol**
100. In the injury margin table below para 83 of the Disclosure Statement, the Authority has disclosed the confidential landed value of subject goods exported by Chemanol. The said landed value is business sensitive in nature, and is not available in public domain.
- B. **Excessive confidentiality has been claimed by the Authority itself**
101. It is submitted that the calculation for arriving at the per-unit cost of production and details of adjustments made from the cost of production which has been submitted by the respondent itself in the questionnaire response cannot be kept confidential from the answering respondent. Furthermore, despite the request by the Respondent to provide the said information, the detailed calculations have not been provided.

C. Improper examination of injury and causal link parameters by the Authority

(i) No significant increase in imports

102. In fact, there was a greater decline in imports vis-à-vis demand of the subject goods.

- i. Between POI and base year, demand for subject goods declined by 7%. In comparison, fall in imports was even more significant at 13% for subject country imports as a whole. Domestic sales of petitioner, however, increased by a mammoth 128% during the same period.
- ii. Between POI and previous year, the demand for the subject goods declined by 39%. In comparison, fall in imports was even more significant – 45% fall in respect of subject country imports as a whole and fall of 52% in respect of imports from Saudi Arabia. Domestic sales of petitioner, however, increased by a mammoth 51% during the same period.

(ii) ‘Annualizing’ import volumes is not a permissible practice

103. In the present investigation, the Authority has continued with consideration of a 9-month POI i.e., January 2019 to September 2019, despite the submissions of the answering respondent to the contrary. Furthermore, the Authority has analysed information, including imports for the POI, on an annualized basis in the present Disclosure Statement. It is relevant to note that the same 9-month period of investigation was also considered at the stage of publication of Notice of Initiation as well as Preliminary Findings.

104. The Respondent underscores its concerns that no consideration has been lent to the fact that the Annualised POI includes overlapping period of three months at the last three months of the previous year of the considered injury analysis period. The Domestic Industry has proposed to the Authority this designed, selective, and overlapping period to deliberately provide information which favours them. This becomes clear when comparing the volume of imports of the subject countries in the first three months of 2019 with the same periods of each examined years 2016, 2017, and 2018.

(iii) Status of the domestic industry has improved during the POI in respect of all volume parameters

(a) No adverse volume effect

(b) No adverse effect on inventory and productivity per day

(c) No adverse price effect

(iv) Conclusion of impact on economic parameters

105. An overall analysis the economic parameters of the Domestic Industry clearly reveal that the situation of the Domestic Industry has improved substantially and that imports from the subject countries have had no impact on its performance.

106. It is further submitted that declining performance of the Domestic Industry with respect to few parameters cannot be attributed to imports from subject countries. Without prejudice, the domestic industry has been performing exceptionally well during the injury period and POI and thus, no further protection is required in the present case.

(v) Public interest issue has not been addressed by the Authority.

Post Disclosure comments by Luxi, China

107. With regard to the observation in para 27(d) of the disclosure statement that *the Authority notes that the Act or the Rules or the Anti-dumping Agreement does not prohibit a period of investigation comprising of 9 months*, we agree with it. However, it is requested that the caveats with regard to choosing or selecting POI of less than 12 months or more than 12 months may also be respected whereas the conditions for selecting of POI of less than 12 months in the current investigation does not exist under the facts and circumstances of the current investigation.

108. Without prejudice, it is submitted that the observation recorded in para 40 of the disclosure statement that *‘neither the petitioner nor any other interested parties have provided any information with regard*

to any of the provisos of Rule 7 of Annexure I of the Rules is factually incorrect. It may be seen that in terms of the provisions of Para 7 of the Annexure I, the exporters from China have already proposed in this investigation that the normal value in the current investigation may please be determined on the basis of the domestic prices/exports to other countries in/by market economy third country i.e. Saudi Arabia and the exporter from Saudi Arabia has participated and provided all the information necessary for the determination of normal value for China that may be considered in the current investigation.

109. It is reiterated that since a producer namely M/s. Methanol Chemicals Company from market economy country i.e. Saudi Arabia has responded to in this investigation and provided all the relevant verifiable information on record and that this information has been utilized for the determination of its normal value for this producer, we request for the determination of normal value for the producers from China on the basis of the information of M/s. Methanol Chemicals Company from Saudi Arabia in view of the first two alternatives provided in Para 7. The normal value on the basis of the cost of production, SGA and profit of the domestic producer in India in the current investigation may not be considered as it is the last alternative provided in Para 7 and the last alternative cannot be substituted and made first/second alternative as is being done in the current investigation.
110. With regard to injury, it is seen that the facts recorded in the disclosure statement are similar to the preliminary findings. It is reiterated that the domestic industry has not suffered any injury in the current investigation due to alleged imports.
111. It is also submitted that there is an absence of causal link in the current investigation. It may be seen that a rational and prudent investigation authority would not make a determination on the existence of causal link in the current investigation as there is a robust growth in injury parameters of the domestic industry. Also, there was no evidence for the significant price effect by the subject imports on domestic prices and there was no evidence that the domestic industry is experiencing injury due to alleged dumped imports from China.

Post Disclosure comments by importers/users

112. POI can be less than 12 months only in exceptional circumstances.
113. The Respondent submits that even though demand for the PUC increased in the POI, the domestic industry's increase in market share shows that it was not injured in this regard. The Authority is requested to factor this consideration in the Final Findings.
114. The Respondent submits that the increase in subject imports has only been examined on an end-point to end-point basis. A review of the data regarding the subject country imports would show that they have decreased in the POI in comparison to the previous year. Further, subject imports have decreased in 2017-18, i.e., the year after the base year. Therefore, there is no clear increase in subject imports in the injury period.
115. The Respondent submits that the mere existence of price undercutting is not a condition precedent for determining the existence of price effect. As per paragraph (ii) of Annexure II, price undercutting has to be significant so as to be causing injury. In fact, in the case of imports from China PR, the price undercutting is in the range of 1-5%. When taken cumulatively with the landed value from Saudi Arabia, the price undercutting would definitely be less than 10%, which the Respondent submits, by no yardstick can be considered so "significant" as to cause injury to the domestic industry.
116. Respondent submits that even if it is assumed that profitability has declined due to subject imports, the decline does not fit with excellent performance in the domestic industry's operational parameters. The Respondent requests the Authority to examine whether financial parameters have declined due to reasons other than subject imports.
117. The Respondent however reiterates its previous submissions that the imposition of antidumping duty on imports of the subject goods will lead to a situation where the downstream user/pharmaceutical industries will be constrained to pass the price hike onto the consumers and healthcare sector, thus increasing health care costs in India. Such a move would be inimical to public interest and therefore the Authority must be mindful of this factor before recommending continuation of anti-dumping duties.
118. Sandeep Organics Pvt Ltd contended that verification of Exporter and DI both are required in terms of manufacturing process & difference in quality produced. It has also been contended by the Company that there is difference in the Dimethylamine, formic acid, ph, conductivity, Fe, methanol and

Dimethylacetamide contents in the DMF produced in India and that exported from producers from China PR like Luxi Chemical.

L. Examination by the Authority

119. As regards the submission regarding confidentiality of M/s. Methanol Chemicals Company, Saudi Arabia to asterix its landed value, the Authority has asterixed the same in the final findings.
120. As regards the reiteration of the contention that reasoning for adoption of less than 12 months as POI is insufficient and the Authority must define the POI for the standard period of 12 months to accurately reflect the correct picture, the Authority notes that the issue has been addressed in the foregoing paras. The WTO's guidelines on POI suggest a POI of at least 6 months. There is no restriction on POI with a duration of less than 12 months though post initiation of this investigation, the duration of POI is included in the rules. The Authority has in past considered POI different from 12 months also and in this case no different standard has been adopted.
121. As regards the request of producers/exporters from China PR to adopt normal value determined for cooperating producer from Saudi Arabia as normal value for China PR also, the Authority notes that the claim is only based on an assertion that normal value in market economy third country is available by the virtue of cooperation by a producer from Saudi Arabia. However, it is noted that such availability of data alone is not sufficient to adopt normal value as provided under the rule. The rule requires selection of an appropriate market economy third country and no information have been provided by the producers from China PR to demonstrate that Saudi Arabia is an appropriate market economy third country for China PR. Further as Market Economy Treatment (MET) claim has not been made, the options in the hierarchy of para 7 of Annexure 1 of AD Rules has not been claimed by the producer/exporter on the basis of any credible evidence. Therefore, the normal value for China PR has been constructed by adopting cost of production in India as normated with due adjustment for SGA expenses and a reasonable profit at the rate of 5% on cost of production in accordance with Para 6(8) of the Rules.
122. The Authority notes that the producer/exporter has stated that complete methodology of the cost of production evaluated for the purpose of normal value has not been disclosed. In this regard, Authority notes that post the preliminary findings, the Authority had provided the cost of production and the normal value computed to the producer/exporter. The producer/exporter did not request any details of cost of production but rather provided further details on cost of production for desk verification which resulted in lowering of the normal value as the cost of production was modified on the basis of the data filed in response to preliminary findings by the producer/exporter. The lowered cost of production based on the revised claim has been appropriately considered by the Authority and informed in the disclosure which is being confirmed in this final findings.
123. As regards the comments of the parties on facts disclosed on injury, dumping and causal link and also the views expressed therein, the Authority notes that these final findings are arrived after considering all such views of the interested parties even though such comments are not being addressed here separately for the sake of brevity. The examination of dumping, injury and a causal link between the same have been carried out objectively as required under the Rules and also as per the consistent practice of the Authority and the views are recorded in this findings at appropriate places addressing issues related to dumping, injury and causal link.
124. As regards the submission of the parties that no Anti-dumping duty must be recommended considering the public interest and the interest of pharmaceutical producers, the Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market.
125. As regards the contention of Sandeep Organics Pvt. Ltd that certificate of Analysis and evidences of manufacturing of PUC shows difference between subject goods produced in India and imported into India, the Authority notes that Sandeep Organics Pvt. Ltd relied upon product information mainly pertaining to the cooperating exporters to claim differences in DMF produced by domestic industry and that imported into India. However, such cooperating producers from subject countries have not claimed any such differences in the products rather they claimed the products are comparable. Similar views have been shared by cooperating importers/users as well. Also, even an examination of some

documents submitted by Sandeep Organics does not show that the imported DMF and the DMF produced in India are different products.

M. Conclusion

126. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein, and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
- The product under consideration has been exported to India from the subject countries below its normal value.
 - The Domestic Industry has suffered material injury.
 - Material injury has been caused by such dumped imports of the subject goods from the subject countries.

N. Recommendations

127. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, causal link, and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, Authority considers it necessary and recommend the levy of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.
128. In terms of provision contained in Rule 4(d) & Rule 17(i) (b) of the Rules, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in Column 7 of the duty table below is recommended to be imposed for five (5) years from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of goods described at column 3 of the duty table below, originating in or exported from subject countries.

Duty Table

Sl.No	Heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29211110	Dimethyl Formamide (DMF)	China PR	China PR	M/s. Liaocheng Luxi Mehtylamine Chemical Co., Ltd.,	377.21	MT	US\$
2	29211110	Dimethyl Formamide (DMF)	China PR	China PR	Any other producer except M/s. Liaocheng Luxi Mehtylamine Chemical Co., Ltd.,	405.75	MT	US\$
3	29211110	Dimethyl Formamide (DMF)	China PR	Any country other than China PR	M/s. Liaocheng Luxi Mehtylamine Chemical Co., Ltd.,	377.21	MT	US\$
4	29211110	Dimethyl Formamide (DMF)	China PR	Any country other than China PR	Any other producer except M/s. Liaocheng Luxi Mehtylamine Chemical Co., Ltd.,	405.75	MT	US\$
5	29211110	Dimethyl Formamide	Any country	China PR	M/s. Liaocheng Luxi Mehtylamine	377.21	MT	US\$

Sl.No	Heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
		(DMF)	other than China PR		Chemical Co., Ltd.,			
6	29211110	Dimethyl Formamide (DMF)	Any country other than China PR	China PR	Any other producer except M/s. Liao Cheng Luxi Mehtylamine Chemical Co., Ltd.,	405.75	MT	US\$
7	29211110	Dimethyl Formamide (DMF)	Saudi Arabia	Saudi Arabia	M/s. Methanol Chemicals Company	136.64	MT	US\$
8	29211110	Dimethyl Formamide (DMF)	Saudi Arabia	Saudi Arabia	Any other producer except M/s. Methanol Chemicals Company	267.35	MT	US\$
9	29211110	Dimethyl Formamide (DMF)	Saudi Arabia	Any country other than Saudi Arabia	M/s. Methanol Chemicals Company	136.64	MT	US\$
10	29211110	Dimethyl Formamide (DMF)	Saudi Arabia	Any country other than Saudi Arabia	Any other producer except M/s. Methanol Chemicals Company	267.35	MT	US\$
11	29211110	Dimethyl Formamide (DMF)	Any country other than Saudi Arabia	Saudi Arabia	M/s. Methanol Chemicals Company	136.64	MT	US\$
12	29211110	Dimethyl Formamide (DMF)	Any country other than Saudi Arabia	Saudi Arabia	Any other producer except M/s. Methanol Chemicals Company	267.35	MT	US\$

O. FURTHER PROCEDURE

129. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Customs Tariff Act, 1975.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority